खण्ड-283, अंक-7
मंगलवार, 12 ज्येष्ठ, शक संवत् 1892
(2 जून, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 283 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६२७–६३१
प्रश्नोत्तर	६३१–६६०
मृतपूर्व सदस्य, श्री केदारनाथ, के निधन पर शोकोद्गार	६६०–६६१
विभिन्न व्यवस्था के प्रश्न	६६२
सरकार द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थता प्रकट करने तथा प्रश्नों के उत्तरों को स्थगित कराने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	६६२–६६३
एक कार्य के बाद दूसरा कार्य आरम्भ होने के बीच औचित्य का प्रश्न उठाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	६६३–६६४
किसी अधिकारी द्वारा शासन को गलत सूचना देने पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	६६५–६६६
प्रश्नों के संबंध में आपत्ति	६६६–६६७
व्यवस्था के प्रश्नों पर अधिक समय देने के बारे में आपत्ति	६६७
विभिन्न विषयों के संबंध में जानकारी	६६७–६६८
किसी सरकारी अधिकारी द्वारा शासन को गलत सूचना देने पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	६६८
प्रक्रिया नियमावली के कुछ नियमों में परिवर्तन का सुझाव	६६८–६६९
१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १–वृहत जोतकर, अनुदान संख्या २–भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८–दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत)	६६९–६८६
अनुदान संख्या १२–गांव सभायें और पंचायतें (स्वीकृत)	६८६–७१०
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ की सूचनाएं	७१०–७१६
जिला हरदोई के थाना पिहानी के ग्राम बद्दापुर में दिनांक २–५–७० को पंडित हरिद्वारी लाल, निवासी ग्राम पतौन द्वारा ग्राम उसमानपुर के निवासी श्री दुलारे, की हत्या के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	७१६–७१८
जिला निर्जापुर में हुई प्रदर्शनी में जिलाधीश द्वारा इकट्ठा किये गये चन्दे तथा अन्य अनियमितताओं के संबंध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा	७१८–७२५
अल्पिवां	७२६–७२९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २ जून, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७१

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णाकान्त श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)

गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गंगा सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोविन्दसिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री

ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगूर सिंह विष्ट, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनरायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद श्री
नगीना सिंह श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री

प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलरामसिंह यादव, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री

रामजीलाल सहायक, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति अंचल, श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री

श्रीरामसिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २ जून, १९७०

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये प्रश्न]

प्रदेश के यूनानी व आयुर्वेदिक कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना

*१—सर्वश्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ), जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित), भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव) तथा रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के समस्त यनानी व आयुर्वेदिक कालेजों को किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध करने जा रही है, यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्मदत्त)—

जी हां । इस संबंध में विभिन्न विश्वविद्यालयों से संपर्क स्थापित करने के बाद अब ऐसा सोचा जा रहा है कि प्रश्नागत आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों को कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाय । किन्तु ऐसा करने के लिये विश्वविद्यालय के अधिनियम में आवश्यक संशोधन आदि करने में अभी पर्याप्त समय लगने की संभावना है । यह स्थिति १२ मई, १९७० को इस विषय पर सदन में दिये गये वक्तव्य में भी स्पष्ट कर दी गई है ।

*२--श्री मंजूर अहमद, श्री जगदीश गांधी (अनुपस्थित), श्री भगवतीसिंह विशारद तथा श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या यह सही है कि लखनऊ स्थित आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध है? यदि हां, तो अन्य कालेजों को संबद्ध क्यों नहीं किया जा रहा है? जब कि इसी मांग को लेकर समस्त कालेजों में २९ जनवरी १९७० से हड़ताल चल रही है?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी हां। किन्तु वह संबद्ध न होकर लखनऊ विश्वविद्यालय का एक संघटक महाविद्यालय है। अन्य कालेजों को इस कारण लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तमाम नेताओं से जो बातचीत हुई है, और इस संबंध में अध्यक्ष जी के सामने जो चर्चा हुई है उसको ध्यान में रखते हुए कोई निश्चित तिथि बताने की कृपा करेंगे कि कब वह संबंधित बिल असेम्बली में पेश कर रहे है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)--

मान्यवर, जैसा कि इससे पहले इस सदन में बतलाया जा चुका है, इस कार्य को सुचारु रूप से जल्दी करने के लिये ३० अप्रैल, १९७० को विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की बैठक बुलायी गयी थी और इस बात पर परामर्श किया गया....

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

यह असंगत जवाब है। सवाल यह है कि जब उस दिन आपके कक्ष में।

श्री अनवार अहमद--

बिलकुल संगत जवाब दे रहा हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य-- (जिला मथुरा)

इतना लम्बे में जाने की क्या आवश्यकता है?

श्री अनन्त राम जायसवाल--

मान्यवर, उस दिन आपके कक्ष में.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

(श्री इम्तियाज हुसैन के खड़े होने पर) क्या आप मंत्री जी की हैसियत से बोल रहे है?

श्री अनवार अहमद--

मान्यवर, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। वैसे जो मैं बता रहा था वही स्थिति है।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि जो मीटिंग हुई थी उसके बाद कोई निश्चय हुआ?

श्री अनवार अहमद--

जो मीटिंग हुई थी उसके बाद शिक्षा विभाग से जो प्रस्ताव रखा गया था कि एक अमेंडिंग ऐक्ट से कानपुर विश्वविद्यालय का जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया जाय उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट से वह एल० आर० को भेज दिया गया है। वहां से आने के बाद अमेंडिंग ऐक्ट पेश कर दिया जायगा।

श्री मंजूर अहमद—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सब नेताओं की जो बैठक हुई थी अध्यक्ष महोदय के कमरे में वहां तय पाया था कि २४ घंटे के अन्दर यूनिवर्सिटी के बिल में तरमीम लाकर हाउस में बगैर बहस के पास करा लिया जायगा, क्या यह सही है ?

श्री धर्मदत्त—

श्रीमन्, आपकी उपस्थिति में जो विरोधी नेतागण की बैठक हुई थी उसमें ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था कि २४ घंटे में ऐसा कर दिया जायगा। यह अवश्य था कि एल० आर० को बुला कर उनसे आपने कहा था कि जितनी जल्दी हो सके इस पर निर्णय लें।

श्री मंजूर अहमद—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी तथा कुछ मुख्तलिफ पार्टियों के नेताओं ने आपके कमरे में यह तय किया था कि हम २४ घंटे के अन्दर उस तरमीमी बिल को लाकर पेश कर देंगे। तो क्या माननीय मंत्री जी उस तरमीमी बिल को हाऊस के सामने लाने के लिये तैयार हैं ?

श्री धर्मदत्त—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया हमारी तरफ से जो भी कार्यवाही होनी चाहिये वह पूरी कर दी गई है। शिक्षा मंत्री को यह लिखकर भेज दिया गया है कि कानपुर विश्वविद्यालय में क्षेत्र बढ़ाने के लिये ऐक्ट में संशोधन कर दिया जाय। उन्होंने इसे एल० आर० को भेज दिया था। अब उनके विचार जानने के बाद उसे सदन में प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामगोपाल सण्ड—

अध्यक्ष जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि कानपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति, श्री अग्रवाल साहब, ने ८० लाख रुपये विशेष अनुदान की मांग की है कि जब उन्हें यह अनुदान मिल जायेगा तभी वे इसे संबद्ध करना चाहेंगे ?

श्री धर्मदत्त—

मान्यवर, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक उस ऐक्ट में कोई तरमीम न हो जाय तब तक ऐसा करने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष नेताओं की जो बैठक हुई थी जिसमें राजस्व मंत्री भी उपस्थित थे और मैं भी उपस्थित था। उसमें यह तय हुआ था कि २४ घन्टे के अन्दर बिल को लाने की कोशिश की जायेगी। तो मैं यह जाना चाहता हूं कि क्या उस समय दिये गये आश्वासन और ११ मार्च को दिये गये आश्वासन के आधार पर वे तुरन्त फैसला करने की स्थिति में क्यों नहीं हैं ? यदि नहीं है तो अध्यक्ष जी, आपने यह कहा था कि यदि यह सुलझता नहीं है तो आप उसे नियम ५२ के अन्तर्गत मंजूर कर देंगे और विधान सभा में बहस करवा देंगे। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

यहां पर मेरे कमरे की बातें कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि मंत्री जी को पूरी सूचना नहीं है क्योंकि एल० आर० ने कहा था कि २४ घंटे के अन्दर अगर मेरे पास आ जाय तो मैं बिल तैयार करूंगा। तो बिल की जो प्रथा है वह यह है कि वह पहले कैबिनेट के पास जाता है और वहां से यहां आता है। मैंने उनसे दरियाफ्त किया। उन्होंने उसे तैयार कर दिया। वह अब कैबिनेट के सामने आयेगा और उसके बाद यहां आयगा। मैं इससे सेटिस्फाईड हो गया

[श्री अध्यक्ष—]

कि उन्होंने २४ घंटे के अन्दर तैयार करके भेज दिया। इस पर अब चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसे अमल में लाने से फायदा हो गया। अमल में लाई जाने वाली चीज पर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदव, अभी आपने कहा कि २४ घंटे के अन्दर यह बिल आ जायगा और माननीय मंत्री जी ने कहा कि २४ घंटे का प्रश्न ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह भी कहा कि २४ घंटे के अन्दर यहां आ जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि अध्यक्ष के कक्ष में विधि सचिव ने यह आश्वासन दिया था कि २४ घंटे के अन्दर तरमीमी बिल तैयार किया जायगा ? और अगर यह तैयार हो गया है तो कब तक उसको पेश किया जायगा ?

श्री धर्मदत्त—

इसे शिक्षा मंत्रीजी पेश करेंगे, हमारे यहां से तो पेश होने वाला नहीं है किन्तु मंत्रि-परिषद् इसे स्वीकार कर ले तब ही यह पेश होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

२९ तारीख को यह आश्वासन दिया गया था और आज २ तारीख हो गई, ४ दिन तो निकल ही गये। क्या सरकार इस विषय में जल्दी करने की कृपा करेगी क्योंकि कुछ लोग इसमें अनशन भी कर रहे हैं, विद्यार्थी परेशान हैं। आप व मुख्य मंत्री जी इसको तो जानते हैं कि कभी कोई मसला कैबीनेट में नहीं भी आता है तो कैबीनेट के सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर करा लिये जाते हैं। तो क्या मुख्य मंत्रीजी इस प्रकार का कोई आश्वासन देंगे कि इस बिल को कल ही या आज ही इस सदन में ला आया जायगा? उसके उपस्थित करने में उनको क्या कठिनाई है ?

श्री धर्मदत्त—

आश्वासन के बारे में बार-बार दुहराया गया कि आपके यहां कोई इस प्रकार का आश्वासन दिया गया। एल० आर० को आपने ही बुलाया था, उन्होंने जो भी आश्वासन दिया हो आपको ही उन्होंने कुछ कहा होगा, हमारे पास उसकी कोई इत्तला अभी नहीं है। सरकार अपनी तरफ से जितनी जल्दी होगा, करेगी। सरकार विद्यार्थियों को परेशान करना नहीं चाहती।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, प्रश्नोत्तर के समय में यह डिस्कशन करने की इजाजत किस नियम के अनुसार दी जा रही है। वह एक बार कुछ कहते आप मना कर देते हैं और वे फिर अनुरोध करते हैं तो इजाजत दे देते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह पूरा सदन असरार साहब का शुक्रगुजार है कि जिन्होंने सदन को एक अच्छी चीज की जानकारी दी।

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि मंत्रिपरिषद् की संयुक्त जिम्मेदारी है, शिक्षा विभाग से उस बिल को जल्दी ही पेश करायेंगे ?

श्री धर्मदत्त--

एल० आर० ने आपको कोई सूचना दी हो, हमारे पास उसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने जो सूचना मुझको दी थी, उसको मैंने सदन को बता दिया ।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)--

२४ घंटे का वायदा किया गया था लेकिन जिस धीमी रफ्तार से काम हो रहा है, उससे कितने दिनों में यह बिल हाउस में पेश हो पायेगा ? ४ हजार विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । यह कब तक हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि बहुत शीघ्र हो जायगा ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि स्वास्थ्य विभाग इस निर्णय पर पहुंच गया है कि कानपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट में इसके लिए अमेंडमेन्ट कर दिया जाय, तो क्या मुख्य मंत्री जी दोनों विभागों में समन्वय करते हुए इस बात का आश्वासन देंगे कि इस प्रकार का बिल शीघ्र से शीघ्र इस सदन में पेश हो जायगा ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले मुझको यह मालूम हुआ था कि छात्रगण चाहते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी से उनके इस्टीट्यूशन्स को संबद्ध कर दिया जाय । इधर यूनिवर्सिटी के लोगों से बातचीत हुई, कुछ तो बिलकुल तैयार ही नहीं थे और कुछ ने कहा कि उनका स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिये । तो वह गवर्नमेंट के लिये तत्काल कोई फैसला करना मुश्किल था कि एक करोड़ रुपया लगेगा और फौरन एफिलियेशन हो जाय और ऐक्ट वगैरह तरमीम हो जाय । उसके बाद आपके कमरे में बातें हुईं । आप बीच में पड़े । मुझको इसका कोई इल्म नहीं सिवाय इसके कि कल या परसों इसका जिक्र आया था । तो मुझको मालूम नहीं है कि किस स्टेज पर अब हैं । ५ तारीख को कैबिनेट मीटिंग शैड्यूल्ड है, उसमें विचार कर लेंगे । लेकिन सारी चीजों को इस तरह से हासिल तो नहीं किया जा सकता कि यूनिवर्सिटी एफिलियेट कर के और फिर जो उनकी डिमान्ड है कि उन इंस्टीट्यूशन्स का स्टैन्डर्ड ऊंचा होना चाहिये और बिना देखे भाले कमिटमेंट कर लें । यह मुश्किल होगा । और लड़कों की जो अंतिम तलवार खड़ी है कि या तो यह करो वरना हम इम्तिहान नहीं देंगे और माननीय मित्र उसका समर्थन करें तो इससे समस्या पैदा होती है । हमारी नीति कोई उनके इन्टरेस्ट के विरुद्ध नहीं है । हम चाहते हैं कि वह पढ़ाई करें । लेकिन वह चीजें इस तरह से हासिल तो नहीं की जा सकतीं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

क्या सरकार ने इस संबंध में आज तक स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा दिये गये आश्वासन आज सरकार वापस ले रही है ?

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि उन्होंने सवाल किया था समन्वय करने के बारे में ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह तो दूसरा हुआ ।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

तो फिर इसमें अब क्या कठिनाई है जबकि यह चीज अब इस स्टेज पर आ गई है कि कल या परसों तक सदन में विधेयक रख दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

वह पहले कैबिनेट में जायेगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

कैबिनेट में तो कई प्रकार से स्वीकार हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो ठीक है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इस प्रकार से अब इसे टालने की कोशिश न करें ।

श्री अध्यक्ष—

देखिए, आप नेता, विरोधी दल की तरफ से बोलते हैं । एक रोज आप भी मेरे कमरे में आए थे और मैंने यह बता दिया कि अगले हफ्ते में इस पर विचार होकर वह चीज सदन में आ जायेगी । मुख्य मंत्री जी को अगर यह चीज नहीं मालूम है कि क्या-क्या बातें हुयीं हैं मेरे कमरे में तो वह उसकी जांच करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री जी वहां मौजूद होंगे । यह सब बातें होंगी । लेकिन आप कहें कि कैबिनेट का प्रोसेस निकाल दिया जाय इस तरह की कोई बात मेरे कमरे में नहीं हुई । कृपा कर के आप वेट करें । बहुत जल्दी हो जायगा । मैं भी उसमें पड़ा हूं ।

(व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं एक चीज पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये उसको सुना और मुख्य मंत्री जी की बात को भी सुना । एक बात से मैं संकट में पड़ गया कि जो आपके कक्ष में भिन्न-भिन्न दलों के प्रतिनिधि जाते हैं और वहां बात होती है हमको उसको इस प्रकर निबाहते हैं हमारे प्रतिनिधियों ने जो कमिटमेंट किया है उस पर हम दृढ़ रहते हैं । ऐसे ही आपकी मौजूदगी में यहां बातचीत हो और तमाम प्रतिनिधि हों और मुख्य मंत्रीजी उसको न मानें तो उस बातचीत की सैंक्टिटी क्या है इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—

उसकी सैंक्टिटी को किसी ने हटाया नहीं, लेकिन जो आप चाहते हैं कि जो प्रोसेस उन्होंन तय किया, जिसके अनुसार काम चल रहा है उस प्रोसेस के बारे में अगर आप चाहते हैं कि कोई जल्दी हो जाय तो वह चीज नहीं हो सकती । अब मैं यह देख रहा हूं कि जो प्रोसेस उन्होंने बताया स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से काम हो गया, एल आर० की तरफ से काम हो गया और उन्होंने मुझे सूचना भी दे दी, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा उन्होंने यह सूचना दी थी कि ५ तारीख को कैबिनेट में आयेगा । तो उसके बाद जो-जो चीजें हुई हैं, स्वास्थ्य मंत्री वहां थे, उसका कमिटमेंट वह करेंगे । अगर आप वेट नहीं कर सकते जिसके बारे में इतने जोर से चर्चा चली है तो मै समझता हूं कि यह एक अजीब बात होगी । मैं समझता हूं कि अब अब उसके आगे काम ले लेना चाहिये और इस पर विश्वास रखना चाहिये कि कोई आगे ऐसी चीज आ जाय.....

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

एक सदन में नयी प्रथा डाल रहे हैं कि प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था के प्रश्न उठाए जाते हैं। नियम २३१ देखेंगे कि प्रश्नों के उत्तर में असंतोष होने पर नियमानुसार ही कुछ कहा जा सकता है व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो इसमें बार-बार इस प्रकार व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है और व्यवस्था के खिलाफ व्यवस्था दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

आपने भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी....

(व्यवधान)

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

व्यवस्था का प्रश्न है, मैं बीसियों मर्तबा खड़ा हुआ लेकिन आपकी निगाह नहीं पहुंचती है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों की बात कीजिये।

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह बड़ी अचम्भे की बात है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कानपुर विश्वविद्यालय का जो प्रश्न उठा था, ८ लाख लड़के की संख्या थी तो उस यूनानी और आयुर्वेदिक विद्यार्थियों की समस्त संख्या क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

उनको नहीं मालूम है।

(व्यवधान)

श्री किशनलाल (जिला पीलीभीत)—

कई लड़के बीमार है जिनका स्वास्थ्य खत्म हो चुका है। आपने कभी नहीं देखा और मुख्य मंत्री जी ने नहीं देखा।

श्री अध्यक्ष—

लड़के मेरे पास आने वाले थे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था। आपने कुछ बातें आवेश में कह दीं। मुझे श्रीमन् यह बतायें कि क्या दिक्कत है कैबिनेट डिसीशन को आज लेने में, खास तौर से उस दशा में जहां अनशन चल रहा हो, सरकार एक नीति बना चुकी है, एक चीज तय कर चकी हो ? मैं कहना नहीं चाहता था, क्योंकि श्रीमन्, आप आवेश में आ गये। श्रीमन, के कक्ष में एक चीज तय हुई और यह एन० आर० ने कह दिया कि मैं २४ घटे में ओपीनियन दे दूंगा तो सरकार के सामने क्या दिक्कत है निर्णय लेने में ? मैं नहीं चाहता कि यह चीज आगे बढ़े।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि हमें इस पर विचार करना है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

व्यवस्था का प्रश्न है। "आवेश" आक्षेप सूचक शब्द है। इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि बाद में जो कहेंगे कार्यवाही तो क्या आप के संबंध में विचार बनायेंगे ? वह आक्षेप सूचक है।

श्री अध्यक्ष—

मुझे जरूर आवेश आया, इसमें कोई शक नहीं है और वह लाजमी था। बात यह है कि मैं समझता हूं कि कुछ बातें ऐसी हो रही हैं कि मैंने यह बात कही। जब मेरे कमरे में बात आती हैं तो इसको मानना चाहिए कि मैं कुछ जिम्मेदारी रखता हूं।

सीतापुर जिले के हरगांव-बड़ा गांव-लहरपुर स्थानों के मध्य औषधालय खोलने की प्रार्थना

*३—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिला सीतापुर के हरगांव-बड़ा गांव (महोली) तथा हरगांव-लहरपुर दोनों स्थानों के मध्य लगभग १२ मील के अन्दर कोई भी सरकारी डिस्पेंसरियां नहीं हैं और इस वजह से इस क्षेत्र की जनता प्रारम्भिक चिकित्सा से भी वंचित रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही सरकारी औषधालय खोलने का विचार कर रही है?

श्री धर्मदत्त—

जी नहीं। इस क्षेत्र में प्रत्येक स्थान पर ५.८ मील की परिधि के अन्दर जनता के लिये कोई न कोई किसी प्रकार की डिस्पेंसरी उपलब्ध है जिससे जनता की यथासंभव चिकित्सा सुविधा मिल रही है।

श्री रामलाल राही—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि देहाती क्षेत्रों में जो सरकारी डिस्पेंसरी बनाई जाती हैं, उनके बनाने का आधार क्या है? वह जन संख्या के आधार पर बनाई जाती हैं या एक डिस्पेंसरी से दूसरी डिस्पेंसरी की बीच की दूरी देख कर बनायी जाती हैं?

श्री धर्म दत्त—

इसमें दोनों ही आधार माने जाते हैं। जनसंख्या भी देखी जाती है और दूसरे स्थान पर जो चिकित्सालय है उसकी दूरी भी देखी जाती है।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी दूरी का आधार माना जाता है और कितनी जनसंख्या का आधार मानते हैं?

श्री धर्मदत्त—

श्रीमन्, ऐसा विचार है सरकार का कि प्रत्येक ५ मील की दूरी पर चिकित्सालय हो और इसी आधार को सामने रख कर ही व्यवस्था की जाती है। जहां तक जनसंख्या का प्रश्न है, उसके लिये कोई संख्या निर्धारित नहीं है। जहां आबादी ज्यादा है, बड़े बड़े गांव हैं, वहां प्राथमिकता दी जाती है।

श्री रामलाल राही—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि हरगांव और लहरपुर के बीच दूरी कितनी है और उसके बीच कौन सी डिस्पेंसरी है और उन गांवों का नाम भी बताने की कृपा करेंगे जिनकी जनसंख्या कम से कम ५००० है?

श्री धर्मदत्त—

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं सूचना दे दूं कि उस क्षेत्र में १० चिकित्सालय हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं हर एक के नाम अलग-अलग पढ़ दूं। एक आध को छोड़ कर सबके बीच ५, ६ मील की दूरी है। एक आध जगह जरूर दूरी ज्यादा पड़ती है।

श्री रामलाल राही—

बड़ागांव और लहरपुर के बीच कौन सी डिस्पेंसरी है, उसको माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें और यह भी बताने की कृपा करें कि उनके बीच कितनी दूरी है ?

धर्मदत्त—

विस्तृत सूचना के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। वैसे मैं बता दूं कि हरगांव में एक डिस्पेंसरी है, महोली में दूसरी डिस्पेंसरी है और बड़ागांव में तीसरी डिस्पेंसरी है और इनके बीच की दूरी ७ मील है।

श्री रामलाल राही—

मान्यवर, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि हरगांव से लहरपुर के बीच कितनी दूरी है और उसके बीच कौन सी डिस्पेंसरी है। माननीय मन्त्री जी ने नहीं बताया। मैं अध्यक्ष महोदय सूचना के लिये बता दूं कि हरगांव और लहरपुर के बीच की दूरी १२ मील है और इनके बीच कोई डिस्पेंसरी नहीं है और अगर कोई डिस्पेंसरी है तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त—

हरगांव में एक चिकित्सालय है और लहरपुर में दूसरा चिकित्सालय है। इनके बीच कितनी दूरी है, इसको जानने के लिय सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामलाल राही—

हरगांव और बड़ागांव के बीच की दूरी कितनी है, यह मैं जानना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से।

श्री धर्मदत्त—

इस प्रकार से प्रत्येक के बारे में सूचना इस समय नहीं दी जा सकती। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। एक तो यह है कि यह माइक कभी काम नहीं करता है, जब हम खड़े होकर आपरेटर की तरफ देखते हैं तब जाकर यह काम करता है। दूसरी बात यह है कि जब सदन चलता है तो क्या होता है वह साफ नहीं सुनाई देता है। इसके सम्बन्ध में सदस्यों ने लिख कर भी दिया है। हर सदस्य को जानकारी होनी चाहियें कि सदन में क्या कार्यवाही हो रही है। कार्यवाही होती जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो जब तक माइक ठीक नहीं होता है इस पर आप व्यस्था दें।

राजकीय चिकित्सालय, दादों, जिला अलीगढ़ के चिकित्सक द्वारा कुछ व्यक्तियों के शरीर से छर्रे निकालना तथा उनकी तलाशी

*४—श्री अनीसुर रहमान (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय चिकित्सालय, दादों, जिला अलीगढ़, के चिकित्सक ने माह अप्रैल, १९७० के आरम्भ में कुछ ऐसे व्यक्तियों के शरीर से छर्रे आदि निकाले जिन पर मेडिको लीगल अभियोग लागू होता था ?

श्री अनवार अहमद—

उक्त चिकित्सालय में माह अप्रैल, १९७० में किसी व्यक्ति के शरीर से छर्रे नहीं निकाले गये।

*५—श्री अनीसुर्रहमान (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उक्त चिकित्सक की तलाशी बदायूं के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने ली जिसमें कुछ हथियार बरामद हुये ?

श्री अनवार अहमद—

दिनांक २० अप्रैल, १९७० को स्टेशन आफिसर, उझानी, जिला बदायूं ने तीन सर्किल आफिसरों के साथ उक्त चिकित्सक के मकान को तलाशी ली जिसमें कुछ हथियार और कारतूस बरामद हुये। इस मामले पर अभी जांच जारी है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये प्रश्न]

देवरिया जिले के आयुर्वेदिक औषधालयों के भवन एवं भूमि

*१—श्री दीपनारायणमणि (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में सरकार द्वारा संचालित कितने आयुर्वेद के औषधालय हैं तथा उसमें से कितने के पास अपनी भूमि एवं भवन है ?

श्री धर्मदत्त—

१३, इसमें से ६ के पास अपनी भूमि एवं भवन हैं।

*२—श्री दीपनारायणमणि—

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की संख्या जिला देवरिया में कितनी हैं तथा कितने के पास भवन तथा कितने के पास केवल भूमि प्राप्त हैं परन्तु शासन ने उन्हें अभी तक भवन बनाने के लिये आवश्यक धन नहीं दिया है ?

श्री धर्मदत्त—

२९। इनमें से १४ के पास भवन हैं। अन्य ८ स्थानों पर भूमि उपलब्ध है जहां ६ पर भवन निर्माण का कार्य हो रहा है किन्तु २ स्थानों पर भवन निर्माण के लिये धन की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है।

श्री दीपनारायणमणि—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन औषधालयों के पास भवन और भूमि नहीं है उनका संचालन कैसे हो रहा है ? क्योंकि मंत्री जी ने बताया कि १३ में से ७ के पास अपनी भूमि एवं भवन नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप टिप्पणी न करें प्रश्न पूछें।

श्री दीपनारायणमणि—

जिनके पास भूमि और भवन नहीं है उनका संचालन कैसे हो रहा है ?

श्री धर्मदत्त—

वह किराये के भवन में चल रहे हैं।

श्री दीपनारायणमणि—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां भवन नहीं है और भूमि उपलब्ध है वहां सरकार भवन बनाने का प्रयत्न करेगी ?

धर्मदत्त—

योजना के अन्तर्गत भवन बन सकेंगे।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

यह स्थान कौन-कौन से हैं जिनके पास भवन और भूमि उपलब्ध हैं ?

(मंत्री जी के शीघ्र उत्तर न देने पर)

श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर मन्त्री बी समय बहुत ले रहे हैं। समय नष्ट हो रहा है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह उत्तर की तैयारी है। सदन का समय नष्ट हो रहा है ।

श्री धर्मदत्त—

जहां भूमि उपलब्ध हैं और भवन नहीं हैं वह स्थान हैं सिधवा बांगर, तुरपट्टी बाजार और परवरपार। इनके पास भूमि उपलब्ध हैं किन्तु अपना भवन नहीं है ।

श्री रामधारी शास्त्री—

तुरपट्टी और दूसरे स्थानों में यदि भूमि मिल जाय तो क्या मन्त्री जी भवन बनाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री धर्मदत्त—

योजना के अन्तर्गत जैसे जैसे धन की व्यवस्था होगी भवन बनेंगे। केवल भूमि मिल जाने से भवन नहीं बन सकते।

श्री रामकुमार शास्त्री —

जो किराये पर भवन लिये गये हैं उनका प्रति माह किराया क्या है ?

श्री धर्मदत्त—

इसके लिए सूचना चाहिए।

श्री दीपनारायण मणि—

मंत्री जी ने प्रश्न संख्या २ के उत्तर में बतलाया कि दो स्थानों पर भवन निर्माण के लिये धन की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। क्या मन्त्री जी कृपा कर उन दो स्थानों के नाम बतावेंगे ?

श्री धर्मदत्त—

यह स्थान हैं देसाई–देवरिया और रामपुर कारखाना।

श्री दीपनारायणमणि—

रामपुर कारखाना में जब भूमि मिल चुकी है तो क्या दिक्कत है ?

श्री धर्मदत्त—

भवन बनाने का काम योजना के अन्तर्गत होता है। जैसे जैसे वित्त की व्यवस्था होगी भवन बनेंगे।

*विकास खण्ड, कुंडा तथा कालाकांकर में नसबन्दियां

*३—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खंड, कुण्डा तथा कालाकांकर में मास सितम्बर, १९६९ से ३१ मार्च, सन् १९७० तक कितने व्यक्तियों की नसबन्दी की गई ?

श्री धर्मदत्त—

कथित अवधि में कुन्डा ब्लाक में ५६ पुरुष नसबन्दियां तथा ४ महिला नसबन्दियां हुईं और कालाकांकर ब्लाक में ५६ पुरुष नसबन्दियां हुईं।

*४—श्री जयराम यादव—

क्या यह सही है कि उपरोक्त विकास खन्डों में अधिकांश ऐसे लोगों की नसबन्दी की गयी है जिनकी उम्र ५० वर्ष से अधिक थी अथवा अविवाहित थे ?

श्री धर्मदत्त—

जी नहीं।

श्री जयराम यादव—

क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुंडा ब्लाक तथा कालाकांकर ब्लाक में ५६ व्यक्तियों की नसबन्दी की गई हैं। उन व्यक्तियों की ज्यादा से ज्यादा और कम से कम उम्र क्या थी ?

श्री धर्म दत्त—

स्त्रियों की केवल १५ वर्ष से ४५ वर्ष की आयु तक नसबन्दी होती है।

श्री जयराम यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कुंडा तथा कालाकांकर ब्लाक्स में जिन ५६ व्यक्तियों की नसबन्दी हुई है उसमें एक धीरेन्द्र कुमार नाम का व्यक्ति था जिसको शराब पिला कर १८ सितम्बर को नसबन्दी की गई है ? क्या जो ५६ व्यक्तियों की नसबन्दी की गई है उसमें उस व्यक्ति का नाम भी शामिल है ?

श्री धर्म दत्त—

इसको तो देखना पड़ेगा, इस समय तो नाम की इत्तला नहीं है।

[२ जून, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री जगदीश गांधी—

[९वें बुधवार के ता० प्र० ३-४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये]

बाराबंकी जिले की गदिया रोड की मरम्मत

*३—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि क्या वर्ष १९६७ में शासन को गदिया, जिला बाराबंकी के निवासियों से यह शिकायत मिली थी कि गदिया रोड को डामर की पोख्ता सड़क बनाने के नाम पर केन डेवलपमेंट कौंसिल, बराबंकी द्वारा केवल उस सड़क के गड्ढों को जगह जगह कंकड़ व मिट्टी से भर कर ऊपर से तारकोल डाल दिया गया था ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डे)---

वर्ष १९६७ में गदिया, जिला बाराबंकी के निवासियों ने एक शिकायती पत्र तत्कालीन उप मंत्री, गन्ना विकास को दिया था जिसमें गदिया रोड पर कम कंकड़ डाले जाने का आरोप था।

*४---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि क्या उपरोक्त निर्माण व मरम्मत के एक माह के अन्दर गदिया सड़क अपनी पुरानी हालत पर फिर पहुंच गई थी यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जी नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क के लिए आर्डर हुआ था, डामर की सड़क बनाने का या खाली गड्ढों को मिट्टी और कंकड़ से पाटने का ?

श्री राममंगल पाण्डेय---

डामर की सड़क बनाने का था लेकिन धनाभाव के कारण वह सम्भव न हो सका।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने शिकायत की है जांच के दौरान उनसे भी पूछ-ताछ की गयी और जांच किस अधिकारी ने की ?

श्री राजमंगल पाण्डेय---

जांच पी० डब्लू० डी० के एक एक्जीक्यूटिव जूनियर ने की और डी० सी० ओ० तथा और जो कर्मचारी वहां काम करते हैं उनकी मौजूदगी में की।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, मैंने पूछा कि जिन लोगों ने दरख्वास्त दी---पूरे मुसल्लम मौजे ने दरख्वास्त दी है---तो क्या उन लोगों से भी पूठताछ की गयी ?

श्री राजमंगल पाण्डेय---

इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण तो नहीं है कि उनका भी कोई बयान लिया गया या नहीं, लेकिन जो-जो लोग उससे सम्बन्धित थे, इस जांच रिपोर्ट से मालूम होता है, उन सब से पूछताछ करने के बाद ही रिपोर्ट शासन को दी गयी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने शिकायत की थी उनको इस जांच की कोई सूचना भी दी गयी ?

श्री राम मंगल पाण्डेय---

श्रीमन्, पी० डब्लू० डी० के इतने उच्च अधिकारी को जांच सौंपी गयी तो उन्होंने निश्चित ही सूचना दी होगी जो-जो इससे सम्बन्धित पक्ष थे उनको।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सड़क बनकर तैयार हो गयी तो रिपोर्ट क्या दी गयी---नयी बना दी गयी या गड्ढे भरे गए ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

एक मील चार फर्लांग लम्बी सड़क की। धन जो खर्च हुआ वह है १३ हजार ३०० रु० इसी से श्रीमन्, अन्दाजा कर सकत ह कि इतने रुपए में इतनी लम्बी सड़क कैसे बन सकती है? एक कोड कंकड़ डाला गया और गड्ढों की मरम्मत की गयी। एक ही कोट के लिय पैसा था।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मन्त्री जी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे कि प्रश्न ४ का जो उत्तर है वह सत्य से परे है और मौके की असलियत के बिलकुल खिलाफ है और क्या डी० एम०, बाराबंकी से इसकी जांच कराएंगे ?

श्री राजमंगल पाण्डेय---

डी० एम०, बाराबंकी कोई टेक्निकल आदमी तो हैं नहीं। एक्जक्यूटिव इंजीनियर ने जगह-जगह पर कंकड़ खुदवा कर देखा है। उन्होंने पाया कि ढेला कंकड़ डाला गया क्योंकि बिछिया कंकड़ वहां अवेलेबिल नही था। तो जो अवेलेबिल था वह प्रयोग किया गया। जब एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जांच कर ली तो डी० एम० उसमें क्या करेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे उत्तर से आप सन्तुष्ट हैं ? और राज्य मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि डी०एम० को जांच सिपुर्द करेंगे तो वह किसी टेक्निकल अफसर की सहायता लेकर इसकी जांच करायेंगे तो इसमें उनको क्या एतराज है ?

श्री राममंगल पांडेय---

यह १९६६-६७ का मामला है जिसको अब ३ साल हो गये हैं तो उस सड़क की हालत और भी खराब होगी। अगर वह शुरु से जांच कराई जायगी तो उससे कोई लाभ नहीं होगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मुख्य मंत्री जी इस उत्तर से सन्तोष करते हैं और वह नहीं समझते हैं कि इस तरह से बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ाना मिलता है ?

श्री अध्यक्ष---

उनको सन्तोष है तभी तो यह जवाब दिया गया।

लखनऊ शहर तथा जिले के अस्पतालों में १० पैसे प्रति नुस्खा वसूली से आय तथा उसका उपयोग

*५---श्री जगदीश गांधी (अनुपस्थित)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिये दवा का नुस्खा बनाने के लिये जो १० पैसा प्रति नुस्खा वसूल किया जाता है वह वसूली कब से प्रारम्भ हुई और लखनऊ शहर व लखनऊ जिले के सरकारी अस्पतालों में १ अप्रैल, १९६८ से ३१ मार्च, १९६९ तक इस वसूली से कितना धन जमा हुआ और उसको किस उपयोग में लाया गया ?

श्री अनवार अहमद---

सरकारी अस्पतालों में रोगियों के रजिस्ट्रेशन के लिए १० पैसा प्रति रोगी वसूली का प्रारम्भ शासनादेश संख्या ८१०५(क) १ पांच, दिनांक २७ सितम्बर, १९६५ से हुआ। यह वसूली प्रत्येक सरकारी अस्पताल में शासनादेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर लागू

हो जानी थी । लखनऊ शहर और लखनऊ जिले के अन्य सरकारी अस्पतालों में १ अप्रैल, १९६८ से ३१ मार्च, १९६९ तक इस रजिस्ट्रेशन फी से ६३,३९७ रुपये २० पैसे की आमदनी हुई । यह धनराशि उत्तर प्रदेश हास्पिटल फंड में स्थानांतरित की जायेगी और इसका उपयोग सेंट्रल हास्पिटल्स फंड कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेश हास्पिटल्स फंड रूल्स, १९६९ के अनुसार अस्पतालों की उन्नति आदि में होगा ।

मेरठ मेडिकल कालेज में अध्यापकों की नियुक्तियां

*६--श्री जगदीश गांधी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि इंडियन मेडिकल कौंसिल ने मेडिकल कालेजों में अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में छात्रों तथा अध्यापकों के बीच कोई अनुपात निश्चित किया है ? यदि हां, तो क्या मेरठ मेडिकल कालेज में इसी अनुपात में अध्यापकों की नियुक्तियां की गई हैं ?

श्री अनवार अहमद--

जी हां, मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया ने मेडिकल कालेजों में टीचिंग स्टाफ देने के संबंध में छात्रों व अध्यापकों का अनुपात निर्धारित किया है, लेकिन इस अनुपात के अनुसार प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में, जिसमें मेरठ मेडिकल कालेज भी है, स्टाफ नहीं दिया जा सका है ।

इलाहाबाद, कानपुर व आगरा मेडिकल कालेजों के मेजर व माइनर आपरेशन कक्ष

*७--श्री राम गोपाल संड--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद, कानपुर व आगरा मेडिकल कालेजों में कितने मेजर (Major) तथा माइनर (Minor) आपरेशन (Operatio) कक्ष हैं ?

श्री धर्मदत्त--

मेडिकल कालेज आगरा से सम्बद्ध सरोजिनी नायडू चिकित्सालय में मेजर आपरेशन के ९ तथा माइनर आपरेशन के ७ कक्ष हैं । कानपुर मेडिकल कालेज से सम्बद्ध लाला लाजपत राय स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में मेजर आपरेशन के ९ तथा माइनर आपरेशन के ३ कक्ष हैं । इलाहाबाद मेडिकल कालेज से सम्बद्ध स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में एक मेजर आपरेशन कक्ष (जिसमें आपरेशन के दो कमरे हैं) तथा एक माइनर आपरेशन कक्ष है।

श्री रामगोपाल संड--

क्या सरकार इलाहाबाद में आपरेशन थियेटर की कमी को देखते हुये, वहां पर कम से कम दो मेजर और दो माइनर आपरेशन थियेटर और बनवाने की कृपा करेंगे?

धर्मदत्त--

स्वरूप रानी अस्पताल में ४ आपरेशन कक्ष हैं और एक ब्लाक और बन रहा है।

श्री रामगोपाल संड--

यह आपरेशन थियेटर कब तक बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री धर्मदत्त--

कार्य चल रहा है । यथा सम्भव शीघ्र ही तैयार होगा ।

इलाहाबाद मेडिकल कालेज में ब्लड बैंक के इंचार्ज का पद

*८—श्री राम गोपाल संड--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज में ब्लड बैंक के इंचार्ज का पद रिक्त है? यदि हां, तो कब से और क्यों ? राज्य सरकार इस पद पर कब तक नियुक्त कर देगी ?

श्री धर्मदत्त—

इलाहाबाद मेडिकल कालेज के पैथोलाजी विभाग से सम्बद्ध रक्त बैंक के लिए मेडिकल आफिसर के पद के सृजन की स्वीकृति ३० जून, १९६९ को दी गई थी । २३ मार्च, १९७० से उक्त पद पर मेडिकल आफिसर तैनात कर दिया गया है ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह पद कितने दिनों तक रिक्त रहा और प्रश्नकर्ता के प्रश्न देने के बाद इनकी नियुक्ति हुई ?

श्री धर्म दत्त—

मैंने निवेदन किया कि २३-३-७० से इस पद पर नियुक्ति हुई है।

श्री रामगोपाल संड—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह लगभग साल भर जो स्थान रिक्त रहा उस का क्या कारण था और क्यों रोगियों को सुविधा से वंचित रखा गया ?

श्री धर्मदत्त--

डाक्टरों का अभाव ।

पी० एम० एस० डाक्टरों का स्थायीकरण

*९--श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० एम० एस० डाक्टरों का पिछला सेलेक्शन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा कब हुआ था और उन्हें अब तक परमानेंट क्यों नहीं किया गया ?

श्री धर्मदत्त--

एक नवम्बर, १९६४ से पी०एम०एस० की सेवा, भूतपूर्व पी० एम० एस० (प्रथम) तथा पी० एम० एस० (द्वितीय) को संबिलयित करके, स्थापित हुई । तब से लोक सेवा आयोग द्वारा सेलेक्शन नहीं हुआ है। अत: पी० एम० एस० डाक्टरों को स्थायी किये जाने का प्रश्न अभी नहीं उठता ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो सरकारी मुलाजिम हैं क्या वह मुस्तकिल तौर से अस्थायी ही रहेंगे और क्या अब भी उन को मुस्तकिल नहीं किया जायगा ?

श्री धर्म दत्त--

कभी ऐसा नहीं होता कि कोई हमेशा अस्थायी बना रहे, समय आने पर स्थायी होंगे ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

वह किन आधारों पर मुस्तकिल किये जायेंगे ? ६४ में एक को स्थायी किया और उसके बाद आज तक किसी को स्थायी नहीं किया गया और न कोई सेलेक्शन ही किया गया, पिछले साल भी कुछ नहीं किया उस सरकार ने, लेकिन इस सरकार को तो कुछ सोचना ही है ।

श्री धर्मदत्त--

स्थायी तो वरीयता और चरित्र पंजिका के आधार पर ही किये जाते हैं ।

जिला पौड़ी गढ़वाल में बीज, खाद तथा फलोद्यान के लिये दिये गये धन की वसूली

*१०--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि जिला पौड़ी गढ़वाल में बीज, खाद तथा फलोद्यान के लिये जो धन सन् १९५५-५६ में दिया गया था वह अब तक वहां के किसानों से सन् १९६९ में एक दम से क्यों वसूल किया जा रहा है ?

कृषि उपमंत्री (श्री शिवबृक्ष सिंह राठौर)--

वर्ष १९५५-५६ में पौड़ी गढ़वाल में कोई नकद धन बीज खाद तथा फलोद्यान के लिए कृषकों को नहीं दिया गया था । उनको ८४७४५.८३ रु० का बीज सवाई के रूप में तथा ८२४.७० रु० का बीज, खाद आदि उधार बांटा गया था । उधार दिये गये बीज, खाद आदि की ८२४.७० रु० की वसूली वर्ष १९६८ तक नहीं हो पाई । इस की मियाद दिसम्बर, १९७० के अन्त तक है इस कारण वसूली के प्रयास जारी हैं ।

*११--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सरकार यह भी बतलायेंगी कि देरी से यह धन वसूल करने के लिये कौन जिम्मेदार हैं ?

श्री शिववक्ष सिंह राठौर--

वसूली के प्रयास निरन्तर जारी रहे, अतः वसूल न करने के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतने बरसों से वसूली न होने के कारण क्या थे जो अभीतक इस तरह की ढीलढाल चली आती है?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)--

मान्यवर, यह वसूली तो बराबर वर्ष प्रति वर्ष होती रही है। ८४,७४५.८३ रुपये का बीज जो सवाई के रूप में दिया गया था, उस में से ५८,९११.५४ रुपये बीज के रूप में सवाई लगा कर तथा ६७४.६१ रुपये नकद रूप में वसूल हुये उसी वर्ष में और उस के बाद ५६-५७ से ६८-६९ तक २२,५८०.५१ रुपया वसूल हो गया । अब केवल २५७९.१७ वसूल होना शेष रह गया है। इसलिये यह कहना गलत है कि वसूली का प्रयास नहीं किया गया और इस कारण से वसूली नहीं हुई ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के ऊपर यह बकाया थी उन से वसूली के लिए उन के ऊपर कोई मुकदमे आदि भी चलाये गये ?

श्री शिवराज सिंह--

इस समय तक तो अभी कोई मुकदमा नहीं चलाया गया लेकिन लिमिटेशन ऐक्ट, १९६३ के अनुसार देय धनराशि की वसूलयाबी की अंतिम मियाद ३१।१२।७० तक है और अगर बढ़ी हुई मियाद के बाद भी दिसम्बर तक वसूली नहीं हुई तो मकदमे दायर किये जायगे ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फलोद्यान के लिये जो ऋण दिया जाता है उस की वसूली कितने साल बाद की जाती है और क्या पूरी किश्त पहले साल से ही ली जाती है ?

श्री शिवराज सिंह---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गोविन्द सिंह---

जब इतना रुपया वसूल हो गया है और केवल २ हजार रुपया बाकी रह गया है तो क्या इसको माननीय मंत्री जी माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह---

सरकार का कोई विचार नादेहन्दों को प्रोत्साहन (इनकरजमेंट) देने का नहीं है।

हरदोई लक्ष्मी शुगर एण्ड आयल मिल्स द्वारा दिये गये डिफर्ड धन का गन्ना समितियों द्वारा काश्तकारों को भुगतान

*१२---श्री लालन शर्मा, (जिला हरदोई) (अनुपस्थित) श्री श्रीशचन्द्र, (जिला हरदोई), श्री तेजनरायन (जिला खीरी), श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी) तथा श्री सेवाराम (जिला खीरी)---

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई लक्ष्मी शुगर ऐंड आयल मिल्स ने गत तीन वर्षों में हरदोई गन्ना समितियों के काश्तकारों को गन्ना के मूल्य में देने हेतु कितना धन डिफर्ड भुगतान के रूप में दिया ? क्या गन्ना मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त भुगतान समितियों द्वारा गन्ना के काश्तकारों को दिया गया कि नहीं ? यदि नहीं, दिया गया तो यह भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

श्री राज मंगल पांडेय---

गत तीन सहकारिता वर्ष १९६६-६७, ६७-६८, ६८-६९ में हरदोई की चीनी मिल ने गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने हेतु डिफर्ड गन्ना मूल्य के रूप ये कुल रु० ७८,३६०.७१ का भुगतान किया है। वर्ष १९६६-६७ के डिफरड गन्ने का मूल्य रु० ४९,२८४.२३ तथा जिसमें से गन्ना समितियों ने ३०-४-१९७० तक अपने सदस्य काश्तकारों को रु० १६,९६८.७७ का भुगतान कर दिया गया है और बाकी रु० ३२,३१५.४६ को कृषकों की मांग न होने के कारण उनके खाते में डालने के आदेश दे दिये गये हैं । वर्ष १९६७-६८ का गन्ने का कोई डिफर्ड मूल्य नहीं या वर्ष १९६८-६९ का डिफरड गन्ने का मूल्य रु० २९,०७६.४८ है जिसका लेखा गन्ना समिति बना रही है।

श्री श्रीशचन्द्र---

माननीय मंत्री जी ने प्रश्न १२ के उत्तर में यह कहा है कि ६१,३९१ रुपया अभी भी डिफर्ड पेमेंट का बाकी है जो कि काश्तकारों को मिलना है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि यह १ माह के अन्दर मनीआर्डर द्वारा भेज दिया जायगा ?

श्री राज मंगल पांडेय---

ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय मित्र ने उत्तर नहीं पढ़ा है । उसमें कहा गया कि जिन काश्तकारों को नहीं मिला है, उनके खाते में जमा कर दिया गया है ।

श्री श्रीशचन्द्र ---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात के आदेश देने की कृपा करेंगे कि उनका रुपया मनी आर्डर फीस काटकर उनको मनी आर्डर द्वारा भिजवा दिया जायगा ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मनी आर्डर के भेजने का एक प्रोसेस है पी० एम० जी० के आदेश हैं कि जांच पोस्ट आफिस में इतने से ज्यादा मनी आर्डर नहीं भेजे ज. सकते। हर फैक्ट्री में २० य. ३० हजार काश्तकार हैं तो उनको मनी आर्डर द्वारा उनका पैसा भजना संभव नहीं है। उनके खाते में जमा करने के आदेश दिये जा चुके हैं और उनके खाते में भी मौजूद हैं तो वे देख सकते हैं ।

श्री श्रीशचन्द्र---

जिन काश्तकारों को रुपया दिया गया है वह तो ऋण के संबंध में है जो उनके खातों में जमा कर दिया गया है । तो क्या माननीय मंत्री जी रजिस्ट्री द्वारा उनको सूचित कराने की कृपा करेंगे ताकि उन्हें मालूम हो सके कि उन्हें कितना रुपया मिलना है ताकि वे गन्ना समितियों से अपना रुपया ले लें ।

श्री राज मंगल पांडेय---

हर काश्तकार को मालूम है कि उन्हें क्या पाना है । वे हमसे और हमारे मित्र से ज्यादा वाकिफ हैं और जब खाते में जमा हो गया तो उसका प्रश्न नहीं उठता है।

हरदोई गन्ना समितियों का चुनाव द्वारा गठन

*१३---श्री लालन शर्मा, (अनुपस्थित) श्री श्रीशचन्द्र, श्री तेजनरायन, श्री छेदा लाल चौधरी तथा श्री सेवाराम---

क्या गन्ना मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत हरदोई गन्ना समितियों का नया गठन आज तक चुनाव द्वारा नहीं हुआ है। क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

जी हां । उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम १९६५, एवं उसके अन्तर्गत बनाई गई उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, १९६८ के अनुसार गन्ना आयुक्त ने प्रतिमान उपविधियों तैयार कर ली है और उन्हें सभी समितियों को विधिवत् अंगीकार करने हेतु भेज दी है । इसके पश्चात्, यह उपविधियां, गन्ना आयुक्त एवं निबन्धक, गन्ना सहकारी समितियां द्वारा निबद्ध की जायंगी । नई उपविधियों के निबन्धन के पश्चात् समितियों की प्रबन्ध कमेटी का गठन संभव हो सकेगा ।

कम्पाउण्डरों का वेतन-क्रम

*१४---श्री डूगर सिंह विष्ट---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति प्रतिवेदन, १९६५ के अनुसार प्रदेश में समस्त फार्मेसिस्ट (कम्पाउन्डर) का जो वेतन-क्रम निर्धारित किया गया था उनमें बरीयता क आधार पर दस प्रतिशत सलेक्शन वेतन-क्रम १५०-२६० रु० दिये जाने का निश्चय था ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदश कम्पाउन्डरों को यह सलेक्शन वेतन-क्रम देने का आदेश निर्गत हो चुका है ?

श्री अनवार अहमद---

जी हां ऐसा निश्चय था । परन्तु यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

*१५-१६---श्री रामलाल राही

[७वें सोमवार के लिये तारांकित प्रश्न २२-२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

नोट:---तारांकित प्रश्न ११ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया

आजमगढ़ जिले की मुहम्मदाबाद तहसील में चेचक से मृत्युयें

*१७—श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में जनवरी, १९७० से दिनांक १० अप्रैल, १९७० तक कितने व्यक्तियों की मौतें चेचक की बीमारी से हुई है और मुहम्मदाबाद तहसील में इनकी संख्या क्या है? . . .

श्री अनवार अहमद--

आजमगढ़ जिले में जनवरी, १९७० से १०-४-१९७० तक ५ व्यक्तियों की मृत्यु चेचक की बीमारी से हुई है तथा मुहम्मदाबाद तहसील में मृतकों की संख्या २ है ।

*१८—श्री श्याम लाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि मुहम्मदाबाद तहसील के गांव सिकन्दरपुर की जनता ने हाल ही में जिला स्वास्थ्य अधिकारी को कोई प्रार्थना-पत्र चेचक की रोकथाम के लिये दिया है । यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अनवार अहमद—

जी नहीं ।

*१९—श्री मोतीलाल देहलवी—

[२७ मई, १९७० को प्र० सं० ७७ के अन्तर्गत उत्तरित]

*२०-२१—श्री सूरजलाल गुप्त—

[सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

मेडिकल डिपार्टमेंट तथा हेल्थ डिपार्टमेंट के टेक्निशियन्स के भिन्न वेतन-क्रम

*२२— श्री राम सिंह (सहारनपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्तर्गत मेडिकल डिपार्टमेंट तथा हेल्थ डिपार्टमेंट के टेक्निशियन्स के ट्रेनिंग पीरियड में तथा उनके वेतन-क्रम में अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां, इनके ट्रेनिंग पीरियड में अन्तर है, लेकिन वेतन-क्रम में कोई भिन्नता नहीं है । ट्रेनिंग पीरियड में अन्तर इस कारण से है कि इन टैक्नीशियन्स को अलग-अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी अवधि उनकी सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुये रक्खी गयी है ।

*२३—श्री रामसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार मेडिकल तथा हेल्थ डिपार्टमेंट क टेक्निशियन्स के वेतन-क्रम को समान करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री अनवार अहमद—

इसका प्रश्न ही नहीं उठता है ।

रामनगर साधन सहकारी समिति में गबन

*२४—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की रामनगर साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष तथा अन्य दो सदस्यों के विरुद्ध ६५ हजार रुपये की धनराशि निजी

कार्य में प्रयोग करने और उक्त धनराशि के गबन करने की रिपोर्ट सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता), उरुवा ने उच्चाधिकारियों को दी है ? यदि हां, तो क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त रिपोर्ट कब दी गई और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

जी हां । सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) उरुवा ने अपनी रिपोर्ट सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, इलाहाबाद को दिनांक २१-१०-१९६८ को भेजी थी । उक्त रिपोर्ट पर जांच कराई गई जिसके आधार पर निबन्धक को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक पुलिस व विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

*२५—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२६—श्री मंजूर अहमद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

कृषि बीज भंडार हरैया, जिला बस्ती में गबन

*२७—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि कृषि बीज भंडार, सिसई विकास क्षेत्र हरैया, जिला बस्ती में बीज भंडार पर लाखों रुपये का गबन है ? यदि हां, तो अब तक कौन सी कार्यवाही सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध की गई है ?

श्री शिवराज सिंह—

जिला बस्ती में सिसई नामक कोई बीज भंडार नहीं है । हरैया बीज भंडार सिसई फार्म पर है, जिस पर लगभग रु० ९१,७४३ . ७६ के खाद और बीज के स्टाक का गबन अक्तूबर, १९६९ में पकड़ा गया और बीज भंडार इंचार्ज को दिनांक १-१०-६९ को इस सम्बन्ध में निलम्बित कर दिया गया है । मामले में विभागीय कार्यवाही की जा रही है तथा इसकी जांच पुलिस द्वारा भी कराई जा रही है ।

*२८—श्री रामदेव—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित]

खाद्य पदार्थों खोया, क्रीम आदि पर नियंत्रण

*२९—श्री नेपाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा हर वर्ष दूध से बनाने वाले खाद्य पदार्थों खोया, क्रीम आदि पर १५ अप्रैल से १५ जूलाई तक नियन्त्रण लगाती है जिससे उत्तर प्रदेश के मेरठ तथा बुलन्दशहर जिले भी प्रभावित होते हैं, उत्तर प्रदेश के उक्त दोनों जिलों के दूध के व्यवसाय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये क्या मुख्य मंत्री केन्द्रीय सरकार से इस नियंत्रण को हटाने के लिए सिफारिश करेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

१९६८ से भारत सरकार ग्रीष्म ऋतु में दो या तीन महीनों के लिये दूध से बनने वाली चीजों पर नियंत्रण लगाती है ।

इस वर्ष मेरठ व बुलन्द शहर के दुग्ध व्यवसाय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये यह व्यवस्था की गई है कि दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य मिलता रहे ।

*३०—श्री मंजूर अहमद—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित]

पौड़ी-गढ़वाल के ग्राम सेवकों के पास सरकारी बकाया धन

*३१—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि दिनांक ३१ जनवरी, १९७० को जिला पौड़ी गढ़वाल में प्रत्येक ग्राम सेवक के पास सरकार का कितना-कितना धन बाकी जमा है ?

श्री शिवराज सिंह—

कुल ३९,८५३ रु० ५ पैसे। ग्राम सेवक वार सूची बहुत बड़ी है तथा मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

*३२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगी कि यह धनराशि ग्राम सेवकों के पास जमा रहने के क्या कारण है और जिन ग्राम सेवकों ने उसे समय के अन्दर जमा नहीं किया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शिवराज सिंह—

ग्राम सेवकों द्वारा काश्तकारों को खाद, बीज व पेड़ वितरित किये जाते हैं। इन वस्तुओं की कीमत की वसूली समय पर नहीं हो पाती जिससे सरकारी धन बकाया रह जाता है। कभी कभी ग्राम सेवकों का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले को अथवा एक विकास खण्ड से दूसरे विकास खण्ड को हो जाता है जिसके कारण खाद, बीज तथा पेड़ों की कीमत जमा नहीं हो पाती है।

इस धन को वसूल करने के लिए विकास खण्ड कार्यालय तथा जिला नियोजन कार्यालय एवं उससे सम्बन्धित कार्यालयों से ग्राम सेवकों से रुपया जमा करने हेतु सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

जिलाधीश गोंडा द्वारा ब्लाक समितियों की निरीक्षण रिपोर्ट

*३३—श्री गंगा प्रसाद तथा श्री सन्तराम (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश, गोंडा ने सन् १९६९-७० के वार्षिक दौरे में कितने ब्लाक समितियों का निरीक्षण किया ? क्या निरीक्षण की रिपोर्ट सदन के समक्ष रखने की कृपा करेंगी ?

श्री शिवराज सिंह—

गोंडा जनपद के अन्तर्गत १८ ब्लाक हैं। जिलाधीश गोंडा ने वर्ष १९६९-७० के अपने वार्षिक दौरे में समस्त विकास खंडों का निरीक्षण किया है।

निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपियां विस्तृत होने के कारण मेरे कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधानाचार्यों की पदोन्नति

*३४—श्री बैजनाथ—

कृषि तथा सामुदायिक विकास मंत्री क्या बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों पर गत एक वर्ष से जो ८ प्रधानाचार्य क्लास २ से क्लास १ में प्रमोट किये गये हैं, क्या उनके प्रमोशन की स्वीकृति पब्लिक सर्विस कमीशन से ले ली गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो ऐसे प्रमोशन कैसे किये गये ?

श्री शिवराज सिंह---

ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों, जो अब प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र कहे जाते हैं, में से दस उन्नयित (upgraded) केन्द्रों के क्लास १ के आचार्य पदों पर गत एक वर्ष से पहिले ही प्रोन्नति द्वारा नियुक्तियां तदर्थ रूप से (adhoc basis) वरिष्ठता और श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुये की गई थीं।

इन नियुक्तियों को लोक सेवा आयोग द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित कराने हेतु पत्र-व्यवहार आरम्भ हो चुका है।

कृषकों से कुओं में बोरिंग के खर्चे की माफी पर विचार

*३५---श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खंडों द्वारा किसानों के कुओं में बोरिंग कराने के लिये जो खर्च प्रति बोरिंग पड़ता है, क्या सरकार इस खर्चे को माफ करने का विचार कर रही है ?

श्री शिवराज सिंह---

यह सुझाव विचाराधीन है कि विभाग द्वारा कुओं में बोरिंग कराने पर सभी जोत वाले कृषकों से विभागीय व्यय वसूल न किया जाय।

अजीतमल व औरैया विकास खण्ड, जिला इटावा में जनशक्ति योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

*३६---श्री कोरी सुखलाल (जिला इटावा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले की अजीतमल भाग्यनगर औरैया ब्लाक के अन्तर्गत आर० एम० पी० स्कीम में सन् १९६६-६७ में कौन-कौन सड़कें निर्माण हेतु ली गई थीं ?

श्री शिवराज सिंह---

सन् १९६६-६७ ई० में इटावा जिले के अजीतमल विकास खण्ड में ग्रामीण जनशक्ति योजना में केवल एक फफूंद-शेरपुर-सरैया सेंगर नदी तक ६ मील लम्बी सड़क स्वीकृत की गई थी जिस पर जून १९६७ में जिला परिषद्, इटावा द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था।

*३७---श्री कोरी सुखलाल---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में बीझलपुर बेला सड़क, औरैया ब्लाक में मुराहगंज से बीझलपुर पक्की सड़क करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवराज सिंह---

औरैया ब्लाक ग्रामीण जनशक्ति योजना में स्वीकृत नहीं है। अतः उसमें पड़ने वाली प्रश्नगत सड़क को इस स्कीम के माध्यम से बनवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अलीगढ़ नियोजन विभाग के लिपिकों को स्थायी करना

*३८---श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नियोजन विभाग, जिला अलीगढ़ में सीनियर ग्रेड तथा जूनियर ग्रेड में पृथक-पृथक कुल कितने लिपिक कार्य कर रहे हैं ? उनमें से पांच वर्ष अथवा इससे अधिक समय से कार्य करने वाले कितने लिपिक अब तक स्थाई किये जा चुके हैं और शेष को स्थाई न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त जिलों के नियोजन विभाग

के ऐसे समस्त लिपिकों को स्थाई करने पर विचार कर रही है, जिनकी अनवरत सेवायें पांच वर्ष अथवा उससे अधिक हो गई हैं ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवराज सिंह--

नियोजन विभाग, जिला अलीगढ़ में सीनियर ग्रेड में ३९ लिपिक तथा जूनियर ग्रेड में ५४ लिपिक कार्य कर रहे हैं।

पांच वर्ष अथवा इससे अधिक समय में से कार्य करने वाले ३१ लिपिक अब तक स्थायी किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त जिले में लिपिकों के २५ स्थायी पद और उपलब्ध हैं, जिन पर शीघ्र स्थायीकरण के आदेश हो जायेंगे। शेष लिपिक स्थायी पदों के अभाव में स्थायी न किये जा सके।

हां, अस्थायी पदों को स्थायी घोषित करने का प्रयास बराबर किया गया है और स्थायी पदों के उपलब्ध होने पर अस्थायी लिपिकों को स्थायी किया जायेगा।

विकास खण्ड कुंडा तथा कालाकांकर में जनशक्ति योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

*३९--श्री जयराम यादव--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खंड, कुंडा तथा कालाकांकर, जिला प्रतापगढ़ में जनशक्ति योजना के अन्तर्गत कुंडा-खनवारी रोड तथा मानिकपुर-लाला बाजार रोड और गुतनी-इन्होना रोड अधूरी बना कर छोड़ दी गई ? यदि हां, तो इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जायगा ?

श्री शिवराज सिंह--

ऐसा नहीं है। प्रतापगढ़ जिले के कालाकांकर ब्लाक में ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त ४१२ मील कुंडा खनवारी सड़क पर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

मानिकपुर लाल-की-बाजार सड़क पर निर्माण-कार्य प्रगति में है। ग्रामीण जनशक्ति योजना में प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त २ १/२ मील के भाग में जून, १९७० तक निर्माण-कार्य पूर्ण होने की आशा है। उपरोक्त के अलावा ३-५० कि० मी० की लम्बाई में २.१८ लाख रुपये की लागत पर सार्वजनिक निर्माण विभाग चालू वित्तीय वर्ष में उक्त सड़क पर कार्य प्रारम्भ करने का विचार कर रहा है।

गुतनी-इन्होना रोड नाम की कोई सड़क ग्रामीण जनशक्ति योजना में विकास खण्ड कुंडा या कालाकांकर में स्वीकृत नहीं है।

*४०-४१--श्री रामचन्द्र विकल--

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

जनशक्ति योजनान्तर्गत जिला परिषद् मिर्जापुर द्वारा सड़कों का निर्माण

*४२--श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु जिला परिषद् मिर्जापुर को वर्ष १९६५ से १९६९ तक कितना रुपया दिया गया,, तथा उससे कौन-कौन सी सड़कें बनाई गई हैं ? क्या सड़क निर्माण-कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री शिवराज सिंह--

जिला परिषद्, मिर्जापुर को ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत निर्माण-कार्य हेतु वर्ष १९६५ से १९६९ तक ३१-५८ लाख रुपया नकद तथा ६-७४५ लाख रुपया गेहूं के रूप में दिया गया। इससे संलग्न तालिका में दिखाई गई ३४ सड़कों का निर्माण-कार्य हाथ में लिया गया जिनमें से ६ सड़कें वर्ष १९६९-७० तक पूर्ण हो चुकी हैं। शेष २८ सड़कों में से ९ सड़कें १९७०-७१ में तथा १९ सड़कें १९७१-७२ में पूर्ण करा देने का संभावना है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७२६ पर)

आजमगढ़ जिले में सामुदायिक विकास विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों की छटनी

*४३--श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़) तथा श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में जनवरी तथा फरवरी, १९७० में इस विभाग के कितने अराजपत्रित कर्मचारियों की छटनी की गई ?

श्री शिवराज सिंह--

केवल १७ लिपिकों की छटनी की गई।

*४४--श्री गंगा प्रसाद--

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

उप-विकास आयुक्त बरेली के कार्यालय के प्रधान लिपिक का पद

*४५--श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

क्या नियोजन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उस विकास आयुक्त, बरेली के कार्यालय में पिछले आठ वर्षों से प्रधान लिपिक के पद पर निरन्तर कार्य रत कर्मचारी का स्थानान्तरण अब तक इस जिले से बाहर न करने का क्या कारण है ?

श्री शिवराज सिंह--

उप विकास आयुक्त, बरेली के कार्यालय में प्रधान लिपिक का कोई पद शासन से स्वीकृत नहीं है।

विकास अधिकारी, श्री विजय बहादुर सिंह के विरुद्ध गबन सम्बन्धी आरोपों की जांच

*४६--श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खंड, मोठ, जिला झांसी के भंडार में विशेष लेखा परीक्षा ८-६० से ६-६३ के समय में काफी गोलमाल एवं गबन पाया गया था तथा शासन आदेश सं० ६०३४/३८-१०-४०७/६३, दिनांक २३ मई, १९६५ के द्वारा भंडार क्षति का, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व श्री विजय बहादुर सिंह, तत्कालीन बिकास अधिकारी [जो इस समय विकास अधिकारी, मनियर (बलिया) हैं] के ऊपर निर्धारित किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री शिवराज सिंह--

विकास खंड, मोठ, जिला झांसी में कथित अवधि में रु० १२,८६२.९२ की वास्तविक क्षति में से रु० ८,१९८.२८ की क्षति का उत्तरदायित्व श्री विजय बहादुर सिंह तत्कालीन क्षेत्र

विकास अधिकारी पर निर्धारित किया गया है। श्री सिंह को उप विकास आयुक्त झांसी के द्वारा लिखा गया था कि १५-४-७० तक यदि वे संतोषप्रद उत्तर नहीं देंगे तो महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के माध्यम से वसूली करायी जायेगी। श्री सिंह ने २५-५-१९७० तक कोई उत्तर नहीं दिया है। अतः अब नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जायगी।

*४७—श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र समिति, मनियर (बलिया) ने उप विकास आयुक्त, वाराणसी को अपने पत्र दिनांक १६ सितम्बर, १९६९ के द्वारा विकास अधिकारी, मनियर के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये हैं, जिसकी जांच मजिस्ट्रेट द्वारा दिसम्बर, १९६९ में हो जाने के बाद भी क्या १५ अप्रैल, १९७० तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों।

श्री शिवराज सिंह—

ब्लाक प्रमुख मनियर (बलिया) का पत्र दिनांक १६-९-६९ का नहीं, बल्कि १३-९-६९ का है। इसमें कहे आरोपों के बारे में मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट दिनांक ३१-१२-६९ जिलाधीश बलिया के माध्यम से उप विकास आयुक्त वाराणसी को प्राप्त हुई थी। जांच मजिस्ट्रेट की रिपोट अपूर्ण थी जिस पर उप विकास आयुक्त वाराणसी से पुनः जांच रिपोर्ट मांगी गई है। इसी बीच श्री विजय बहादुर सिंह क्षेत्र विकास अधिकारी को मनियर (बलिया) से देवकली (गाजीपुर) स्थानान्तरित कर दिया गया है।

*४८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित]

जिला बांदा में असरकारी नलकूपों को बिजली के कनेक्शन देना

*४९—श्री श्याम लाल, श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या सरकार यह कृपया बतायेगी कि जिला बांदा में कितने असरकारी ट्यूबवेल काम कर रहे हैं और वर्ष १९६६-६७ में ट्यूबवेल के वास्ते बिजली कनेक्शन की किसानों की कितनी दरख्वास्तें मंजूर की गयी, उनमें से मार्च, १९७० तक कितनों को कनेक्शन मिले तथा कितनों को नहीं मिले और किन कारणों से?

श्री शिवराज सिंह—

जिला बांदा में इस समय कुल २२२ असरकारी ट्यूबवेल कार्य कर रहे हैं। वर्ष १९६६-६७ में ट्यूबवेल हेतु बिजली कनेक्शन के १०० प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुये, उनमें से मार्च ७० तक ६९ नलकूपों के लिये बिजली कनेक्शन दिये गये। शेष ३१ मामलों में से ६ काश्तकारों ने बिजली लेने से इनकार कर दिया, तथा बिजली लेने की शर्तों के अनुसार २५ कृषकों ने जमानत, बिजली लगाने की फीस, मोटर निरीक्षण शुल्क वगैरह से संबंधित धनराशि जमा नहीं किया, इस कारण उनका कार्य सम्बन्ध नहीं हो सका।

अंतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद में ड्रग इन्सपेक्टरों द्वारा दूकानदारों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

१—श्री राम गोपाल संड—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९६७ से ३१ मार्च, १९७० तक कितनी बार इलाहाबाद में ड्रग इंसपेक्टरों द्वारा कितने दुकानदारों को गलत दवा बेचने एवं दवा को गलत ढंग से बेचने पर पकड़ा गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई?

श्री अनवार अहमद—

प्रश्न गत अवधि में इलाहाबाद में १६ दुकानदारों को गलत दवा बेचते हुये तथा ९ दूकानदारों को गलत ढंग से दवा बेचते हुये पकड़ा गया। इनमें से ११ के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई एवं शेष १४ के विरुद्ध जांच जारी है।

कृषि औद्योगिक निगम द्वारा रामगढ़ फल उद्योगशाला पर किया गया व्यय तथा उससे आय

२—श्री डूंगर सिंह विष्ट—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि औद्योगिक निगम ने वर्ष १९६९-७० में कितना रुपया व्यय किया और कितना उत्तर प्रदेश सरकार के अंश में आया? नैनीताल जिले में स्थित रामगढ़ फल उद्योगशाला में सन् १९६८-६९ व सन् १९६९-७० में कितने रुपये का माल बना और कितने रुपये का बिका?

श्री शिवराज सिंह—

कृषि औद्योगिक निगम ने वर्ष ६९-७० में कितना रुपया व्यय किया और कितना उत्तर प्रदेश सरकार के अंश में आया, यह बताना तभी सम्भव हो सकेगा जब निगम के अन्तिम खाते पूर्ण होकर आडिट हो जाने के पश्चात् उपलब्ध हो जायं। इस समय अन्तिम खाते अपूर्ण होने के कारण पूरी जानकारी उपलब्ध होना सम्भव नहीं है।

रामगढ़ फल उद्योगशाला में सन ६८-६९ व सन् १९६९-७० क्रमशः ३,६८,८५५.४४ रु० तथा २,९६,८३९.५२ रु० की लागत का माल बना और क्रमशः ४३,६७३.६२ रु० तथा २,३३,९०३.९९ रु० का बिका। वर्ष ६९-७० से संबंधित उपर्युक्त आंकड़े अनुमानित है।

३—श्री डूंगर सिंह विष्ट—

किन कारणों से तथा कितने सालों के लिये रामगढ़ फल उद्योगशाला को कृषि औद्योगिक निगम को सौंपा गया है?

श्री शिवराज सिंह—

उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम की स्थापना के पश्चात् शासन ने यह अनुभव किया कि उन्हें कृषि सम्बन्धी उद्योग वाणिज्यिक स्तर पर नहीं चलाना चाहिये। इस कारण तथा इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये भी कि उद्योगशाला ने प्रदेश में फल संरक्षण तथा डिब्बा बन्दी उद्योग की प्रोन्नति तथा विकास के मुख्य ध्येय की प्राप्ति कर ली है, शासन ने यह निर्णय लिया कि राज्य सरकार उक्त उद्योग शाला को न चलाये। यह उद्योगशाला कृषि औद्योगिक निगम को १ मई, १९६८ से तीन वर्ष के लिये पट्टे पर दी गई है।

४—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिला स्थित रामगढ़ फल उद्योगशाला को हस्तगत करने के बाद कृषि औद्योगिक निगम ने किस किस पद के कितने कितने अधिकारी व कर्मचारी वर्ग को किस वेतन-क्रम पर १९६८-६९ व १९६९-७० में नियुक्त किया है? इस उद्योगशाला पर निगम ने वर्ष १९६८-६९ व १९६९-७० में कुल कितना खर्च किया और कुल कितनी आमदनी हुई?

श्री शिवराज सिंह—

रामगढ़ फल उद्योग शाला को हस्तगत करने के बाद कृषि औद्योगिक निगम ने वर्ष ६८-६९ व ६९-७० में ३००-९०० वेतनक्रम में एक अधिकारी, १२०-२२० वेतनक्रम में तीन, १००-१८० वेतनक्रम में दो, ८०-१४० वेतनक्रम में तीन तथा ५५-७५ वेतनक्रम में चार। कुल मिलाकर १३ कर्मचारियों को नियक्त किया है।

इस उद्योगशाला पर निगम ने वर्ष ६८-६९ व ६९-७० में क्रमशः २,९९,१५७.०० रु० तथा ४,३६,६७२.५६ रु० व्यय किया। इन वर्षों में क्रमशः ४३,६७३.६२ रु० तथा २,५१,८६९.९९ रु० की आमदनी हुई।

वर्ष १९६९-७० से संबंधित उपर्युक्त आंकड़े अनुमानित हैं।

उपभोक्ता सहकारी भंडार, बांदा से हुआ लाभ तथा हानि

५--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बदायूं जिले में कब से उपभोक्ता सहकारी भंडार खोला गया तथा उसमें सरकार ने कितना रुपया लगाया और कितना भागीदारों (शेयर होल्डर्स) ने लगाया? ३१ मार्च, सन १९७० तक कितना लाभ या हानि हुई?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७२७ पर)

६-८--श्री सूरज लाल गुप्त--

[७ वें सोमवार के प्र० सं० १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

९--श्री श्याम लाल--

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित]

आगरा मण्डल में ५ वर्षों से अधिक समय से कार्य करने वाले खंड विकास अधिकारी

१०--श्री कल्यान सिंह--

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मंडल में कौन-कौन खंड विकास अधिकारी ऐसे हैं जो उक्त मंडल में ५ वर्षों और इससे अधिक समय से कार्य कर रहे हैं? क्या ऐसे खंड विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण विचाराधीन है।

श्री शिवराज सिंह--

सूची संलग्न है। सामान्यतया क्षेत्र विकास अधिकारियों को एक खंड तथा मण्डल में रहने की निर्धारित अवधि क्रमशः ५ तथा १० वर्ष है। इस नीति को दृष्टि में रखते हुए संबंधित अधिकारियों के स्थानान्तरण पर विचार हो रहा है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७२८ पर)

जौनपुर जनपद में भवन निर्माण हेतु ग्राम सभाओं को अनुदान

११--श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)--

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कितना धन विकास खंडों के माध्यम से किन-किन ग्राम सभाओं को दिया गया तथा उनमें से किन-किन ग्राम सभाओं ने भवन निर्माण का कार्य अब तक पूरा नहीं किया है?

श्री शिवराज सिंह--

विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु ५६६ ग्राम सभाओं को ८,६४,५१६ रु० का अनुदान दिया गया। जिसमें से २२९ गांव सभाओं ने विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया।

इन ग्राम सभाओं की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

१२–श्री जंगबहादुर यादव–––

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त जिन ग्राम सभाओं ने भवन निर्माण-कार्य पूरा नहीं किया उनसे अनुदान की रकम वसूल करने की क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शिवराज सिंह–––

सम्बन्धित गांव सभाओं को अपूर्ण निर्माण-कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये नोटिस दे दी गयी है । अभी धन की वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

आजमगढ़ जिले में ब्लाक प्रमुखों एवं उपप्रमुखों को यात्रा-भत्ते का भुगतान

१३––श्री श्याम लाल––

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में किन-किन विकास खंडों के ब्लाक प्रमुखों एवं उपप्रमुखों को सन् १९७० में कितना-कितना यात्रा-भत्ता भुगतान किया गया है और किन-किन ब्लाक प्रमुखों एवं उपप्रमुखों का यात्रा-भत्ता भुगतान नहीं किया है और क्यों ?

श्री शिवराज सिंह–––

आजमगढ़ जिले में विकास खण्डों के प्रमुखों, एवं उपप्रमुखों को सन् १९७० में परिशिष्ट 'अ' के अनुसार यात्रा भत्ता का भुगतान किया गया है । केवल एक उप प्रमुख विकास खण्ड, मुहम्मदाबाद श्री राम गरीब राम, को यात्रा भत्ते का भुगतान सम्भव न हो सका क्यों कि उन्होंने यात्रा भत्ता देयक वितीय वर्ष के अन्तिम काल में दिनांक ३० मार्च, १९७० को प्रस्तुत किया जब कि तद्विषयक बजट का जिला आजमगढ़ में पूर्ण उपभोग हो चुका था। यह उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सभी को सूचित कर दिया गया था कि १५ मार्च, १९७० तक यात्रा भत्ता देयक कार्यालय में पहुंच जाने चाहिये ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७२९ पर)

अल्प सिंचाई योजनान्तर्गत इलाहाबाद के विकास खण्ड कड़ा में दी गई छूट

१४––श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)–––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला इलाहाबाद के विकास खंड कड़ा में सन् १९६७–६८ में अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को छूट दी गई और अभी कितने लोगों को छूट मिलना बाकी है ?

श्री शिवराज सिंह–––

वर्ष ६७–६८ में ३५ व्यक्तियों को छूट दी गई और वर्ष ६७–६८ के अन्त तक ५८ व्यक्तियों को छूट देना बाकी रह गया था ।

इन अवशेष ५८ व्यक्तियों में से ५१ व्यक्तियों को वर्ष ६८–६९ में तथा ७ व्यक्तियों को वर्ष ६९–७० में छूट का भगतान किया जा चुका है । इस प्रकार वर्ष ६७–६८ के अन्त तक स्वीकृत कार्यों में से किसी कार्य पर छूट देना अब बाकी नहीं है ।

दुद्धी में महिला अस्पताल खोलने की योजना

१५––श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)–––

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी (मिर्जापुर) में महिला अस्पताल के निर्माण की योजना है तथा क्या जब तक नयें अस्पताल भवन का निर्माण नहीं हो जाता किसी अन्य भवन में अस्पताल खोलन का आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अनवार अहमद---

जी हां। अभी यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वहां कब तक महिला चिकित्सालय स्थापित करना सम्भव होगा।

न्याय पंचायत सलाहपुर तथा रडीगारापुर, जिला प्रतापगढ़ में चिकित्सालय खोलने की योजना

१६---श्री जयराम यादव---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि न्याय पंचायत, सलाह पुर तथा रडीगारापुर, परगना तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कोई राजकीय चिकित्सालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार वहां कोई अस्पताल खोलने की योजना बना रही है?

श्री अनवार अहमद---

जी हां। परन्तु अभी कोई ऐसी योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

इलाहाबाद जिला सहकारी संघ द्वारा क्रय-विक्रय से लाभ

१७---श्री रामचरण---

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद में कोई संस्था जिला सहकारी संघ नाम की है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में उसका क्या कार्यकलाप रहा और उसमें कितना लाभ हुआ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां। इलाहाबाद जिला सहकारी संघ लि० इलाहाबाद द्वारा गत दो वर्षों १९६७-६८ व १९६८-६९ में कुल मिलाकर ४,४२,२८६ रु० का माल क्रय किया गया तथा ५,७८,८८९ रु० का माल बेंचा गया जिसमें संघ को कुल २१,१०१ रु० का लाभ हुआ।

१८---श्री रामचरण---

क्या सहकारिता मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त संस्था द्वारा कितने ईंट के भट्ठे चलाये जाते हैं और उन पर सरकार ने कितना पैसा लगाया है तथा उनसे कितना लाभ हुआ है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

उक्त संस्था द्वारा इस समय कोई ईंट का भट्ठा नहीं चलाया जा रहा है। अतः सरकारी सहायता तथा लाभ का प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सदस्य, श्री केदारनाथ के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

मुझे दुख के साथ इस सदन को सूचना देनी है कि हमारे इस सदन के भूतभर्व सदस्य, श्री केदारनाथजी जो कि मुरादाबाद के रहने वाले थे, अभी २९ तारीख को उनका निधन हो गया है। वे हमारे इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं सन् १९५२ से लेकर १९५७ तक और मुरादाबाद जिले के अग्रणी वकीलों में से वे थे। उन्होंने ४० वर्ष तक वकालत करने के बाद ६० वर्ष की उम्र के आसपास वकालत करना छोड़ दिया था लेकिन सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षणिक संस्थाओं में बराबर उनकी दिलचस्पी रही और बार एसोसियेशन के वे प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी भी रहे। उम्र तो उनकी ८५ वर्ष की थी और हममें से सबको एक न एक दिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाना ही है, तथापि बहुत दुःख है कि मुरादाबाद जिले के राजनैतिक जीवन को एक क्षति उनके निधन से पहुंची है। इन शब्दों के साथ अपनी ओर से और सदन की ओर से मैं यह चाहता हूं कि आप उनके परिवार वालों को हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन का जो प्रस्ताव है माननीय केदारनाथ जी के सिलसिले में उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मुझे दुःख है कि वे आज हमारे बीच में नहीं है और मैं अब आपसे प्रार्थना करूँगा कि उनके दुःखी परिवार को मेरे और मेरे दल की ओर से संवेदना भेज दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, अभी जो भावनायें हमारे नेता सदन ने व्यक्त की हैं और जो विरोधी दल के नेता ने व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मैं बहुत दुःखी हूं। आपसे प्रार्थना है कि हमारी भावनायें उनके संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने और दूसरे नेताओं ने स्वर्गीय भूतपर्व विधायक, श्री केदारनाथ जी के सम्बन्ध में जो विचार व भावनायें व्यक्त की हैं, मैं अपने को और अपने दल को उन विचारों से सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना को भी स्वर्गीय सदस्य के परिवार तक पहुंचा दें ।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

माननीय मुख्य मंत्री और विरोधी दल के नेताओं ने स्वर्गीय केदारनाथ जी के सम्बन्ध में जो शोक प्रस्ताव किये हैं उनसे मैं अपने आपको तथा अपनी पार्टी को सम्बद्ध करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना उनके दुःखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

माननीय मुख्य मंत्री तथा अन्य विरोधी दल के नताओं ने श्री केदारनाथ जी के बारे में जो भावनायें व्यक्त की है, मैं अपने को और अपने दल को उन भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं और निवदन करता हूं कि संतप्त परिवार को हमारी ओर से संवेदना भेज दें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता विरोधी दल और नेता सदन तथा अन्य पार्टियों के नेताओं ने जो अपने दुःख के उद्गार, सहानुभति के उद्गार श्री केदारनाथ जी बैरिस्टर के निधन पर अभी व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं उनको बहुत दिनों से जानता रहा हूं। जब भी मैं मुरादाबाद गया ऐसा कोई भी समय नहीं आया कि उन्होंने यह न कहा हो कि कृपा करके मेरे घर जरूर आ जायं और हम लोग सार्वजनिक विषयों पर बातचीत करें। राजनैतिक, सामाजिक और शैक्षणिक विषयों पर ही वे चर्चा किया करते थे।

यद्यपि वे वकालत छोड़ चुके थे, ६० वर्ष की आयु में ही, इस पर भी वे और वकीलों को मार्गदर्शन दिया करते थे। ऐसे एक सज्जन के, जो अपने बुढ़ापे में भी आखिर तक सार्वजनिक कामों में अपनी सेवा और समय देता रहा हो, निधन से मुरादाबाद के सार्वजनिक कार्यों को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है । इसलिय मैं उनके संतप्त परिवार को अपनी सहानुभूति भेज दूंगा। साथ ही इस सदन की जो सहानुभूति एवं भावनायें हैं उनको भी भेज दूंगा। अब हम उनकी आत्मा की शान्ति के लिय एक मिनट खड़े होकर परमात्मा से प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य १ मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

विभिन्न व्यवस्था के प्रश्न

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न.....

श्री अध्यक्ष---

अब अगला कार्यक्रम शुरू होगा। माननीय सजीवन लाल अपना भाषण शुरू करें। आप कृपया बैठें। (व्यवधान)

(श्री सजीवनलाल बोलने के लिये खड़े हुये।)

(श्री कृष्णानन्द राय ने खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा। श्री अध्यक्ष ने उनको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी और कहा कि अब श्री सजीवन लाल भाषण करेंगे। किन्तु श्री कृष्णानन्द राय ने स्थान ग्रहण नहीं किया और व्यवस्था का प्रश्न उठाने की मांग करते रहे। इस समय सदन में काफी व्यवधान हो रहा था। तब श्री अध्यक्ष ने श्री कृष्णानन्द राय को स्थान ग्रहण करने अथवा सदन छोड़ने को कहा। श्री कृष्णानन्द राय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इस समय अनेक सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये एक साथ खड़े होकर बोलने लगे। श्री कृष्णानन्द राय ने पुनः व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा। श्री अध्यक्ष द्वारा श्री सजीवन लाल को भाषण जारी करने के लिये पुनः पुकारे जाने पर विरोधी दल के अनेक सदस्य एक साथ बोलने लगे और अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष--

इस समय सदन में बहुत शोर हो रहा है, अब मैं १० मिनट के लिये सदन स्थगित करता हूं।

(इस समय १२ बज कर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १२ बज कर २८ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

सरकार द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थता प्रकट करने तथा प्रश्नों के उत्तरों के स्थगित कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री कल्पनाथ सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम २९ (४) की तरफ ले जाना चाहता हूं। नियम २९ प्रश्नों के सम्बन्ध में ही है। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि आज की कार्य सूची में प्रथम और द्वितीय प्रश्न जो आयुर्वेदिक कालेजों से सम्बन्धित था, ऐसा लगता है कि नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये प्रश्न हैं। नियम २९(४) के अन्तर्गत अगर प्राथमिकता न मिले तो उसे अल्पसूचित प्रश्न के रूप में आपके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। अध्यक्ष जी, यह प्रश्न आपके द्वारा स्वीकार किये गये। सरकार ने इसमें **नियम २९ (४)** के अन्तर्गत अपनी असमर्थता व्यक्त की। २९ (४) में है कि यदि सम्बद्ध मंत्री अल्प सूचना पर उसका उत्तर देने की स्थिति में न हो और अध्यक्ष की यह राय हो कि वह पर्याप्त लोक महत्व का है तो वे निदेश दे सकेंगे कि उसको उस दिन की प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाय, जिस दिन नियम के अनुसार तारांकित प्रश्न के रूप में उत्तर के लिये उसकी बारी है।

श्रीमन्, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि प्रश्नों को देख लें कि ऐसा कौन सा कारण था जिससे सरकार इस स्थिति में नहीं थी कि वह अल्प सूचना पर प्रश्नों के उत्तर न दे सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि फिर इस पर सरकार को यह भी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह कह दे कि अभी इसको पोसपोन कर दिया जाय। कम से कम दो स्थगन तो सरकार प्राप्त कर सकती है। इससे उसके अविलम्बनीय होने का महत्व घट जाता है। आप आये दिन नियम ५१ के सिलसिले में यह आदेश दे देते हैं कि आप चाहें तो इस पर अल्पसूचित प्रश्न पूछ लें। सदस्यगण अल्प सूचित प्रश्न पूछने के लिये प्रश्न दें और उसे प्रश्न सूची में आप दे दें तो वह साधारण प्रश्न जैसा हो जाता है जिससे उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है और इस नियम के अनुसार प्रश्न पूछने की जो मंशा है वही समाप्त हो जाती है जिसके अन्तर्गत नियम बनाये गये हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि यह आपके अधिकार से सीधा-सीधा ताल्लुक रखता है। इसलिय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि क्या इस तरह से प्रश्नों का उत्तर न देना नियमानुकूल है ?

श्री अध्यक्ष---

नियम यह है कि अगर वे उत्तर देने के लिये सक्षम न हों तो वे समय मांग सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है "यदि सम्बद्ध मंत्री अल्प सूचना पर उसका उत्तर देने की स्थिति में न हो और अध्यक्ष की यह राय हो कि वह पर्याप्त लोक महत्व का है तो वे निदेश दे सकेंगे कि उसको उस दिन की प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाय जिस दिन नियम के अनुसार तारांकित प्रश्न के रूप में उत्तर के लिये उसकी बारी है।"

इस तरह से तारांकित प्रश्न के रूप में यह रखा गया कि इसका उत्तर सरकार दे। तो व्यवस्था के हिसाब से ही यह है और जहां तक नियम ५१ की बात है, उसमें कह देता हूं कि अल्प-सूचित प्रश्न के रूप में सरकार उसका जवाब दे। और उस वक्त सरकार कुछ न कुछ उत्तर देती है जो उसके पास आया होता है। लेकिन कुछ न कुछ ऐसे उत्तर होते हैं जिसकी सूचना देने पर उनको मंगाने पड़ते हैं और फिर उसके उत्तर देने पड़ते हैं। वह तार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसको लिख देते हैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करें, इसका मतलब यह है कि वह वहां से उसकी इत्तला मंगा लें और उसका उत्तर दें। लेकिन साधारण रूप से अल्पसूचित प्रश्न के बारे में यह नियम लागू होता है।

एक कार्य के बाद दूसरा कार्य आरम्भ होने के बीच औचित्य का प्रश्न उठाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम ३००(२) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। एक भ्रम उत्पन्न हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें जिससे भ्रम का स्पष्टीकरण हो सके। नियम ३००(२) में लिखा है---"औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा। परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्य विन्यास के सम्बन्ध में हो।" श्रीमन्, इसी सदन में नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान की, और हिन्दुस्तान की ही नहीं, जहां जहां पार्लियामेंटरी सिस्टम है, यह मान्य प्रणाली है कि कोई भी सदस्य जबकि कोई कार्य चल रहा हो उसके संबंध में और यदि कोई कार्य न चल रहा है तो दो कार्यों के बीच में कोई औचित्य या व्यवस्था का प्रश्न उठा सकेंगे। इसमें अवश्य है कि अगर आप समझेंगे कि व्यवस्था का प्रश्न नियमों के अनुकूल नहीं है तो आप कह देंगे कि हम नहीं मानते हैं, मैं रिजेक्ट करता हूं। बीसों मर्तबा व्यवस्था या औचित्य का प्रश्न उठता है और अध्यक्ष महोदय कह देते हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

कि व्यवस्था का प्रश्न व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं आता, आप रिजेक्ट कर देते हैं लेकिन व्यवस्था का या औचित्य का प्रश्न उठाने का जो अधिकार है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं से यह निर्णय हुआ हो कि आपको व्यवस्था या औचित्य का प्रश्न उठाने नहीं देंगे । माननीय सुरेंद्र विक्रमसिंह और दूसरे साथी खड़े हुये थे। हो सकता है कि उनका व्यवस्था का प्रश्न सदन की व्यवस्था को चलाने के संबंध में हो । आपने कहा कि बैठ जाइये, मैं इजाजत नहीं देता हूं । और आप एडजर्न करके चले गये । सारा प्रेस और प्रदेश सोचता है कि विरोधी दल सदन का कार्य नहीं चलने देता है । आप ऐडजर्न करने चले जायं, आप हमारे अधिकारों का हनन करें और हमें काम न करने दें, बिना कारण के उठकर कोप भवन में चले जायं, एक हमारा निवेदन है । (एक सदस्य के खड़े होने पर) आप क्यों खड़े हो रहे हैं । हमारी एक प्रार्थना है कि पार्लियामेंटरी पद्धति में सदन के हर सदस्य को यह पूर्ण अधिकार है कि वह व्यवस्था का प्रश्न, औचित्य का प्रश्न उठायें और श्रीमन् को अधिकार है कि आप उसको रिजेक्ट कर दें । लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है श्रीमन् को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि किसी सदस्य को औचित्य या व्यवस्था का प्रश्न उठाने ही न दें । यह निर्णय जब देंगे कि औचित्य का प्रश्न या व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार ही नहीं है तो सारी पार्लियामेंटरी और डेमोक्रैटिक मान्यताओं का आप हनन करेंगे । आप उठ कर चले गये और सारे विरोधी दल को यह तस्वीर देना चाहते हैं कि वह सदन नहीं चलने देना चाहता है, यह काम उचित नहीं है । इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें लिखा है "औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।"

"औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा ।" "परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेगें यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्यविन्यास के संबंध में हो । तो मैंने एक प्रश्न उठाने की वहां पर इजाजत दी थी उन्होंने जो प्रश्न किया वह उससे संबंधित नहीं था और कार्यविन्यास करने के बारे में नहीं था । मैंने देखा कि तीन-चार सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गये । मैंने उस पर एक-एक करके बोलने की इजाजत दी ताकि सदन का कार्य ठीक तरह से चले । तो इस तरह से आप बोलने के लिये खड़े होते हैं, एक साथ खड़े होते हैं तो मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता हूं । इधर के लोग भी एक साथ बोलने के लिये खड़ें हो गये । यहां से माननीय दीपनारायण जी तथा पांडे जी भी खड़े हो गये । सदन का समय गुजारने के लिये एक साथ २५--२५ आदमी खड़े हो जायं तो मैं अन्दाज लगाता हूं कि इससे सदन का समय बेकार चला जायेगा । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं किसी को रोकने की कोशिश नहीं करता हूं । आपने कहा कि मैं प्रश्नों के संबंध में पूछना चाहता हूं तो अब मैं आपको इजाजत देता हूं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कृष्णानन्द राय जी ने कहा है और नियम का हवाला दिया है। (व्यवधान) व्यवस्था तो वही देंगे (व्यवधान) इसी बीच सजीवन लाल बीच में उठे और आप कुर्सी छोड़कर चले गये । तो मेरा कहना यह है कि आप इस तरह से कुर्सी छोड़कर न जाया करें ।

किसी अधिकारी द्वारा शासन को गलत सूचना देने पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि कोई अधिकारी शासन को गलत सूचना दे और मंत्री इसका जवाब दे देते हैं । तो इस गलत सूचना के विषय में मैं आपको जानकारी दिला दूं और आपको लिखित प्रमाण भी दे दूं उसकी हैन्ड राइटिंग भी बता दूं तो क्या यह हमारा अधिकार है कि हम विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकें ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के बारे में मैं रूलिंग दे चुका हूं । यहां पर कारण भी हैं । अधिकारी उत्तर ठीक तरह से नहीं देते और बचने की कोशिश करते हैं । मंत्री को आप सदन का सर्वेंट समझते हैं । उनका काम है । मंत्री जी से आप कह सकते हैं कि यह बात गलत है । इन्क्वायरी के बाद वह सदन के सामने आ जाय और आप फिर देखते हैं कि अभी भी कोई गलत बात हुई है, झूठ बात हुई है। उन्होंने यह मंजूर कर लिया है कि अधिकारी ने गलत बात कही है तो ऐसे मौके पर दोनों चीजें होती हैं एक तो विशेषाधिकार का प्रश्न होता है और दंड भी हो सकता है । विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकता है । किन्तु इन्क्वायरी के लिये आप तत्काल मुझ से मांग कर दें तो मैं ऐसा नहीं कर सकता । विशेषाधिकार का हनन होता है तो आप प्रश्न उठा सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मौजूद हैं, मैं आपके द्वारा इस कागज को उनके पास भेजता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप उनके बाद बोल लें ।

श्री शिवकुमार—

मैं आपसे एक व्यवस्था यह चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य अपना भाषण या सवाल उठाते हैं, वे क्या व्यंगात्मक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं । अभी माननीय कृष्णानन्द राय ने आपके कमरे को "कोप भवन" कहा और यह भी कहा कि आप "कोप भवन" में चले जाते हैं । आपका जो अपना कमरा है उसको "कोप भवन" कहना व्यंगात्मक है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने "कोप भवन" नहीं सुना ।

श्री शिवकुमार—

मैंने उसको स्पष्ट सुना है, कार्यवाही को देख लिया जाय ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

जब आप गुस्सा होकर किसी स्थान पर चले गये तो "कोप भवन" तो वह हो ही गया ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कोप भवन नहीं सुना । अगर आपने कोप भवन कहा है तो इस तरह का शब्द अध्यक्ष के संबंध में कहना ठीक नहीं है । अगर आप चाहें तो उसको वापस ले सकते हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी शब्द का इस्तेमाल किसी संदर्भ में हुआ करता है। मुझे इस समय स्मरण नहीं हो रहा है कि मैंने उसको किस संदर्भ में और किस पृष्ठभूमि में कहा था । अगर आपने उस समय कहा होता तो मैं उसको वापस ले लेता ।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, आपने कहा कि तुम उनके बाद बोल लेना, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया । आप स्वयं ही अव्यवस्था पैदा कर देते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि आपने उसको मजाक में ही कह दिया होगा लेकिन मजाक में भी चेयर के लिये ऐसा कहना सदन की मर्यादा के विरुद्ध है । अगर आप उचित समझें तो उसको वापस ले लें, मैं आपको फोर्स नहीं करता ।

श्री कृष्णानन्दराय—

श्रीमान जी, हमने जो औचित्य का प्रश्न उठाया था वह सदन की मर्यादा के लिये ही उठाया था । उस प्रश्न को आपने स्वीकार कर लिया, इसकी हमें बहुत प्रसन्नता है । हमारा ऐसा कोई आशय नहीं था कि मैं सदन या आपकी मर्यादा के विरुद्ध कोई शब्द कहूं लेकिन अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो मैं उसको वापस लेता हूं ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, आज भी और अक्सर सदन में इस बात का आरोप लगाया जाता है कि प्रश्नों को ठीक प्रकार से नहीं रखा जाता है। मैं इस संबंध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप उनको रखे जाने के बारे में कोई सुधार करें, उसकी कोई व्यवस्था करें जिससे निष्पक्ष रूप से प्रश्नोत्तर रखे जा सकें ।

श्री अध्यक्ष—

अपनी तरफ से जितना प्रयत्न होता है वह मैं करता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार भरसक प्रयत्न करता हूं । मैं समझता हूं धीरे-धीरे लोग नियमों के अनुसार काम करने लग जायेंगे और मैनेजर सिंह जी उसको मान लेंगे कि वह बात हो गयी है।

श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, आप क्वेश्चन आवर में वाकआउट कर गये एक व्यवस्था के प्रश्न पर । आपके वाकआवउट करने से सदन का एक घंटा समय बर्बाद हो गया ।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय में तो अब मैं फैसला दे चुका । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठ जायं ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

मेरे मन में एक बात थी जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । प्रतिदिन हमारे सामने सैकड़ों सवाल आते हैं और ऐसा समय आ जाता है कि थोड़े ही प्रश्नों में सारा समय गुजर जाता है और महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं । एक उदाहरण के लिये मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विभाग के दो अफसरों को एक्सटेंशन दे दिया गया । उसमें मैं सप्लीमेंटरी क्वैश्चन भी करता और कुछ इंफार्मेशन पूछता, लेकिन एक ऐसे स्थान पर उसको रख दिया गया कि सहसा मेरे मन में यह भ्रम पैदा हुआ, वह सही हो या गलत कि कहीं विभाग के द्वारा तो ऐसा नहीं किया गया ताकि हमको अवसर न मिले कि हम अपनी भावना को व्यक्त करते और जानकारी भी हासिल करते । मेरे ही जिले की हरैया तहसील के संबन्ध में माननीय सुखपाल पांडे ने कहा कि कई हजार रुपये का गबन हुआ है और ऐसे स्थान पर इस प्रश्न को रख दिया गया कि वहां पर जो एक अव्यवस्था फैल रही है जिससे शासन की अदूर-दर्शिता के कारण वहां के लोग ग्रसित हो रहे हैं उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त न की जा सके । अगर अल्पसूचित में रखते हैं तो यह लिख कर आ जाता है कि यह कारण है और हम अपनी समझ में उसको महत्व का प्रश्न समझते हैं । तो यह भ्रम पैदा हो रहा है । मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं करता हूं लेकिन इसको सुधारने की गर्ज से कहता हूं कि अगर ऐसे महत्व के प्रश्न रह जायेंगे तो कैसे काम चलेगा । करीब-करीब सौ--सौ प्रश्न हो जाया करते थे जब यहां माननीय टंडन जी बैठते थे । तो यह व्यवस्था का प्रश्न है मेरे मन में एक बात थी वह नम्रतापूर्वक आपके सामने रख दी ।

श्री अध्यक्ष---

अब इसको छोड़िये।

श्री रामकुमार शास्त्री---

सदन छोड़ने की बात जब आये तो जब मन हो तो छोड़ दिया करिये । सदा के लिये भी छोड़ सकते हैं ।

व्यवस्था के प्रश्नों पर अधिक समय देने के बारे में आपत्ति

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)---

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज इधर के सदस्यों को आपसे यह शिकायत है कि जब हम लोग कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो आप ध्यान नहीं देते हैं । आज व्यवस्था के नाम पर माननीय सदस्य क्या १५-२० मिनट तक स्पीच दे सकते हैं ? इसका कोई निवारण आप करेंगे कि व्यवस्था के प्रश्न पर हम दो घंटे स्पीच दें । तो यह व्यवस्था तो नहीं हुई और सदन का समय इतना खराब किया जाता है कि जो बजट है उस पर बोलने का बहुत कम समय मिलता है।

श्री अध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)---

श्रीमन्, एक माननीय सदस्य ने यहां पर कहा कि आपने वाक आउट किया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि आपने वाक आउट किया । दूसरी चीज, माननीय मैनेजर

[श्री कृष्ण चन्द्र]

सिंह ने अभी एक दूसरा भाषण करते हुये कहा कि आप दुर्व्यवस्था पैदा कर रहे हैं इस सदन में आपने पहली बात का भी प्रतिवाद नहीं किया । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच आप इस सदन में दुर्व्यवस्था पैदा कर रहे हैं । इस पर कृपा करके आप कुछ प्रकाश डालें जिससे हमको मालूम हो कि इन दोनों आरोपों में कितना सच है और कितना झूठ है ।

श्री अध्यक्ष—

आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । जो व्यवस्था का प्रश्न सामने आता है उस पर मैं रूलिंग देता हूं । अब मैं हर चीज पर झगड़ा शुरू कर दूं और ऐक्शन लेना शुरू कर दूं तो यह अच्छा नहीं है ।

किसी सरकारी अधिकारी द्वारा शासन को गलत सूचना देने पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

अध्यक्ष जी, आपको सदन स्थगित करना पड़ा और श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह के व्यवस्था के प्रश्न पर यह स्थिति हुई । जब उन्होंने प्रश्न उठाया तो आपने कहा कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर मंत्री देते हैं और आपने यह भी कहा कि अगर कोई अधिकारी गलत जवाब देता है तो हम उसकी जांच नहीं कर सकते । उसकी जांच मंत्री जी कर के सदन को सूचित करेंगे । अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़े महत्व के होते हैं और उनका जवाब एक अवधि के भीतर आ जाता है । प्रश्न की अहमियत तब तक है जब तक कि अधिकार की बात है । अगर कोई बात गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ विधान सभा कार्यवाही करने के लिये सक्षम है । आपने उसे खत्म कर दिया कि हम जांच नहीं कर सकते । तो मैं इसके लिये व्यवस्था चाहता हूं कि अगर कोई रिपोर्ट गलत साबित हो, तो क्या आप उसकी जांच मंत्री जी के सिपुर्द करेंगे और कोई अवधि निश्चित करेंगे कि वर्तमान सत्र के भीतर वह रिपोर्ट सदन के सम्मुख आ जाय । तो ऐसी कोई व्यवस्था आप करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

ऐसी व्यवस्था है कि शीघ्रातिशीघ्र उसका उत्तर दें । इसका दायित्व शासन पर है कि किसी अधिकारी से प्राप्त सूचना पर जो गलत हो, सम्बन्धित मंत्री उस अधिकारी के विरुद्ध जांच करके कार्यवाही करेंगे । इस तरह की व्यवस्था है ।

प्रक्रिया नियमावली के कुछ नियमों में परिवर्तन का सुझाव

श्री दीपनारायणमणि (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । आपकी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ में बनी थी और फिर १९६६ में संशोधित हुई । फिर मान्यवर १९६७–६८ में संविद की सरकार बनी । इसमें नियम २८६–२८९ में सदस्यों के अधिकार दिये हुए हैं । नियम ३१५, २९२ और २९९ में सदन के संचालन की व्यवस्था दी हुई है । मान्यवर, सदन हफ्ते में २, ३ बार स्थगित हो जाय तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब यह रोज-रोज स्थगित हुआ करे तो इसमें आप भी परेशान होते हैं और सदन भी ठीक से नहीं चल पाता है । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह नियमावली पुरानी हो चुकी है । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय नेता विरोधी दल, नेता सदन और सभी दलों के नेता बैठ कर इस पर विचार करें और नियमावली में संशोधन करायें और जो नियमावली बन जाय उसका सख्ती से पालन किया जाय । बार-बार हल्ला होता है तो उससे सदन का कार्य चल नहीं पाता है ।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा–फतेहाबाद)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जो ३–४ बार बोल चुके हैं, वही बोल रहे हैं और दूसरे लोग जो हैं उनको आप बोलने का अवसर नहीं देते हैं। मैं आपके समक्ष यह बात कहना चाहता हूं कि संसोपा से सम्बन्धित चार सदस्य हैं और उनकी तरफ से नाम दिये गये। उन नेताओं की तरफ से नाम दिये गये थे और जो लोग खड़े हुए उनको अवसर नहीं दिया गया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन सभी व्यक्तियों को जो इससे संबंधित हैं उनको अवसर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दीजिये, उसे देखना होगा।

१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १—वृहत जोत कर, अनुदान संख्या २–भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता (क्रमागत,)†

*श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—

बड़े समय के बाद मौका मिला। मैं अपने उन साथियों का जो कल बोल चुके हैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूं, इसलिए कि पूरे हाउस की करीब करीब एक राय चल रही है और मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रश्न मैंने कल उठाये उन पर अपनी राय दें और आज मैं जानना चाहता हूं कि वह सीलिंग के विषय में क्या कहना चाहते हैं, सीलिंग पर उनकी क्या राय है और भूमिहीनों को जो गलत ढंग से बेदखल किया जा रहा है, लम्बे लम्बे जुर्माने हो रहे हैं

(इस समय १ बजे उपाध्यक्ष श्री बासुदेव पीठासीन हुए।)

उस पर क्या हो रहा है और जो आपने यह नारा दिया था कि ३० जून तक पट्टे होंगे उसमें आपकी क्या राय है? इन सब चीजों पर आप अपनी राय दीजिये। यही नहीं, और प्रदेशों के अन्दर, मुझे केरल का मालूम है कि २५ लाख आदमियों को पट्टे दिये जा चुके हैं जमीन के। बंगाल के अन्दर ३ लाख एकड़ जमीन दे दी गयी है। और आप लोग जो गांधीवादी विचाराधारा के हैं आप जबलपुर और अहमदाबाद भी गये होंगे और आपने डा० पट्टाभि सीता रमैया की किताब "कांग्रेस का इतिहास" को पढ़ा होगा जिसमें इन भूमिहीनों और गरीबों का जिक्र है, लेकिन उनकी तरफ आपकी निगाह क्यों नहीं गयी, इसका आप जवाब दीजिये जिससे भूमिहीनों के विषय में जो दबे-पिसे हैं मालूम हो सके कि आप क्या कर रहे हैं। आप हरी क्रान्ति का नारा देते हैं, "अधिक अन्न उपजाओ" का नारा देते हैं लेकिन जब गरीब भूमिहीन किसान अधिक अन्न उपजाने की कोशिश करते हैं तो आप उनको तबाह और बर्बाद करते हैं।

मैं यह जिक्र करना चाहता था कि सीलिंग के विषय में क्या कर रहे हैं? मैं चौधरी साहब से इस बात का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि आपका इंडीकेट सरकार के दबाव की वजह से कार्य होता है। वह जो "लौह पुरुष" कहे जाते हैं, बहुत ही मजबूत आदमी, आज वह चौधरी साहब भी अपनी उन बातों से डिग रहे हैं। तो आज उनके विषय में हमें सदन को बताना होगा कि क्या-क्या आज की विचारधाराएं इस विषय में हैं। यह भी देखना होगा कि जो सामन्ती अवशेषों को अब भी आपने कायम रखा है, जो नयी प्रथा आपने कायम कर दी है, जो गांवों के अन्दर नये जमींदार पैदा कर दिये हैं उनके विषय में क्या कहना है। आपके वक्त में जमीनों के अन्दर जो पूंजीवादी विकास हो रहा है और १०–१५ हजार एकड़ जमींनें हमारे सूबे के अन्दर

---

† १ जून, १९७० की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सजींवनलाल]

आपने मिल-मालिकों को दे रखी हैं जिनके पास लाखों रुपये की आमदनी है और जिनको करोड़ों रुपयों का मुनाफा है उन्हीं को आपने जमीनें दीं, भूमिहीन और गरीब किसानों को जो खेतिहर हैं, जो फावड़ा और कुदाल चलाना चाहते हैं उनको नहीं दीं। इसलिए बताइये कि जो बिड़ला का फार्म है, जो इसहाक का फार्म है, जो पीपरी वालों का है या बड़े-बड़े शुगर मिल मालिकों का हैं उनके विषय में क्या कार्यवाही आप करने जा रहे हैं और उन भूमिहीनों को जमीन बांटने का इरादा आप रखते हैं या नहीं ? आपने बताया कि हमारे इतने पट्टे पिछली बार हुए। ३ लाख, ८ हजार रह गये थे उनमें से १,८४,००० गलत पाये। यह आपके शासन काल में हुआ। अगर पट्टों की पुनः जांच की जाय तो फिर गलत निकलेंगे। अगर इस तरह से गरीबों को दुख पहुंचाया गया तो यह बड़ी गलत बात होगी।

गरीबों में यह जो बढ़ती हुई भुखमरी है यह गरीबों को दबा नहीं सकती। जर्मनी के अन्दर हिटलर, इटली में मुसोलिनी, रशा में जार, चीन में च्यांगकाई शेख और जापान में तो जो दबा नहीं सके तो आप क्या दबा सकेंगे ? मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन इस विषय में हो चुका है कि भूमिहीनों के लिए उनकी सुविधा के लिए उनको जमीन मिले इसके लिए सख्त कदम उठाये जायं। इस विषय में इसी सदन के अन्दर माननीय भानु प्रताप जी ने यह बात भी बताई है कि जो अकर्मण्य आदमी हैं जो पौधे तक नहीं पहचानते हैं उनको आपने जमीन दे रखी है और उनको आज तक जमीन से नहीं हटाया जा सका है। उनके पास जमीन जबरदस्ती कब्जे की है। मान लिया एक हजार का फार्म उनका है लेकिन उन्होंने १२ सौ बीघे पर कब्जा कर लिया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ? जो सीलिंग से जमीन निकली वही फिर उनको पट्टे पर दे दी तो श्रीमन्, इन भूमिहीनों को ज्यादा दिन अत्याचार से दबाया नहीं जा सकता। इसलिए आज भूमिहीन, खेतिहर मजदूर मैदान में आ रहा है और वह उन जमीनों पर कब्जा करेगा। पहली जुलाई से उनका आन्दोलन शुरू होगा। आपकी फौज, आपके सिपाही, मैं समझता हूं कि उनको दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे लेकिन यह बात जगजीवनराम जी ने भी कह दी है कि जमीन ऐसे कब्जा करने को नहीं मिलेगी और यही बात और पार्टियों के लोगों ने भी कही हैं। मैं यह चाहता हूं कि आप इस विषय में सख्त कदम उठायें और जल्दी से जल्दी जमीनों का बटवारा करें जिससे कि उन बेचारों को राहत मिले। दूसरे जो ११ हजार, १५ हजार और १६ हजार तक जुर्माने किये गये हैं भूमिहीनों के ऊपर कृपा कर उसके बारे में बतायें कि यह जुर्माने रद्द किये जायंग या वापस लिये जायंगे या नहीं ? मान लिया कि उन्होंने कोई एसी जमीन पर कब्जा किया जो स्कूल की हो या चक रोड हो या नाली हो तो उसके लिए हो तो वह बात दूसरी है लेकिन जब ऐसी जमीनें नहीं हैं और बिल्कुल ऊसर, बंजर है तो आप उनको किस आधार पर परेशान कर रहे हैं। इसका जवाब आप सदन के अन्दर दें जिससे कि नई रोशनी और राहत मिल सके।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मैं इस कटौती के प्रस्ताव का जो माननीय भानु प्रताप जी ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने क लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मान्यवर, मंत्री जी को आपके द्वारा कुछ राजस्व विभाग के बारे में सुझाव देना चाहता हूं और मुझे आशा है कि मंत्री जी उस तरफ ध्यान देंगे। आज समस्त उत्तर प्रदेश में करीब करीब चकबन्दी समाप्त होने वाली है लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि चकबन्दी हो जाने के बाद जो ग्राम समाज की जमीन थीं चाहे वह आबादी के लिए छूटी हो, चक रोडों के लिए छूटी हो या किसी दूसरे काम के लिए छोड़ी गई हो उसकी तरफ माल विभाग ने कोई खास ध्यान नहीं दिया और नतीजा यह हुआ कि आज तमाम जमीनें लोगों ने अपने कब्जे में कर लीं हैं। इस तरह गैरकानूनी ढंग से कब्जा करने के बाद बार बार सरकार का ध्यान दिलाने पर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया कि वह जमीन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खाली कराई जा सके। मिसाल के लिए मैं बताऊं कि ग्राम मझोली खास तहसील बिलारी की आबादी की जमीन पर लोगों ने १९६३-६४ में कब्जा कर लिया। हाई कोर्ट तक मुकदमा चला लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक माल विभाग उस जमीन को खाली नहीं करा सका है। इस तरह की जगह-जगह शिकायतें मिलेंगी। प्रधानों ने खुद ऐसी जमीनों को बटाई पर देकर आठ आठ सौ मन गल्ला लिया लेकिन सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि इसके लिए सरकार खास तौर से ड्राइव चलावे। जब तक कोई ड्राइव नहीं चलाया जावेगा वह जमीनें खाली होने वाली नहीं है और चकबन्दी से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चकबन्दी का काम जितने लोग करते हैं आपस में सलाह मशविरा करके नहीं करते हैं। जिस गांव में चकबन्दी होती है वहां २५-२५ एकड़ के रेकटेंगलर प्लाट काटे जाते हैं, पत्थर गाड़े जाते हैं लेकिन जब वह अलग-अलग चक लोग नापते हैं तो एक भी चक २५ एकड़ की पूरी नाप का नहीं मिलता। तो या तो यह फर्जी नपाई करते हैं या जानबूझ कर गलती करते हैं। जब अलग-अलग चक निकाले जाते हैं तो एक भी चक पूरी नाप का नहीं होता, इसकी वजह से रिश्वत चलती है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चकबन्दी के जो ज्वाइंट डाइरेक्टर साहब हैं वह मुरादाबाद के हैं। मुरादाबाद में जो चकबन्दी का काम है वह उनकी वजह से प्रभावित हो रहा है। वहां जिस तरह से वह चाहते हैं लोगों को चक दिया जा रहा है।

एक और अहम बात है जिसकी तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं। आज जगह जगह फर्जी कोआपरेटिव फार्मिग सोसाइटी प्रदेश में बन गई हैं। गांव समाज के जो तालाब हैं, गांव समाज की जो जमीन है उसको एलाट कराने के लिए ज्वाइंट कोआपरेटिव फार्मिंग के नाम से सोसाइटी लोगों ने बना ली है वास्तव में वह है नहीं सिर्फ नाम है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि लक्ष्मीपुर कट्टई ज्वाइंट फार्मिग कोआपरेटिव सोसाइटी मुरादाबाद में है। उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके पास कोई जमीन नहीं है सिर्फ इस नाम से रजिस्ट्रेशन करा लिया है और सिर्फ इसलिए कि जहां मौका मिले पटवारी और प्रधान से मिल कर बंजर एलाट करा लें दौड़ भाग करके। इस किस्म की सोसाइटी आपको दूसरे प्रदेश में मिलेगी। इस तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है। भरे सदन की मांग है कि हरिजनों को जमीन मिलनी चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ईमानदारी से हरिजनों को आप जमीन नहीं देना चाहते। इसलिये मैंने सुझाव रखा था कि जब नक्शा २३ में चक काटे जायं और देखें कि फलां गांव में ८ प्रतिशत से ज्यादा जमीन फाजिल है और वहां हरिजन हैं और उनको देना है तो क्या वजह है कि नक्शा २३ में ही उस जमीन को हरिजनों के नाम चक क्यों नहीं काट दिया जाता। उनके नाम चक नहीं काटा जाता लिहाजा प्रधान जिस तरीके से चाहता है करता है और हरिजनों को गांवों में जमीन नहीं मिल पाती।

इसके बाद मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं लैण्ड रेकार्ड और रेवेन्यू बोर्ड की तरफ जो कम्पेनसेसन को डील करता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके बोर्ड में १५, २० साल की मिसिलें पड़ी हैं और किसानों को मुआविजा नहीं मिला। इमारतें बन गई लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। किसान धक्के खा रहा है। मिसाल के लिए बतलाता हूं चन्दौसी के अन्दर आई० टी० आई० लगभग ३० एकड़ में बना है। जमीन १९६५ में एक्वायर की गई और उसी शख्स की जमीन हाइडिल के लिए पहले २० एकड़ एक्वायर की गई लेकिन उसको आज तक कम्पेनसेसन नहीं मिला। दूसरी मिसाल कोशी का ब्रिज है जो रामपुर में बना है। उसके लिए १९६५ में जमीन एक्वायर हुई। पुल रामपुर और मुरादाबाद के बीच में बन चुका है लेकिन जिसकी जमीन है उसको मुआवजा नहीं मिला है।

इसी तरह से लगान के बारे में भी है। अगर इसको भी आप देखें तो सन् १९६५ से लेकर १९६९ तक लगान की दर भी बढ़ती ही चली गई है और जिस लगान को वे लोग दे रह। आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो जमीन एक्वायर की जाय एक साल के अन्दर ही लगान तय हो जाय

[श्री रियासत हुसेन]

तथा जिस काश्तकार से जमीन एक्वायर की गई है उसको भी उसका मुआवजा जल्दी ही मिल जाय। आपने जो ३,१/८ एकड़ का लगान माफ किया है इसको आपने अनइकोनोमिक होल्डिग मान करही किया है। इसको अनइकोनोमिक होल्डिग नहीं होनी चाहिये। लैण्ड एबोलीशन कमेटी के मुताबिक साथ ही आपका कोई भी ऐसा डाकूमट नहीं है जिसमें यह ३, १/८ एकड़ को अनइकोनोमिक बताया गया हो बल्कि ६, १/४ एकड़ वाली भूमि को ही यह माना जाना चाहिये जैसा की सभी लोगों ने कहा है और अगर आप इसकी जांच भी कोई कमेटी को बैठाकर करें तो यही सिद्ध हो जायेगा। अगर आप कोई कमेटी बैठा दें तो इस बात का निर्णय हो जायगा कि अनइकोनोमिक होल्डिग क्या है। इस तरह से अगर आपको अनइकोनामिक मानकर ही उसका लगान माफ करना था तो वह ६, १/४ एकड़ वाली भूमि पर किया जाना चाहिये था।

दूसरी बात यह है कि जब कोई फरीक यह देखता है कि मैं मुकदमा हार जाऊंगा तब वह यह करता है कि अपने केस का ट्रान्सफर एक स्थान से दूसरे स्थान को करवा लेता है। अभी तहसील जवार में बाबू वर्सेज बशीर जो दोनों भाई थे उनका केस नक्शा ५ पर चल रहा था। बाबू का कहना था कि हमारा खाता अलग बनाया जाय। बशीर यह साबित करना चाहता था कि बाबू उसका भाई नहीं है। परन्तु जब उसने यह देखा कि यह साबित हो जायगा कि बाबू उसका भाई है तो उसने ए० सी० ओ० के यहां रिश्वत देकर काम चलाया और अपने यहां के मुकदमें को दूसरे स्थान पर ट्रान्सफर करवा लिया। दूसरी जगह पर भी यही हुआ और उसने अपने मुकदमें को ५ स्थानों पर ट्रान्सफर करवाया। जब तक इस प्रकार की प्रथा चलती रहेगी तब तक किसी प्रकार की जस्टिस होने वाली नहीं है।

तीसरी बात यह है कि जब किसी जमीन का बैनामा करवाया जाता है तो उसमें यह लिखना होता है कि सारे उत्तर प्रदेश में हमारी और कोई जमीन नहीं है, इसको लिखना पड़ता है। मुझे इस बात का अफसोस है कि दाखिल खारिज करने वाली मशीन भी चाहे चकबन्दी की हो या तहसील में हो उसकी जो मुकम्मिल फीस और जो दरख्वास्त दी जाती है वह शायद ३० या ३५ रु० है उसको देने के बाद यह लिख दिया जाता है कि हमारे पास साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है और उसके लिये कोई देखभाल नहीं की जाती है और केवल यह फीस देना ही काफी है और उसके बाद उसकी दाखिल खारिज हो जाती है। क्या आपके पास कोई ऐसा कन्सालीडेटेड रेकार्ड है कि उसके पास इससे ज्यादा जमीन है और क्या आप कोई इसकी जांच करवाते हैं। केवल बयान देकर और उस पर लिखकर दे देने से ही काम हो जाता है। आप इस चीज को कैन्सिल करवायें बल्कि इस तरह की चीज को बिल्कुल ही खतम कीजिये। इसके बाद मैं कुछ रिवीजन की बात कहना चाहता हूं। आपका जो कानून है लैण्ड रेकार्ड मैनुअल कहीं पर नेचुरल कैलेमिटी हो गई कहीं पर सैलाब आ गया। रबी में कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन जब खरीफ का समय आता है उसमें आपको लैंड रेकार्ड मैनुअल के अन्दर जो परेशानी है कि पूरे खाते में १० आने की खरीफ की जमीन है और १२ आने भर नुकसान हुआ है, तब जाकर रेमिशन मिले। और पिछले दो-तीन सालों में खरीफ की फसल खराब हुई हो तब जाकर मिले। तो नतीजा यह होता है कि जहां खरीफ की फसल खराब होती है उसमें रैमिशन नहीं मिल पाता। इसलिए आप अपने मैनुअल में और कायदे कानून में तब्दीली करें।

श्री मुहम्मद नबी (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि इस विषय पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया। एक गुजारिश करना चाहता हूं कि थोड़ा सा समय मुझे ज्यादा दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

बी० के० डी० का केवल एक ही सदस्य बोला था इसलिए आपको समय मिला है। मैं तो आपस अब पांच मिनट में ही समाप्त करन को कहूंगा।

१९७०-७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १– ६७३ वृहत जोत कर, अनुदान संख्या २–भू- राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८–दुर्भिक्ष सहायता

श्री मुहम्मद नबी—

श्रीमन्, बीस साल से जो हुकूमत चल रही थी इस देश और प्रदेश के अन्दर उसमें फैले हुए भ्रष्टाचार के हम पहले से ही शाकी है, लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते थे क्योंकि हमारा कोई स्थान नहीं था कि हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते। आज यह मौका मिला है। पहले जब मैं इस पार्टी में नहीं आया था, मैंने चौधरी साहब की तारीफ सुनी थी और उसी तारीफ को सुनकर इस पार्टी में आया। जिस वक्त हमारी सरकार बनी हम समझे कि ईमानदार और मजबूत सरकार जिसके लिए हम हमेशा से आंखें बिछाए बैठे थे, वह अब बनी है और इससे प्रदेश का कल्याण होगा। उस वक्त मैंने एक शेर लिखा था जिसे सुनाना चाहता हूं। "ऐ चरन सिंह ऐ चमन के बागवां, तेरे दम से आ रही है अब बहारें बेखजां, तेरा अज्मे नौजवां कामिल है ऐ महरे वतन, तेरी किरणों से चमक जाएगा यह हिन्दोस्तां।" लेकिन इन तीन महीनों की हुकूमत देखने के बाद फिर वही पुराना शेर इकबाल का याद आया। "बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरये खून निकला।" स्वच्छ प्रशासन जो हमने देखा नीतियों और वसूलों के अलावा सिवाय इसके कि चन्द अफसरान का ट्रांसफर कर दिया गया किसी वजह से सस्पेन्ड कर दिया गया, कोई और तब्दीली मैंने नहीं देखी। या इसका मुझे बड़ा अफसोस रहा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे बस्ती जिले में राजस्व विभाग में दो-तीन तहसीलदारों का ट्रांसफर किया गया। मैंने सुना कि ट्रांसफर हो गया है और ऐसे पीरियड में जब कि बच्चे जेरे तालीम है। अप्रैल-मई में ट्रांसफर करना उचित नहीं होता और न कोई सरकार इसे पसन्द करती है। मैंने चौधरी साहब को लेटर लिखा कि ऐसे पीरियड में और जब कि इन्हें यहां आए हुए अभी नौ-नौ और दस-दस महीने ही हुए हैं ट्रांसफर कर दिया गया है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि तहसीलदारों के ट्रांसफर का कोई ज्ञान मुझको नहीं है। मैं बड़ा खुश हुआ और श्रीपति मिश्रा जी जो राजस्व मंत्री थे, उनसे कहा कि यह ट्रांसफर कैंसिल कर दो और जून के बाद अगर आप मुनासिब समझें तो करें और अगर मुनासिब न समझें तो रोक दें, बहरहाल इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, वहां की जनता उनसे काफी खुश है। तो उन्होंने ट्रांसफर आर्डर को कैंसिल किया। जब वह उनका आदेश सेक्रेटरिएट में पहुंचा तो सेक्रेटरियट ने यह आब्जेक्शन लगाया कि मुख्य मंत्री जी के आदेश से ये ट्रांसफर किये गये हैं तो इन पर पुनर्विचार किया जाय। पुनर्विचार उन पर हुआ और उन ट्रांसफर को फिर रद्द किया गया है। तो इस तरह से यह बात हुई।

सीलिंग के बारे में काफी यहां पर कहा जा चुका है। थोड़ा-सा मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि जो सीलिंग का प्रस्ताव लाया जा रहा है उसको लाया जाय और उसको पास किया जाय। मैं तो यहां तक समझता हूं कि हरिजन और भूमिहीनों के लिए इससे भी ज्यादा काम किया जा सकता हो तो किया जाय। यह हम सबके लिये खुशी की बात है और हम इस प्रस्ताव को पास करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन इस सीलिंग के साथ शहरी जायदाद की सीमा भी निर्धारित की जाय यह मुनासिब बात है और उसूल की बात है।

मैं मंत्रि-परिषद् से यह अर्ज करूंगा कि हकक मसावात को भी देखने की कोशिश की जाय क्या जरूरत है कि मंत्रियों को दो-दो हजार रुपया दिया जाय? क्या जरूरत है कि इतना भत्ता दिया जाय? हर चीज को चारों तरफ से सोचने की जरूरत है। अगर इसके लिये रूल में कोई तरमीम करने की जरूरत हो वह की जाय। तभी सही माने में मुल्क का कल्याण हो सकता है और इस प्रदेश की गरीब जनता को सुख मिल सकता है। मैं मंत्रि-परिषद् का ख्याल इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि हकूक मसावात क्या होता है इसको एक मिसाल देकर अर्ज करना चाहता हूं। हकूक मसावात की मिसाल हजरत उमर ने पब्लिक के सामने किस तरह से रखी वह मैं अर्ज करना चाहता हूं। हजरत उमर 'फारूक' ने जब १० मील की मंजिल तय करके उस बारी को बन्द करते थे। एक बार जब ऊंट पर चढ़कर चलते थे तो नौकर

[श्री मुहम्मद नबी]

ऊंट की रस्सी पकड़ कर चलता था । जब एक मंजिल तय हो जाती थी तो दूसरी मंजिल पर खुद नौकर को ऊंट पर बिठाते थे और खुद रस्सी पकड़ कर चलते थे । इस तरह से जब कुस्तुन्तुनिया पहुंचने की बारी आई तो उस वक्त नौकर ऊंट पर बैठा हुआ था और हजरत साहब खुद पैदल रस्सी पकड़ कर चल रहे थे । कुस्तुन्तुनिया वालों ने जब यह देखा कि उनकी तमाम फौज लड़ाई के मैदान में जंग के लिये तैयार है और हजरत उमर साहब के साथ कोई फौज या सिपाही नहीं है तो कुस्तुन्तुनिया वालों ने पूछा कि इसमें खलीफये वक्त कौन हैं । तो ऊपर से उस नौकर ने इशारा करके बताया कि खलीफा साहब नीचे हैं जो ऊंट की रस्सी पकड़े हुये हैं। तो कुस्तुन्तुनिया वालों ने सिर्फ यह खुद देखकर कि ऐसे दौरये खिलाफत में जिसके खलीफा खुद रस्सी पकड़ कर चलें और नौकर को भी मौका दें कि उसको भी आराम मिले तो इससे बेहतर कोई दूसरी शख्सियत नहीं हो सकती, उन लोगों ने अपना झंडा गिरा दिया और हजरत उमर का झंडा बुलन्द कर दिया । उनके हकूक मसावात को उन्होंने माना । इसको ईमानदार और मजबूत हुकूमत कहते हैं कि उन लोगों ने इस तरह से उनकी शख्सियत को देखकर अपने हथियार गिरा दिये और उनका झंडा बुलन्द कर दिया । उस हुकूमत को उन्होंने तसलीम किया । अपना झंडा खम किया । यह है हकूक मसावात । इसी तरह से अगर हमारा मंत्रि-परिषद् भी सबक सीखे और सिखाये तो यहां अगर सीलिंग का प्रस्ताव आयेगा तो वह भी पास होगा और हर गरीब अमीर उस के मुताबिक कदम उठाने की कोशिश करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री मुहम्मद नबी—

५ मिनट का मौका मेहरबानी करके और दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

शेरोसखुन व किस्सागोई वाकई दिलचस्प होती है लेकिन सदन के सामने जो अनुदान है उसके लिये अब वक्त कम है इसलिये अब ज्यादा वक्त देना मुमकिन न होगा ।

श्री कृष्णानन्द राय—

अगर वह बोलना चाहते हैं तो मैं बीच में बोल नहीं रहा हूं, वह अपना भाषण खत्म कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं उनसे कह रहा हूं कि अब वह समाप्त कर दें ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं आप से श्रीमन्, व्यवस्था चाहता हूं कि अभी हमारे आदरणीय सदस्य मोहम्मद नबी ने पूरे सदन के सामने फरमाया है कि उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा अपने जिले के २ तहसीलदारों के तबादले के बारे में कि वह ट्रांसफर न हो और मुख्य मंत्री जी ने उन के पत्र का लिखित उत्तर दिया कि तहसीलदारों के ट्रांसफर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है और उस के बाद माननीय सदस्य नबी साहब ने रेवन्यू मिनिस्टर साहब को अप्रोच किया और उन्होंने उन ट्रांसफर्स के कैंसिलेक्शन का आदेश दे दिया । लेकिन जब वह आदेश सेक्रट-रिएट में सेक्रेटरी के पास आये तो उन्होंने कैंसिलेशन क आदेश न देकर लिखा कि चूंकि यह

आदेश माननीय मुख्य मंत्री जी के हुये हैं इस वास्ते तबादले नहीं रोके जा सकते । इस से साफ जाहिर होता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के माननीय सदस्य को झूठा पत्र लिखा था कि तहसीलदारों के ट्रांसफर में उनका हाथ नहीं है, हालांकि सेक्रेटरिएट के नोटिंग से साफ जाहिर हो गया कि उस में उन का हाथ था । तो माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सदन के आदरणीय सदस्य को लिखित रूप से झूठा उत्तर देना सदन के विशेषाधिकर का प्रश्न है या नहीं यह मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष––

जो कथन माननीय सदस्य ने सदन के समक्ष दिया है उसमें केवल यही कहा है, शब्द चाहें जो हों, हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी कहें कि ऐसा पत्र नहीं दिया तो इस को देखना होगा । अगर आप विशेषाधिकार के प्रश्न का विषय समझते हैं तो आप लिख सकते हैं । हम फिर उसको देख लेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय––

कल हम इस को लिखकर भेजेंगे यदि आप की आज्ञा है तो·····।

श्री उपाध्यक्ष––

आज्ञा मैं नहीं देता, आप को अधिकार है कि उस का उपयोग करते हुये जो आप उचित समझते हों वह करें, मेरा जो अधिकार है वह मैंने आप को बता दिया ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

अभी मंत्री जी को उत्तर भी देना है और श्री भानु प्रताप सिंह भी उत्तर देंगे क्योंकि उनकी कटौती का प्रस्ताव है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)––

श्रीमन्, अभी मंत्री जी को भी डेढ़ दिन के वाद-विवाद का उत्तर देना है, उनको कम से कम १ घंटा तो मिलना ही चाहिये ।

(श्री नगीना सिंह व श्री रूपनाथ सिंह यादव के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष (श्री रूपनाथ सिंह यादव से) आप भी खड़े हैं और श्री नगीना सिंह भी खड़े हैं, अध्यक्ष जी ने कहा कि उनको भी लिस्ट आ जाय इसलिये मैं रोक रहा हूं । इसलिये जो दूसरा अनुदान इसी से मिलता जुलता है और संबंधित है उसमें मैं समय आप को अवश्य दूंगा । जिनको इसमें समय नहीं मिला है उनको समय देने की मैं कोशिश करूंगा ।

श्री डूंगर सिंह यिष्ट (जिला नैनीताल)––

जहां की समस्या है वहां का तो अभी एक भी सदस्य नहीं बोला है।

श्री उपाध्यक्ष––

इतना समय तो मैं बढ़ा नहीं सकता । समय नहीं है तो क्या करें । अभी भानु-प्रताप सिंह जी जिन की कटौती है वह बोलेंगे और फिर राजस्व मंत्री जी बोलेंगे ।

श्री महीलाल––

मालूम होता है कि अब श्री भानु प्रताप सिंह जी को कुछ कहना नहीं है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)––

श्रीमन् यह रेवेन्यू विभाग का अनुदान है और इसी से संबंधित सोशलिस्ट पार्टी की मांग थी और आन्दोलन भी चला कि सवा ६ एकड़ तक के किसानों को लगान की माफी दी जाय और १५ एकड़ की सीलिंग करके भूमिहीनों में जमीन का बंटवारा किया जाय और इन प्रश्नों

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

को बराबर समाजवादी दल २० साल से उठा रहा है और उसी शोसलिस्ट पार्टी के सदस्यों को बहुत कम समय दिया गया है। केवल एक सदस्य को ही थोड़ा-सा समय इस अनुदान पर मिला है और हमारी पार्टी ने इसी चीज को लेकर संविद सरकार से स्तीफा दिया था और हमारी लड़ाई गरीब किसानों और मजदूरों के लिये बराबर चल रही है लेकिन हमारे दल को कोई समय आपने नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि श्री भानु प्रताप सिंह तथा राजस्व मंत्री जी के समय में से हमें दस मिनट अवश्य दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह किसी पार्टी के सम्पूर्ण आन्दोलनों की विवेचना का स्थल नहीं है यदि समय नहीं है तो क्या करें और कई दफा जब माननीय सदस्यों को पूरा मौका नहीं मिलता है तो मंत्री जी द्वारा जवाब देने की आप शिकायत करते हैं। इसलिए मैं मजबूर हूं। अभी जो दूसरा अनुदान आयेगा, जो इससे ही संबंधित है, उस पर बोल लें ?

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है। जितने भी माननीय सदस्य बोले उससे मेरा काम काफी हलका हो गया क्योंकि उनमें से शायद ही कोई सदस्य हो जिसने मेरे विचारों का मेरी मांगों का समर्थन न किया हो, चाहे इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के बैठने वाले लोग हों।

श्रीमन्, मैं एक बात अपने भाषण में भूल तो नहीं गया लेकिन उस पर बल नहीं दिया था और उसे इस अवसर पर सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। और वह यह है कि जो माननीय सजीवन लाल जी ने कही है, मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि जो आप धारा ११५(सी) के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं, वह इतनी अनुचित है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है। और यदि उसे तत्काल न रोका गया तो मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि सैकड़ों व्यक्ति हमारे बस्ती जिले से शायद उजड़ कर या तो नैपाल या अन्य कहीं चले जायेंगे। कम से कम अगर आप इसको पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं तो इस हद तक तो रोक दीजिए कि यदि ऐसी कार्यवाही उनके विरुद्ध हो रही है जो पहले से भूमिहीन हैं उनके विरुद्ध तो यह कार्यवाही रुक जानी ही चाहिए। बाकी जिनके पास पहले जमीन थी उनको भले ही आप ले लें। श्रीमन्, मेरे तहसील में एक गांव नदी के किनारे बसा है। जमीन कच्ची रहती है। वह इधर से उधर आ गयी। किसान यह समझते थे कि यह हमारी ही जमीन है। उन्होंने उसे जोतना आरम्भ कर दिया। उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की। नासमझी से उनके पूरे के पूरे गांव पर एक लाख रुपया सामूहिक रूप से जुर्माना होने वाला है। तो जहां आप भूमिहीनों के विरुद्ध कोई न कार्यवाही न करें, वहां इन गांवों को जो नदी के किनारे पर पड़ते हैं, उसकी भी पूरी तरह से जांच-पड़ताल करवा लें और उसके बाद ही कोई कार्यवाही करायें।

श्रीमन्, जितने माननीय सदस्य इस कटौती के प्रस्ताव पर बोले हैं, उनमें से सब अधिक ध्यानपूर्वक मैंने राही जी की बातों को सुना और इसलिए सुना कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे हृदय से बोल रहे हैं। मुझे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से पूरी सहानुभूति है और जो कुछ भी उनके लिये किया जायगा मैं उसका समर्थन करूंगा परन्तु मैं सिर्फ उनसे और पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि आज इन खेतिहर मजदूरों की दुर्दशा के मूल कारण क्या है। क्या जो जमीन है उसके बटवारे से समस्या का समाधान हो सकता है। उन लोगों की निगाह में भूमि वितरण का स्वरूप है कि सबको बराबर जमीन बांट दी जाय। यह तो ऐसा मालूम होता है कि एक दौड़ लगी है, पहले सरकार ने ४० एकड़ की बात कही, फिर चरण सिंह साहब ने ३० एकड़ की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात कही और फिर किसी ने कहा कि यह १५ होगी और फिर किसी ने कहा कि वह अब १२ होगी । तो इसका अंतिम स्वरूप जो सर्वोत्तम होगा वह यह है कि जमीन बराबर बांट दी जाय। जमीन बराबर बांटने का परिणाम यह होगा कि प्रत्येक परिवार को ढाई एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में मिल जायेगी । मैं पूछना चाहता हूं कि जो सर्वोत्तम स्वरूप इसका है इसको भी अगर अमल में ले आयें तो क्या इस प्रदेश की गरीबी और यह बेरोजगारी दूर हो जायगी । जो दर्दनाक बातें कही गई कि भोजन नहीं करने को मिलता है, रहने के लिए मकान नहीं, शिक्षा नहीं । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जमीन को एकदम समान रूप से बांट दिया जाय और प्रत्येक परिवार को अढ़ाई एकड़ जमीन दे दी जाय तो क्या गरीबी दूर हो जायगी । यदि हो जाय तो मुझको कोई आपत्ति नहीं । लेकिन यदि ऐसा किया गया तो तीन बातों की गारन्टी हो जायगी । हर एक आदमी सर्द्ध-बेरोजगार हो जायगा, हर एक आदमी गरीब हो जायगा और हर एक आदमी भूखों मरेगा क्योंकि पैदा नहीं होगा ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मान्यवर, ऐसा है कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में जिसके पास जमीन नहीं है उसके ऊपर सीलिंग लगा दी है। दूसरे शख्स जो पहले से चालीस एकड़ लिये हैं उन पर कोई सीलिंग नहीं लगी । कोई हरिजन चाहे तो १२ एकड़ से अधिक जमीन नहीं खरीद सकता । जो जमींदार थे वे भूमिधर हो गये उनके पास चालीस एकड़ है। उसको चाहे जो ....

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

अगर माननीय सदस्य को कोई स्पष्टीकरण का प्रश्न पूछना होता तो....

श्री उपाध्यक्ष---

आपने स्वयं बैठकर आहुत किया कि वे कहें ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर सबको जमीन बराबर बांट दी जाय तो समस्या का हल नहीं होने वाला है। अगर जमीन बांटना ही उद्देश्य है तो मैंने कल तीन-चार तरीके बताये थे । उनको फिर दुहरा देता हूं । जमीन जो खेती के योग्य है आप उस जमीन को खेती के योग्य बनाइये । दूसरा मैंने यह बताया था कि फो अकर्मण्य हैं जो बटाई पर खेती दिये हुए हैं उनकी जमीन ले ली जाय । तीसरे मैं कहता हूं कि पूंजीपतियों और उद्योग-पतियों के पास जो जमीन फाजिल पड़ी हुई है उसको ले लीजिये । सबसे विचित्र बात जिसकी ओर सबको ध्यान देना चाहिये कि सीलिंग का कानून जो बने तो ग्रामीण भू-स्वामी पर ही वह लागू हो । जो उद्योगपति थे चीनी के कारखानों के मालिक उन पर वह सीलिंग का कानून बनने के बावजूद भी लागू नहीं हुआ । १,५०० एकड़ या दो हजार एकड़ की बात किया करते हैं हमारे साम्यवादी सदस्यगण, वे सबके सब उद्योगपतियों के खवाब में है । उद्योगपतियों का इतना प्रबल प्रभाव है कि दस वर्ष हो गये सीलिंग का कानून लगने के बाद भी उनको जमीन मिली हुई है । मैं उधर भी ध्यान दिलाता हूं । जंगल विभाग ने बहुत सी जमीन पर कब्जा कर रक्खा है जिन पर न जंगल हैं और न अगले १५–२० वर्षों तक जंगल लगने वाला है। जिन पर जंगल लगाने का प्रोग्राम नहीं है । इस आशा में कि कभी जंगल विभाग जंगल लगायेगा उसको खाली छोड़ रखना कौन सी बुद्धिमानी है । अगर आप वास्तव में जमीन बांटना चाहते हैं, असलियत तो और ही है, जमीन बांटना आपका उद्देश्य नहीं है। श्रीमन्, आज समाचार-पत्रों में छपा है कि केंद्रीय सरकार द्वारा शहरी सम्पत्ति की सीमा पांच लाख रुपये निर्धारित की जायेगी । यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सम्पत्ति का अर्थ कोई कम्पनी के शेयर से नहीं है। किसी फैक्टरी से नहीं है । कोई पचास बसें या ट्रकें चलाता है उससे

[श्री भानुप्रताप सिंह]

नहीं है। या कोई दूकान रक्खे है जिसमें दस लाख की सम्पत्ति रक्खी है उससे नहीं है। सम्पत्ति का अर्थ केवल शहर की जमीन और मकान से है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जब बोलें तो उनसे पूछ ना चाहूंगा कि आखिर यह शहर की जमीन और भवन के लिए पांच लाख की सीमा स्वीकार करना चाहते हैं तो आपको यही सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये रखना चाहिये, इसमें आपको क्या कठिनाई है । मै उदाहरण के लिये बताना चाहता हूं कि इसी लखनऊ शहर में आज से ६ साल पहल जिन लोगों ने एक रुपये स्क्वायरफुट के हिसाब से जमीन ली थी आज उसे वे ४ रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से बेच रहे हैं । इसके विपरीत एक किसान जो जमौन में परिश्रम करता है पूंजी लगाता है और तमाम खतरे मोल लेता है फिर भी उसको उतना लाभ नहीं होता जो उन लोगों को शहर में हो जाता है जो खाली जमीन खरीद कर ही डाल देते हैं ।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं । जैसे किसान से आप मालगुजारी वसूल करते है, उस मालगुजारी का नाम आप बदल दीजिये । मालगुजारी के बजाय उसको फसल बीमा करके उसके रूप में वसूल कीजिये । और उससे जो धन उपलब्ध हो उसे जो दैवी प्रकोप आदि के कारण नुकसान हो उसमें उसे खर्च किया जाय । मैं जो मालगुजारी के लिये आपत्ति करता हूं वह उनकी गरीबी के लिये नहीं करता, वह इसलिये करता हूं कि वह एक दकियानूसी प्रथा है। इसलिये उसको बदलिये । आज जिसका एक हजार का नुकसान होता है उनको आप १०–२० रुपये दे देते हैं। आखिर आप इन्श्योरेंस की बात चल रही है। इसलिये यह अच्छा हो कि आप इस मालगुजारी के नाम को बदल कर फसल बीमा करके उस रूप में उसे वसूल करें । लाल बत्ती आपने दिखा दी है, अंत में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी जो बात करें सफाई के साथ करें और ऐसी बात कहें जिसका कुछ अर्थ निकाला जा सके, दो अर्थ वाली बातें कहने से कोई लाभ नहीं होना ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

ग्राम समाज की भूमि पर जोअनधिकृत कब्जा लोगों ने कर रखा है जिसकी मियाद नियमों में ६ वर्ष है, क्या मंत्री जी उसको ३० वर्ष करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह अगला जो अनुदान है जब इस पर विचार हो तब आप इस प्रश्न को पूंछ लें ।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने बहुत दिलचस्पी के साथ इस विभाग की अनुदानों के संबंध में अपने विचार रखे और उपयोगी सुझाव दिये । यह माल विभाग ऐसा है जो ग्रामीण जनता से ही संबंध रखता है और उत्तर प्रदेश की जो ७५ फीसदी गरीब जनता है उससे उसका सीधा संबंध है । मैं माननीय भानु प्रताप सिंह जी का विशेषकर आभारी हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और विद्वता के साथ अपनी तैयारी की अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुये महत्वपूर्ण सुझाव दिये । लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि उन्होंने मेरे बोलने के पहले ही मुझ पर लांछन लगा दिया कि मैं कोई बनावटी बात न कहूं । यह सुन कर मुझे शक हुआ कि कहीं माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने तो कहीं बनावटी बातें नहीं कही हैं। मान्यवर, वे स्वयं जो कुछ उन्होंने बनावटी बातें कहीं उनमें फंस गये क्योंकि जिनकी हमदर्दी में वे खड़े हुये थे फिर उन्हीं का विरोध होने लगा । मैं वास्तव में जो फील करता हूं, जो मानता हूं, उसी को चलाना चाहता हूं और चलाऊंगा अगर इस विभाग में मैं रहा । मैं इत्मिनान दिलाना चाहता हूं कि दो तरह की बात करना मुझे पसन्द नहीं है, किन्तु सामूहिक तरीके से सरकार का बहुमत से जो फैसला होता है उसको करना ही पड़ता है, उसकी वकालत भी करनी पड़ती है, उस समय अपनी व्यक्तिगत राय भले ही कुछ और हो । श्रीमन्, माननीय भानुप्रताप जी ने जो

सबसे पहली बात कही वह यह कही कि सरकार सामन्तशाही प्रवृत्ति से ओतप्रोत है, उसी तरह का काम कर रही है, क्योंकि उसने जमींदारी का तो विनाश किया लेकिन लगान ले रही है । केवल लगान ले रही है, इसलिये सामन्तशाही प्रवृत्ति इसकी है और उन्होंने कहा कि काश्तकारों और भूमिधरों को मिल्कियत नहीं दी गई है । मैं तो भानुप्रताप जी के बारे में इतना जानता हूं कि वह कानून जानते है, उनको ज्ञान होना चाहिये कि सार्वभौमिक सत्ता की जो सरकार है, उसमें भूमि अन्तोगत्वा सरकार की ही थी और अब भी है। सार्वभौमिक सत्ता के नाते उसका अधिकार अब भी भूमि पर है । यह तो एक प्रथा रही है, जो युगों से चली आई है, और उसमें परिवर्तन हुआ है । जमींदारी तो सरकार की थी और आज भी है । पहले अंग्रेजी सरकार में सरकार ने अपनी क्लास बनाने के लिये उनको जमींदारों को कुछ रियायतें दी थीं । आज उन्होंने लगान की बात कही, आज जो लगान वसूल हो रहा है, हो सकता है उसमें कहीं थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार हो और मैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिये तैयार हूं, लेकिन उस जमाने में जो वसूल होता था उसका भी तजुर्बा उनको होगा । उस जमाने में लगान वसूली में जो ज्यादती, अत्याचार और न्याय होता था वह बात किसी से छिपी नहीं है । उन्होंने जो बात कही, तो मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि और भले कुछ न हो, आज इस बात में कांग्रेस सफल हुई है, इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार सफल हुई है । यही कारण है कि आज भानुप्रताप जी व सजीवन लाल जी दोनों एक ही बात कहते है, चाहे उनकी भाषा में फर्क भले ही हो । आज यह सफलता तो माननी ही पड़ेगी कि भानुप्रताप सिंह जी, जिनकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि बड़े-बड़े सर्मायेदारों की है, उनका प्रतिनिधित्व करती है, वह जो कंजरवेटिज्म में विश्वास करती है, जो स्टेट्स को बनाये रखना चाहती है, उत्तर प्रदेश में वही भाषा बोल रहे हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं और सजीवन लाल जी बोल रहे हैं । क्योंकि यह जनता की ट्रेनिंग हुई है कि वह और कोई भाषा सुनेगी ही नहीं और इसीलिये विवश होकर आपको भी वही शक्ल बनानी पड़ती है।

सवा तीन और सवा छः एकड़ की लगान माफी की जो बात कही जाती है, उस पर थोड़ा-सा मैं अर्ज करना चाहता हूं, बहुत नर्मी के साथ अर्ज करूंगा कि छः, सवा छः एकड़ का जो मंत्र आपने पकड़ा है कि सवा छः एकड़ का अलाभकर है । एक कांग्रेसी ने सवा छ. एकड़ को रखा था । जमींदारी एबालीशन के पहले कांग्रेस एग्रेरिएन कमेटी बनी थी, पंत जी वगैरह उसके सदस्य थे । उन्होंने इस समस्या को देखा और उनको मौका मिला सरकार में आने का और जब जमींदारी प्रथा टूटी तो उसमें आमतौर पर यह माना गया कि सवा ६ एकड़ की जमीन के नीचे के लोग अलाभकर जोत वाले है उनको फायदा नहीं है । यह कोई नई बात नहीं है । यह कांग्रेस का प्रोग्राम है और कांग्रेस ने उसे पूरा किया है । मैं दावा नहीं करता कि ३-१/८ एकड़ से ऊपर का कोई किसान अलाभकर जोत वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सी परिस्थितियों पर यह बात मयस्सर करती है । मेरा दावा है कि ३ १/८ एकड़ के लोग तो निश्चय ही अलाभ कर जोतों के काश्तकार है और सबसे पहले उनको राहत देना, उनको फायदा पहुंचाना चाहिये सरकार को और वह हमने किया है ।

श्रीमन्, व्यावहारिक दृष्टि से देखे तो मैं कहना चाहता हूं और दिल से कहता हूं, इसको जरा माननीय भानु प्रताप सिंह जी सुने । उन्होंने कहा कि यह जो सवा ६ एकड़ की बात थी, जमींदारी एबालिशन कमेटी के सामने चौधरी चरण सिंह जी ने बयान दिया, और लोगों ने भी बयान दिया और अधिकतर लोगों ने यह बात कही कि सवा ६ एकड़ तक की लाभकर काश्तकारी है । आमतौर से यह मान्यता हो गयी । यह सवाल चाहे एग्रेरियन कमेटी के सामने पहले आया हो, जमींदारी एबालिशन के पहले यह जमींदारी उन्मूलन कमेटी के सामने आया जिसमें माननीय रावत जी भी सदस्य थे । चाहे पहले और आया हो लेकिन इसमें हमेशा दो राय रहीं कि अलाभकर जोत क्या है और यह परिस्थितियों के ऊपर मुनहसिर करता है । १९०३ में श्री कर ने जो कहा था वह उस रिपोर्ट में है । जमींदारी एबालिशन कमेटी में उनकी राय अंकित

[श्री चतुर्भुज शर्मा[

है। यू० पी० के सर्कम्स्टेंसेज को देखते हुए और उस जमाने की बातों को देखते हुये उनकी राय थी कि ढाई एकड़ तक की जमीन ऐसी है जो कि अनइकोनामिक मानी जानी चाहिये। उसके बाद उस रिपोर्ट में उन्होंने कोट किया है कि उस जमाने में यानी १९०३ में अगर लगान को ९६ मान लें तो आज १९७० में वह १६६ हो गया। तब से कोई लगान नहीं बढ़ा है। उस जमाने में कौन से फैक्टर्स थे जिनसे उतनी होल्डिंग्स को अनइकोनामिक कहा गया। इसके लिये यह देखना पड़ता है कि जो जमीन है वह किस किस्म की है, उसमें पैदा करने की कितनी शक्ति है। दूसरे साधन सिंचाई वगैरह के तथा मार्केटिंग फैसिलिटीज वगैरह कितनी है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी उस कला को करता है यानी काश्तकार है वह कितना इंडस्ट्रियस है। ये तमाम फैक्टर्स हैं जिन पर किसी होल्डिंग को इकोनामिक या अनइकोनामिक होल्डिंग कहा जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरठ में जो जमीन होगी उसकी दुगुनी भी हमारे बुन्देलखंड में या बाहर एकोनामिक नहीं होगी। मेरठ में एक एकड़ भी होगा तो वह हमारे यहां के ३–४ एकड़ के बराबर होगा। वहां के सवा ६ एकड़ में जो पैदावार होगी वह हमारे यहां के २५ एकड़ में भी नहीं होगी। ऐसा भी काश्तकार होता है जिसके लिये सभी फैक्टर्स उल्टा ही पड़ता है। जैसे कोई हरिजन है या कोई हल चलाने वाला है जो सही माने में जमीन का मालिक है, अगर उसके पास एक जमीन हो, एक जमीन ब्राह्मण या ठाकुर के पास हो तो दोनो काश्तकारों में बहुत फर्क पड़ जायेगा सिंचाई वगैरह की बातों में। सन् १९४८ में कमेटी के सामने जो बयानात हुये थे उसके आधार पर उसने सिफारिशें कीं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सन् १९४८ की उपज के जो आंकड़े माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने दिये थे, मैं समझता हूं कि वे अपनी जगह पर सही होंगे लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां जो सांख्यिकी डायरी हर साल छपती है उसमें दिया हुआ है कि सन् १९४८ की उपज को अगर १०० मानें तो वह १९७० में १८१ हो गया, १५ परसेंट नहीं बढ़ा है बल्कि ८१ परसेंट बढ़ा है। और कीमतें १९५७–५८ में अगर १०० थीं तो १९६९ में २८७.७ हो गयीं। इतनी कीमतें बढ़ी हैं।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

जो आपने बताया है यह उत्पादन है उत्पादकता नहीं है।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मैंने एवरेज बताया आपको। श्रीमन्, जो मैं निवेदन कर रहा था वह यह है कि कृषि के साधन बढ़े हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

आपकी आज्ञा से मैं भी एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान्यवर, जिस जमींदारी विनाश कमेटी का जिक्र किया है माननीय मंत्री जी ने, १९४७ की बात कर रहे हैं, उसकी राय में सवा छः एकड़ तक की जमीन गैर मुनाफे की है।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मैं कह चुका उस प्वाइन्ट को। अगर नया प्वाइन्ट होता तो जबाव देता।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

तब से कौन-सी परिस्थितियां बदल गयीं हैं जिनसे वह गैर मुनाफे की जोत नहीं रही। कृषि उत्पादन के दाम बढ़े हैं तो किसानों की जरूरत की चीजों के दाम भी उसी अनुपात से नहीं बढ़ गये है? इस तरह किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है, इस पर भी माननीय मंत्री जी प्रकाश डालेंगे।

१९७०–७१ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १– ६८१ वृहत जोत कर, अनुदान संख्या २–भू–राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८–दुर्भिक्ष सहायता

श्री चतुर्भुज शर्मा––

मैं जायसवाल जी का आभारी हूं कि उन्होंने बतलाया सब लोग जानते हैं, हम लोग काश्तकार हैं। देहात से रात-दिन ताल्लुक है। चन्द पूर्वी जिलों को छोड़ कर क्या देहात की परिस्थिति बदली नहीं है आज कोई नहीं कह सकता है। अगर पैदावार न बढ़ी होती तो फर्क न पड़ा होता। एक जमाना था कि लोग मालगुजारी नहीं दे पाते थे, अपनी जमींदारी छोड़ कर चले जाते थे और साहूकार उसे खरीद लिया करते थे। अब एक एकड़ की कीमत २०–२५ हजार रुपये हो गयी है। इसलिये हुई है कि कीमतें बढ़ी हैं। वह कहते हैं कि और चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। मानता हूं कि बढ़ी हैं। लेकिन जमीन से फायदा होने लगा है, हुआ है, होता है। मैं दावा नहीं करता कि हर जमीन में हुआ है। लेकिन सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है, बीज में सुधार हुआ है। जहां तीन मन पैदा होता था वहां अब इम्प्रूड बीज से ३० मन पैदा कर सकते हैं। टेकनीक में फर्क हुआ है और लोगों ने मेहनत भी करना शुरू किया है। जिनको राहत देना जरूरी था, उनको हमने राहत दिया है। उसको बेलकम करना चाहिये। जब वह सरकार में थे तो दो रुपये की मालगुजारी पर राजी हो गये थे। उस में डेढ़ करोड़ रुपये की छूट होती थी। अब सवा पांच करोड़ छोड़ रहे हैं। यह कोई बात नहीं हुई? तो कांग्रेस और बी० के० डी० की सरकार की पालिसी में इम्प्रूवमेंट है। जब आप व्यावहारिकता को नजर में रखते थे तो आप को ईल्ड करना पड़ा था। अब इस प्वाइन्ट को छोड़ता हूं।

दूसरी चीज जो बड़ी इम्पार्टेन्ट चीज कही गयी जिसमें सजीवनलाल जी और भानुप्रताप सिंह जी एक राय के हैं वह गांव समाज की जमीनों के सम्बन्ध में है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

जब वे आपकी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप कृपा करके बैठिये।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज शर्मा––

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि गांव सभाओं ने जो जमीन वितरित की उसमें बड़ा अंधेरे किया गया। मैं मानता हूं कि उसमें गड़बड़ी हुई। मैं मानता हूं कि और जगह भी गड़बड़ी होती है किन्तु ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हम आज पंचायतीराज में चल रहे हैं और पंचायती राज को बैठाना चाहते हैं। पंचायती राज की बुनियाद पंचायतें हैं। उन लोगों को सरकार दंड देती है। सरकारी कर्मचारियों को सरकार दण्ड दे सकती है और देती है किन्तु कहीं-कहीं होता है कि नहीं भी दे सकती है लेकिन जो उसमें काम करते हैं, जो सहायक उसमें हैं उन सभी को यह कहा जाय कि उन सभी ने गड़बड़ी की है और सभी गड़बड़ है तो मेरा खयाल है उनके साथ ज्यादती की जा रही है।

कल मेरे मित्र माननीय भानु प्रताप जी ने सदन में कुछ आंकड़े रखे थे। उन्होंने कहा था कि ९५ लाख एकड़ जमीन निकली थी जब जमींदारी एबालिश हुई थी। यह बात सही है। लकिन उसमें से पहले १०–२० फीसदी सुरक्षित रखी गई थी अब ८ फीसदी कर दी गई है। इसके अलावा जो जमीन थी उसको बन विभाग को दे दिया गया। यह जमीन खेती के लायक नहीं थी। इसको छोड़ कर केवल ५० लाख एकड़ जमीन कृषि के योग्य थी इसमें से ३६ लाख एकड़ पट्टों पर उठाई गई।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

श्रीमन्, मैंने इस सम्बन्ध में पिछले ३–४ साल के आंकड़े मांगे है तो मैंने देखा कि किसी को ६६ फीसदी किसी को ६५ फीसदी और किसी को ६७ फीसदी जमीन बैकवर्ड क्लासेज और हरिजनों को दी गई है। उसके बाद थोड़ी-सी जमीन रह जाती है। उसके बाद अब १४ लाख एकड़ जमीन बाकी है। शायद ६९ में दी गई होगी। तो वह जमीन अभी देने को है। इसके अलावा कुछ जमीन जैसा कि अभी कहा गया, सीलिंग से निकली है। इसका मैंने कल भी जिक्र किया था। इसमें १ करोड़ ९३ लाख या ९२ लाख एकड़ जमीन निकली है। इसमें से १ करोड़ २५ लाख वितरित हो गई है। इसमें से १ करोड़ ४ लाख भूमिहीनों को भी दी गई है।

सीलिंग के बारे में जो माननीय सजीवन लाल जी ने कहा वह सही नहीं है। पहले जमीन पट्टे पर उसी हिसाब से दी जायेगी जिस तरह से जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून के अनुसार दी जाती हैं। उसमें एक बात यह कही गई कि मिल मालिकों को इसमें राहत मिलती है। उन लोगों की जमीन छोड़ दी गई। इस सम्बन्ध में मैंने स्वयं फाइल देखी और मैंने उसमें यह नोट लिखा और कराया कि यह जमीन मिल मालिकों की थी उनका दे दी गई है तो उसे वापस लिया जाय उनको नहीं दी जायेगी। उनको ३० वर्ष या २० वर्ष के पट्टे पर देने के लिये प्रस्ताव था। मैंने इसका विरोध किया और पूरे मंत्रि-मंडल ने विरोध किया। उसको मंजूर किया। यह जमीन लगभग ३८ हजार एकड़ निकाली गई है और उनका पट्टा भी खत्म हो गया। यह जमीन भूमिहीनों को बांट दी जायेगी। तो यह चीज अब खत्म कर दी गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि नाजायज पट्टे जो जमीनों के है वह एक लाख से ज्यादा के है और १ लाख ६३ हजार एकड़ जमीन के जो पट्टे किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। जितनी भी यह जमीन मिली है और जो सुरक्षित जमीन है १४ या १२ लाख एकड़ उसके लिये मैंने ८ नवम्बर, १९६९ को एक सर्कुलर निकलवाया था जिसमें पूरे कार्य-क्रम को बता दिया गया था कि एक-एक नायब तहसीलदार को उसके क्षेत्र में काम बांट दिया जायगा वह भूमिहीनों की एक सूची तैयार करायेगा और यह भी मालूम करेगा कि कितनी जमीन वहां है। इस प्रकार की सूची के तैयार हो जाने के बाद गांव समाज की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में उस सूची को मिलान किया जायगा ताकि भूमिहीनों की सही सूची बतायी जा सके। जब सूची सही तैयार हो गयी और यह भी मालूम हो गया कि वहां कितनी भूमि है। फिर परगना अधिकारी एक तारीख निश्चित करेगा जिस दिन भूमि प्रबन्धक समिति की मीटिंग होगी। उस निश्चित तारीख पर हमारा भी एक अधिकारी पहुंचेगा। वह अधिकारी अपने सामने भूमि का वितरण करायेगा और अधिकारी को उसको वहीं मंजूर करेगा ताकि काश्तकार को फिर से तहसील में हैरान न होना पड़े।

यह बात सही है कि जुरमाना रखा गया है। चाहे भानु प्रताप जी हों अथवा कोई दूसरे दोस्त हों। जुरमाना उस वक्त रखा गया था जिस वक्त आपकी सरकार थी। और मैं समझता हूं बहुत से मानों में यह जुरमाना सही था। यह जुरमाना तो उन पर लगाया जाता है जो जबरदस्ती जमीन को छोड़ते नहीं है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि १५ बिस्वा जमीन जिसके पास होगी, उनके ऊपर हजारों रुपया किस प्रकार से जुरमाना हो जायगा। अब भूमि जिसने भी दबाई होगी, उसको दंड दिया जायगा। मैंने एक और सर्कुलर निकाला था कि जो भूमिहीनों लोग है जिनके पट्टे किसी टेक्निकल कारण से रद्द कर दिये गये थे, उनको जब भूमि दी जाय तो उनके भी पट्टे किये जायं।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

५० गुना एक साल का जुरमाना रखा गया है और उन्होंने ८ वर्ष का दिखा दिया और इस प्रकार से ४०० गुना हो गया। ऐसा बराबर हो रहा है, और पूरे प्रदेश में हो रहा है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो उसको आप लिखकर भेज दें, उसकी जांच करा ली जायगी। तो जो गलती आपने की उसकी जिम्मेदारी आप की है। क्योंकि आप ही ने इतने बड़े जुरमाने करवाये थे। एक बात कही गयी कि दाखिल खारिजों में बड़ी देरी होती है। मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्यों को मैं पूरी-पूरी जानकारी नहीं करा सका। उनको यह मालूम होना चाहिये कि जब मैं तहसील में दौरे पर गया और मैंने जब दाखिल खारिज के केसेज देखे तो मैंने १८ जून, १९६९ को एक गवर्नमेंट आर्डर निकलवाया कि गैरनिजाई मुकदमों में २ महीने से ज्यादा और निजाई केसेज में तीन महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिये। उसके बाद ५ अक्तूबर, १९६९ को बोर्ड से एक सरकुलर गया जिसमें प्रक्रिया बताई गयी कि इस तरह से आपको दो महीने और तीन महीने की तारीखें नियत करनी हैं। उसका नतीजा भी अच्छा रहा और वह यह कि १९६८ दिसम्बर तक के तीन महीने में जहां १,५६,०६० मामले तय हुये थे वहां १९६९ के इसी त्रैमासिक में २,२१,३८२ कैसेज फैसले हुये, यानी ६५,३२२ मुकदमे ज्यादा फैसले हुये एक साल के अन्दर। इसी तरह से १९६८ के मार्च तक जहां ७८,७६१ केसेज तय हुये वहां १९६९ के इसी त्रैमासिक में १,०४,१६१ मामले फैसले हुये।

इसके बाद बहुत-सी बातें कहीं गयीं कि भ्रष्टाचार है। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार है, लेकिन कोशिश की जा रही है और जिन माननीय सदस्यों ने यहां कैसेज बतलाये उन सब के बारे में मैंने आज ही आदेश दे दिये कमिश्नर को कि फलां-फलां आफिसर के खिलाफ हाउस में कहा गया है, इनकी जांच करके एक महीने के अन्दर .रिपोर्ट दीजिये। और अगर वह बातें सही निकलेंगी जो मेरे खयाल में होंगी, तो लोग जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायगी। इसके अलाव भ्रष्टाचार और शिथिलता को दूर करने के जो तरीके हो सकते हैं उनके प्रति हम सजग हैं। हमने २१ मार्च, १९७० को बोर्ड से एक आर्डर निकलवाया जिसमें कलेक्टरों को यह हिदायत की गयी है कि वे जो रिपोर्ट भेजें उनकी जानकारी करके भेजें क्योंकि अगर उनके दस्तखत होंगे तो सारी जिम्मेवारी उनकी मानी जायगी उसमें जनता की शिकायतों को समय पर दूर कर सके या नहीं और मुकदमों का फैसला शीध्र हुआ या नहीं यह भी बतलायें। इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदारों को जब रिपोर्ट लिखें तो उसमें यह भी लिखें कि उन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये क्या किया, कितने लोगों को सजा दी। तो इस तरह से जो भी हो सकता है कोशिश की जा रही ह भ्रष्टाचार और शिथिलता को दूर करने के लिये। १२ मार्च, १९७० को बोर्ड को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें लिखा है कि अभी तक बोर्ड के मेम्बरान कलेक्टर और कमिश्नर की ऐंट्री करते वक्त आमतौर पर वह लिख देते थे कि "नो कमेंट्स" लेकिन अब आपको कमेंट्स देने चाहिये। कमिश्नरों को भी यह चिट्ठी लिख दी है कि आप जब कलेक्टरों की रिपोर्ट भेजें तो उनकी परफार्मेंस शीट बनवाइये रेवेन्यू विभाग के मुताल्लिक कितना काम उन्होंने किया है कितना काम हुआ है और क्या हुआ है इसके लिये उस बुनियाद पर उनकी ऐंट्री कैरेक्टर रोल में दी जायगी। तो इस तरह से मैं समझता हूं काफी शासन में सुधार आयेगा और जिले के स्तर पर काम सही होगा। जहां तक जिले में भ्रष्टाचार दूर करने की बात है तो थोड़ा सा काम हुआ है। ११ मुकदमें चलाये गये दो को सजा हुई, ७ आदमी बरखास्त किये गये और एक ने इस्तगासा किया। ४३ आदमियों को सजायें दी गयीं और १४२ आदमियों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है और इन में ४९ मुकदमें अदालत में हैं। तो जो कुछ कार्यवाही करने को थी वह हो रही है। भानुप्रताप जी ने जो आंकड़े दिये थे फैजाबाद, वाराणसी और गोरखपुर के कि लगान बढ़ गया है तो मेरे हिसाब से जो मेरे पास आंकड़े हैं कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। वाराणसी में जहां सन् ५६-५७ में १७२.८० लाख वसूली होती थी वह ६२–६३ में १७०·९६ लाख वसूली हुई है और ६७–६८ में १७३.९२ लाख वसूली हुई है। गोरखपुर में सन् ५६ में १९७.४३ लाख वसूल हुआ, ६२–६३ में २०८·····

श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती)—

मैं सन् ५६-५७ से तुलना की बात नहीं करता हूं । मैंने कहा था कि जमींदारी उन्मूलन के पहले किसान अपनी जमीनों का जितना लगान देते थे उससे ज्यादा मालगुजरी सरकार वसूल करती है। तो ५६-५७ से तुलना की बात निरर्थक है ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसलिये निरर्थक नहीं हैं कि मालगुजारी ऐसे ही वसूल की गयी होती तो वह बढ़ी हुई होती, वह बढ़ी हुई नहीं है । कहीं एक लाख, कहीं २-३ लाख बढ़ी है। वह इसलिये कि जमीन हर जगह टूटी है और नयी जमीन टूटी है तो सर्किल रेट से दूना लगान लिया गया । तो आप मानेंगे कि कोई लगान बढाया नहीं गया । जो जमींदारी के वक्त से था वही है। दूसरी बात कही कि भूमिधरों और सीरदारों के लगान में फर्क है । वह है। इसलिये है कि जमींदारी की-जो आप लोग थे-जो जमीन ली गयी तो जो उनकी सीर, खुदकाश्त और बाग वगैरह थे वह मालगुजारी के हिसाब से थे जो सरकार को देते थे । वह कोई सर्किल रेट का आधा पड़ता है और हर सर्किल रेट के अनुसार किसी का दूना भी होता था । जो जब कानून बनता है तो सबको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जहां २० किस्म के काश्तकार थे अब दो तरह के रह गये हैं और सभी भूमिधर बन सकते हैं और बन रहे हैं ।

श्री बंशीधर पांडे (जिला वाराणसी)—

सीलिंग कब लावेंगे ? हिम्मत हो तो लाइये ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आप हिम्मत दिखाते जाइये, आपकी हिम्मत से मेरी हिम्मत बढ़ेगी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि चकबन्दी के बारे में बहुत सी बातें कही गई । मुझे इस बात के कहने में जरा भी हिच नहीं है कि आज जमीन बड़ी कीमती हो गई इससे हर आदमी चाहता है कि उसको अच्छी जमीन मिल जाय और अधिक जमीन मिल जाय और इसके लिये वह भ्रष्टाचारी लोगों का सहारा लेकर यह काम कराने का प्रयास करता है ।

श्री गिरजा शंकर (जिला बाराबंकी)—

जहां तक चकबन्दी नहीं हुई है वहां चकबन्दी कराने की आप इजाजत देंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

चकबन्दी की मांग बार-बार आ रही है । जहां चकबन्दी हो गई है वहां भी लोग कह रहे हैं कि चकबन्दी कराई जाय क्योंकि चकबन्दी से फायदा हुआ है। एक जो बात श्रीमन् यहां पर कही गई कि बहुत से छोटे-छोटे टुकड़ों में चक दिये गये । यह बात मेरी समझ में सही नहीं है । जो आंकड़े मेरे पास हैं उनको बता दूं । जिनको एक चक दिया गया है ऐसे ७८ परसेंट के करीब है । दो चक जिनको दिये गये हैं वह १६ परसेंट के करीब हैं, जिनको ३ चक दिये गये हैं वह ४ परसेंट के करीब हैं, उसके बाद जिनको चक दिये गये हैं वह ०८ परसेंट हैं । तो ज्यादातर लोगों को एक चक दिये गये हैं ।

दूसरे, श्रीमन्, इतना बड़ा काम इस प्रदेश में हुआ है। जैसा मैंने कहा ५९,००० गांवो चकबन्दी पूरी हो गई है और ७,००० गांवों में और चल रही है । १२,००० गांव और हैं जिनमें चकबन्दी करनी है । जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि जहां चकबन्दी नहीं हुई है वहां से भी चकबन्दी कराने की मांग आ रही है यह सही है। बुन्देलखंड में यह था कि चकबन्दी नहीं हो सकती है, लेकिन वह बात गलत पाई गई । अब वहां भी चकबन्दी शुरू हो गई है और दूसरी जगहों पर जहां चकबन्दी हो सकेगी कराई जायेगी क्योंकि इससे फायदा होता है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं । अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि ५९,००० गांवों में चकबन्दी हो गई और ७,००० गांवों में चकबन्दी चल रही है और १२,००० गांवों में और होने को है, लेकिन श्रीमन्, जो कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं उनको आशंका हो गई है कि लार्जस्केल पर छटनी होने जा रही है।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

श्रीमन् मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो माननीय राय साहब ने कहा है वह सही है कि ५९,८०० गांवों में चकबन्दी हो गई है और ७,०१४ गांवों में चकबन्दी चल रही है और १२,३५३ गांवों में होना बाकी है । इसमें २३,३९६ कर्मचारी काम कर रहे हैं । काफी बड़ी संख्या कर्मचारियों की है। जो माननीय राय साहब ने कहा है कि वह सही है कि कुछ लोगों को शंका है कि उनकी छटनी हो जायेगी । लेकिन अभी फिलहाल काम बहुत पड़ा हुआ हैं और दूसरी जगहों से भी चकबन्दी कराने की मांग आ रही है। इसको देखते हुए अभी निकट भविष्य में इसकी संभावना कम मालूम होती है। लेकिन चकबन्दी का काम अस्थायी रूप का है । इसके लिये हमने सोचा है कि जो आदमी इससे निकलेंगे वह ट्रेन्ड होंगे और रेवेन्यू विभाग का काम जानते होंगे । उनको रेवेन्यू विभाग में और दूसरे विभागों में ऐब्जार्ब करने की कोशिश करेंगे । और भी सोचेंगे कि उनको किस तरह से सेवाओं में लिया जाय । जहां तक हो सकेगा हम उन ट्रेंड आदमियों को बेकार नहीं होने देंगे । तो मैं अर्ज यह कर रहा था कि चकबन्दी एक ऐसा मुहकमा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सजा हम लोगों को दे सकते हैं। जो गड़बड़ी करते हैं उनको एक महीने का नोटिस दे कर सेवाओं से मुक्त कर देते हैं ।

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)---

उपाध्यक्ष महोदय,मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से एक सूचना चाहता हूं । चकबन्दी जिन गांवों में हो गई है और चक बन गये हैं, घोषित हो गये हैं लेकिन जिनके चक बने हैं उनमें से बहुतों को नहीं मिल पाये है ।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मान्यवर, मैं यह अर्ज करना चाहता था.....

श्री उपाध्यक्ष---

मतदान के लिए जो समय निश्चित किया गया था वह हो गया है । अब आप समाप्त कर दें समय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-१ बृहत जोतकर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,९७,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष अनुदान संख्या २-भू राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,०९,१७,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३८ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराजि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७४,९९,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२—गांव सभायें और पंचायतें

पंचायती राजमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १२—गांव सभायें और पंचायतों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,६३,२१,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय । श्रीमन्, इस अनुदान के अन्तर्गत कुल २,१७,६२,८०० रुपये की मांग की गई है, जिसमें १,९३,३३,६०० रु० आयोजनेतर पक्ष में तथा २४,२८,२०० रुपया आयोजनागत पक्ष के लिये है । संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ।

	रु०
१—पंचायत अधिष्ठान पर व्यय	१,२१,३७,३००
२—पंचायत राज अधिनियम के अधीन वसूल किये गये जुर्मानों और न्यायालय शुल्कों से प्राप्तियों के कारण गांव सभाओं का अंशदान । ..	७५,०००

दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परषद् अधिनियम के अन्तर्गत लेखा, संगठन के अधिष्ठान पर व्यय १०,९४,६०० रु० तथा पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में व्यय ४९,०८,५०० रखा गया है। पंचायतों के लेखा परीक्षा अधिष्ठान, व्यय इस व्यय को वित्त विभाग नियंत्रित करते हैं जो ११,१६,२०० रु० है । लेखानुदान द्वारा ५४,३९,०००

रु० की मतदेय व १,००० रु० की भारित धनराशि की स्वीकृति दी जा चुकी है । अतः अब केवल १,६३,२१,८०० रु० की मतदेय १,००० रु० की भारित धनराशि की स्वीकृति प्रा त करनी है। अध्यक्ष महोदय, गांव पंचायतों की वर्तमान संख्या ७२,२९१ तथा न्याय पंचायतों की ८,७०७, क्षत्र समिति ६५७, जिला परिषदें ५१ तथा ३ अन्तरिम जिला परिषदें हैं । उनके द्वारा जो रचनात्मक कार्य १९६९-७० में हुआ है वह इस प्रकार से है। यह वर्ष के प्रथम ६ मासों का कार्य है जो इस प्रकार से है : ३७ ट्यूबवेल्स, १६ पंपिंग सेट्स, १०८ नये कुओं का निर्माण' १६२ तालाबों का निर्माण व ११,८२७ तालाबों के सुधार, १०,८२५ मीटर बंधी निर्माण एवं ६९,६७३ मीटर बंधियों की मरम्मत आदि के कार्य किये हैं । इसके अतिरिक्त ग्रामीण जनता की सुख सुविधा के लिए और भी अनेक प्रकार के निर्माण कार्य किये गये हैं, जैसे कच्ची सड़क निर्माण ९०,२१० मीटर, सड़कें कच्ची से पक्की करवाई गई २३,५५५ मीटर, पक्की सड़क मरम्मत ६१,०६१ मीटर, कच्ची सड़क मरम्मत ६,४५,०६२ मीटर, खड़ंजा निर्माण ४,४५,३९९ वर्ग मीटर, पुलियों का निर्णाण ४५, पुलों का निर्णाण ३२८, मरम्मत १५३, पेय नलकूप निर्माण १,०७४ तथा मरमम्मत २५०१, रोशनी के लिये बिजली बत्तियां ३३६, पाठशाला भवन निर्माण ४०३, कन्या पाठशाला ९१ इत्यादि इत्यादि । इस प्रकार से इन पंचायतों ने कुछ कार्य किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अधिक विस्तार के साथ इसका विवरण नहीं देना चाहता क्योंकि समय कम है । मैं चाहता हूं कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं वे अपने सुझाव दें । सुझावों की आवश्यकता इस लिये भी हुई कि अभी हमारा जो पंचायत राज ऐक्ट है उसमें हम कुछ संशोधन करना चाहते हैं । साथ ही गांव सभाओं के चुनाव की तैयारी हमने पूरी कर ली है । गांव सभाओं के जो कार्य हैं, उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है जिससे उनकी आर्थिक स्थित में सुधार हो ताकि वे जनता की और अच्छी तरह से सेवा कर सकें । सदस्यों के जो सुझाव होंगे वे बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे और उससे हमको जो हम संशोधन करने जा रहे हैं उसमें हमको सहायता मिलेगी । इतना और मैं निवेदन कर दूं कि अभी हमने इस मामले में कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया है जिससे इस बात की कोई गुंजाइश न हो कि आपके सुझावों पर विचार करने में कोई भी कठिनाई हो । जो भी सुझाव आप देंगे उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके अधिक से अधिक लाभान्वित होना चाहेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गोरखपुर)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने कहा कि पंचायतों के चुनाव की पूरी तैयारी हो चुगी है तो वे चुनाव कब तक करवाने जा रहे हैं ।

श्री जगनप्रसाद रावत--

मुझे यह आशा कि उनके चुनाव अगले बजट अधिवेशन के पूर्व ही करवा सकना संभव हो सकेगा । ऐसी मैं आशा करता हूं ।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया । माननीय मंत्री महोदय ने नीति के संबंध में तो बहुत स्पष्टीकरण नहीं किया लेकिन कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये । इस संबंध में यह आवश्यक हो जाता है कि हम इसकी पृष्ठभमि में जायं ।

(इस समय २ बजकर ४० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामचन्द्र विकल पीठासीन हुये ।)

श्री अधिष्ठाता--

पहले आप कटौती का प्रस्ताव पढ़ दें ।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । मैं यह कह रहा था कि हमें उसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा । हमारे संविधान की ४० वीं धारा में यह कहा गया कि हम ग्राम पंचायतों का संगठन करेंगें और साथ ही डायरेक्टिव प्रिंसीपल के अन्दर राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया कि राज्य सरकारें न केवल पंचायत संगठनों का स्वरूप प्रस्तुत करें बल्कि उनकों ऐसे अधिकार भी दे कि वह स्वयत्त शासन की इकाई बन सके । संविधान में इसका मंशा यह था कि जैसे हमारी पार्लियामेंट है, एसेम्बली है वैसे ही नीचे के स्तर पर तीन प्रकार की इकाइयां हों जिनको स्वायत्तशासन के पूर्ण अधिकार हों । जिस प्रकार से हम राज्य का शासन करते हैं उसी प्रकार से जिला परिषद जिले का, क्षेत्र समति क्षेत्र का और गांव सभा गांव का शासन चलाये । मान्यवर, पहले हमारे यहां दो अधिनियम थे । एक बोर्ड का अधिनियम था जो बड़ा पुराना था और थोड़ा-बहुत संशोधन करक उसम पावर दी गयी थी । दूसरा सन् ४७ में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम रखा गया और वह पास हुआ। इन दोनों अधिनियमों का अगर विवेचन किया जाय तो यह देखने में आयेगा कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, संविधान में दी गयी जो इच्छायें थीं या जो धारणायें थीं उनकी पहले से ही कल्पना करके इस ऐक्ट में सारी चीजें रखी गयी थीं । इस ऐक्ट के सैक्शन १५ को देखा जाय तो मालूम होगा कि गांव सभायें जो काम करेंगी वह चालीस प्रकार के काम थे । अगर उन कामों का विवेचन किया जाय तो गांव सभाओं के पास सारे काम आ जायेंगे और अगर वह सब काम करें तो स्वर्ग बना सकती हैं । कृषि के क्षेत्र में काम कर सकती है, उद्योग के क्षेत्र में कर सकती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थात् गांव से संबंधित कोई भी जीवन का पहलू नहीं था जिस पहलू को पंचायती राज अधिनियम में जो उसके ड्यूटीज और फंग्शंस थे, वह न छूते हों । यह एक बात थी ।

दूसरे हमारे बोर्ड में भी अधिनियम चलाया । कुछ वर्षों तक पंचायत राज का कार्य किया और करते रहे लेकिन १९६१ में जो क्षत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम पास हुआ तो यह कहना पड़ेगा कि पंचायत राज अधिनियम में जो कमियां थीं उन कमियों के समन्वय के लिये यह आवश्यक हुआ कि जिला परिषद अधिनियम में उनका समवेश करें । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिला परिषद अधिनियम और पंचायत राज अधिनियम ये दोनों अधिनियम एक जगह कर दिये जायं । इस दृष्टिकोण से संविधान के अनुसार सारी चीजें करें तो एक बिल लाना आवश्यक होगा । पंचायत राज का जो अधिनियम आया उसमें त्रुटि रही । जिस उद्देश्य से पंचायत राज कायम किया गया था और जो पंचायत का उद्देश्य था कि गांवों में एक तरह से प्रजातंत्र को विकेंद्रीकरण करके ले जायं और प्रजातंत्र की परम्पराओं को वहां पर विकसित करें उसके प्राप्त करने में जो आर्थिक सामाजिक उपलब्धि हो सकती थी उन उपलब्धियों को गांव गांव तक लेजाने का प्रयास करें उसमें सफलता नहीं मिली । ऐसा पंचायती राज बनाना चाहते थे जिससे मिली-जुली जिला परिषद् अधिनियम बने और पंचायतों का भी बने । दोनों को एक साथ करके गांवों का कल्याण करना चाहते थे लेकिन यह दुख की बात है कि जो हमने संकल्प किया था वह पूरा नहीं हुआ । हमने यह कहा था कि हम प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं । विकेंद्रीकरण करके एक ऐसा कैडर गांव स्तर पर निर्माण करना चाहते हैं जो कैडर शासन चला सके । इसमें दो राय नहीं है। एक तरफ तो हमारे शासन में नौकरशाही काम करती है । वह नौकरशाही वहां पर कार्य कर रही है। जिला स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर कार्य कर रही है और परगना स्तर पर भी कार्य कर रही है लकिन जो लोग इस अधिनियम को बना रहे थे उनके सामने य त्रुटियां स्पष्ट थीं । जो सरकारी कर्मचारी थ उनसे विकास का कार्य सम्पूर्ण सम्पन्न नहीं हो सकता है उस मान में जिस माने में उसकी आवश्यकता है । उनमें जनता के प्रतिनिधि की आवश्यकता थी । जहां तक कृषि और उद्योग को बढ़ान की बात आप करते हैं वहां यह भी था कि गांव में ऐसा

एक कैडर तैयार करें, ऐसे लोगों का तैयार करें जो कि शासन के कार्य में आवश्यकता पड़ने पर शामिल हो सकें, सम्भाल सकें और जो जनता की इच्छा है उस इच्छा की वह पूर्ति कर सकें । उस तरह से उन कार्यों को पूरा कर सके जिस तरह से कार्यों को करना इस अधिनियम का उद्देश्य था । यह दुर्भाग्य की बात है कि वह काम पूरा नहीं हो सका । जिस तरह से वह क्षेत्र समिति का अधिनियम रहा है और जिला परिषद् का अधिनियम है उनके सब अध्यक्षों को समाप्त कर दिया गया है । जिला स्तर पर यह एक ईकाई थी जिसमें जनता के प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते थे । वे जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते थे । वह सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। जब तक वह रहे भी उनको विश्वास प्राप्त नहीं था जो कि उनको होना चाहिये था । वह अविश्वास और विश्वास के बीच में हमेशा लड़ते रहे । आपका जो यह जिला परिषद् अधिनियम बना था उसकी धारा ३९ में अफसर मुकर्रर कर दिये गये और जो जिला परिषद् के अधिकारी थे उनका एकीकरण करना था लेकिन जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो सका । जो समन्वय आप चाहते थे वह समन्वय नहीं हो सका । कारण इसका क्या था ? आप कहेंगे कि अधिनियम अपने स्थान पर था और वह महत्वपूर्ण था लेकिन सही बात यह है कि यदि आप उस अधिनियम को पढ़े तो मालूम होगा कि कहने को तो हम उसे ग्रामराज, स्वराज, गांधी राज्य या राम राज्य की संज्ञा देते हैं लेकिन आपने इस अधिनियम में जितनी धारायें बनाई हैं उन सब में आप ने सरकार के हाथ में यह अधिकार राज्य स्तर पर रखा है कि जैसे नियमों के द्वारा सरकार समय समय पर उनको संचालित करेगी । मैं बहुत दुखके साथ कहूंगा कि आप इन नियमों को देखें ३७ से ४७ तक सभी धाराओं में अन्त में लिखा है कि जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट प्रेसक्राइब करेगी और दुख इस बात का है कि जो नियम इस प्रकार बनाये गये वे, जो विचार अधिनियम में रखे गये थे उनको केवल रोकने के लिये ही यह नियम बनाये गये और दिन प्रति दिन वह बदलते रहे । मंत्री जी की इच्छा ऐसी हुई तो ऐसे नियम बन गय और यदि वे सरकारी कर्मचारियों को सुविधाजनक नहीं लगे तो वह फिर बदल गये या दूसरी तरह से रख दिये । ऐसा इसी कारण से हुआ क्योंकि अधिनियम में यह अधिकार सरकार को प्राप्त था । वह जिस तरह से चाहते थे नियम बनाते रहते थे । इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि कि जब आप अधिनियम बनायें जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि वह अधिनियम बनाना चाहते हैं तो जो धारायें अधिनियम में हों, उनमें वह अधिकार अधिक से अधिक शासन में या सरकार में वेस्ट न करें । ऐसा होगा तो मंत्री जी या सरकारी कर्मचारी जहां चाहेंगे उसमें रुकावट डालेंगे और अधिनियम की जिस धारा की मंशा को रोकना चाहेंगे उस में रोक लगायेंगे और उसको दूसरी ही दिशा में बहा देंगे । इसलिये यह आवश्यक है कि इस अधिनियम में इस तरह की बात आये कि जिससे नियमों के द्वारा अधिनियम की भावना को ही कुंठित न किया जा सके जिन को कि सरकार बार बार बनाती है और तरह तरह की रोक जिन के द्वारा लगाती है ।

गांवसभाओं की संख्या पहले ७२ हजार थी जो अब ७६ हजार हो गई है । आप उनके साधनों को देखें कि वह कितने कम हैं । जो गवेषणा हुई थी उसके ६८ तक के आंकड़ों के अनुसार ७२ हजार गांवसभाओं के हिसाब से उन की आय प्रति गांवसभा २०० रुपया प्रति वर्ष की आती थी या इससे भी कुछ कम । जिस प्रकार के कार्य आप गांवसभाओं के सुपुर्द किये हैं उन के लिये २०० रुपया वार्षिक आय बहुत ही कम है। वहां के कर्मचारी हैं पंचायत मंत्री हैं और तमाम पेराफरनेलिया है, कागजपत्र हैं और उस के लिये २०० रुपया सालाना गांव सभा के हिस्से में आये तो कैसे आप चाहते हैं कि उनमें प्रगति दिखाई दे और कैसे आप उन में परिवर्तन की कामना कर सकते हैं ।

गांवसभाओं की आय बढ़ाने के लिये भी दो तीन सुझाव दिये गये । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इन सुझावों पर भी ध्यान दें । इस में कोई दो राय नहीं हो सकती, चाहे आज की सरकार हो या पहले की सरकार हो सभी की इन गांवसभाओं के प्रति सद्भावना है

[डाक्टर हरिप्रसाद शाही]

और सब चाहते हैं कि इनको शक्तिशाली बनाया जाय । यह तभी हो सकता है कि जब आप उनको साधन दें। इस संबंध में तीन बातें कही गई थीं, एक तो यह कि जो लगान गांवों से सरकार वसूल करती है उसका कोई अंशदान इन सभाओं को उसमें से दिया जाय, अच्छा होगा यदि वे शक्तिशाली बन सकें । दूसरे राज्य स्तर के जो अनुदान की मात्रा इन गांव सभाओं को सरकार की तरफ से दी जाती है वह बिलकुल नगण्य सी होती है और कह कहते हैं कि वह नाम मात्र की है।

तीसरी बात ऋण की है और संभवतः १९६१-६२ में सरकार ने ऋण देने की बात सोची थी । १९६१-६२ से लेकर १९६६-६७ तक २५ लाख की रकम ऋण के रूप में गांव सभाओं को दी गयी । इस २५ लाख की रकम में से केवल ५ लाख लौट कर आयी है । २० लाख रुपये का कोई हिसाब ही नहीं है। पंचायतों से आशा थी और रिपोर्ट के आधार भी आशा थी कि वे यह प्राविधान करेंगे कि गांव सभाओं को ऋण के रूप में रुपया दिया जाय लेकिन इस बजट में उसके लिये कोई प्राविधान नहीं दिखायी पड़ता है । २५ लाख में से ५ लाख लौट कर आया और अब यह २० लाख रुपया लौटा ही नहीं उसका कारण क्या है । हुआ क्या ? हुआ यह कि रुपया सरकारी अफसरों को दे दिया गया कि इसे विभिन्न प्रोजेक्ट्स को वितरित किया जाय । ये इस प्रकार के १७ कार्य थे । इन अफसरों ने उद्योगों को नहीं देखा कि वहां पर वे उद्योग चल सकते हैं या नहीं । उन्होंने न स्थलों को ही देखा है। उन्होंने कोई एक्सपर्ट ओपीनियन भी नहीं ली बल्कि रुपये को जनसंख्या के आधार पर बांट दिया । जैसे किसी गांव की आबादी अगर १,००० है और एक व्यक्ति के हिसाब से ४ रुपया देना है तो उन्होंने ४,००० रुपया दे दिया। किसी किसी को १५ हजार रुपया दे दिया, किसी को ३ हजार और किसी किसी को ४ हजार रुपया दे दिया कितने रुपये से प्रोजेक्ट चल सकता है नहीं देखा गया। इसलिये यह कहना कि प्रधानों के ऊपर ही दोष है गलत है । जो पंचायतें उद्योगों को ठीक से नहीं कर सकते हैं, उन्ही के मत्थे यह दोष मढ़ना न्यायपूर्ण है। दूसरे जिन परिस्थितियों में उनको धन प्राप्त होना चाहिये, उस तरह से नहीं दिया गया है।

आज गांव सभाओं में प्रधानों की बड़ी दुर्दशा है। उनके बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । ये लेखपालों के पीछे बस्ते लिये घूमते रहते हैं । इनको सस्पेंड करने का अधिकार आज हमारे एस०डी० एम्स को है। अगर वे कोई इन्क्वायरी कराते हैं तो लेखपाल से कराते हैं फिर इसके बाद कानून गो और तहसीलदार से कराते हैं । चलते चलते यह एस०डी० एम० के पास आती है तो वे सस्पेंड हो जाते हैं । यही वजह है कि ग्राम सभापति कार्य छोड़कर लेखपालों के बस्ते के पीछे दौड़ा करते हैं । इसलिये यह जो प्राविधान है यह बड़ा ही दुखदायी है और यह प्रजातंत्र का मखौल है । जो हमारे प्रधान हैं, उनका स्टेट्स अच्छा होना चाहिये । उनकी दशा दूसरों के मुकाबले में बड़ी गिरी हुयी दिखायी देती है जब कि वे लेखपालों के पीछे पीछे घूमते हैं ।

पंचायत के जो मंत्री हैं, उनके वेतन के संबंध में मुझे यह कहना है कि वे यह नहीं समझते कि वे किसके नौकर हैं । कहा जाता है कि ग्राम सभाओं के नौकर हैं और सरकार उनको अनुदान देती है। सरकारी जो कार्य कलाप निश्चित किये जाते हैं, उन्हीं के अनुसार उनको कार्य करने पड़ते हैं । मैं यह मानता हूं कि संभवतः उनकी क्षमता, कुशलता उतनी न हो जितनी कि होनी चाहिये लेकिन यह जो ५० रुपया उनको वेतन के रूप में देते हैं, और जो महंगाई भत्ता उनको मिलता है, उसे मिलाकर भी उनका काम नहीं चल सकता है।

यह एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। गांव सभाओं की सम्पत्ति के संबंध में यह तो मानना पड़ेगा कि उसका आज दुरुपयोग हो रहा है और वह दुरुपयोग यह कहा जायेगा कि प्रधानों के द्वारा हो रहा है। लेकिन प्रधानों से भी अधिक दुरुपयोग हो रहा है हमारे पटवारियों के द्वारा, हमारे लेखपालों के द्वारा । मैं अभी दो-ती

गांव पतरा, रतनपुर, गया । अपने क्षेत्र में बीसियों बार हमने प्रार्थना किया । वहां के सभापति तैयार हैं कि हरिजनों को भूमि दी जाय, उनके लिए रक्खी हुई है अलग से, वहां पर कन्सोलिडेशन हो चुका है, निश्चित भी हो चुका है कि इतनी जमीन दी जायेगी । लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऊंचे से नीचे तक जितना भी खटखटाया जाय लेकिन लेखपाल की समझ में यह चीज नहीं आती कि हमको भी करना है। हमने व्यक्तिगत रूप से कहा कि हरिजनों को दी हुई बस्तियों में दे दो । सभापति चाहते ह, सभी चाहते हैं लेकिन तब भी नहीं हो पाता है । पंचायत सेक्रेटरीज को आपने ज्वाइंट सेक्रेटेरीज बना दिया है। होना यह चाहिये कि पटवारी या लेखपाल उन सभापतियों के माध्यम से उन सेक्रटेरीज को रिकार्ड दें । लेकिन वह आज तक नहीं दिया गया । न पंचायत सेक्रेटेरीज के पास रिकार्ड है और न सभापतियों के पास । लेखपाल के पास सभी रिकार्ड्स हैं और वह कभी देने के लिये तैयार नहीं होता । वह अगर चाहता भी है तो नहीं दे पाता । मुकदमें वह लड़े, इस सिलसिले म उसे बड़ी कठिनाई है। एक सभापति को मुकदमा लड़ना पड़ता है। आप समझते हैं कि सार्वजनिक सम्पत्ति के प्रति वह आदरभाव अभी नहीं बढ़ा है जो व्यक्तिगत सम्पत्ति के प्रति रहा है और आज भी है.....

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण समाप्त करें ।

डाक्टर हरि प्रसाद शाही—

दो मिनट और दे दीजिये ।

तो ऐसी परिस्थिति में सभापति क्या करे। वकील साहब नियुक्त होते हैं सरकार की ओर से कलेक्टर नियुक्त करते हैं। न तो उसमें वकील साहब इन्ट्रेस्ट लेते हैं और साथ ही साथ सभापति के पास कोई धन नहीं है। नतीजा यह होता है कि अगर आप रिकार्ड उठाकर देखें तो मालूम होता है कि ८० प्रतिशत ऐसे केसेज हार जाते हैं। एक तरफ तो व्यक्ति जमीन के लिए उत्सुक रहता है। दूसरी तरफ उसके मुकाबिले में प्रधान है और उसके जो मददगार वकील हैं वे भी परवाह नहीं करते हैं । आवश्यकता इस बात की है कि वकील साहब के लिये भी ऐसे नियम बनाने होंगे जिससे गांव की सम्पत्ति की किसी न किसी प्रकार से रक्षा हो सके । सार्वजनिक सम्पत्ति के बारे में इस प्रकार उदासीनता है । यह सुनने में आता है गांव सभा के चुनाव में देर है । सरकार चाहती है कि चुनाव की प्रणाली में ऐसे परिवर्तन लाने चाहिये जिससे झगड़ा बन्द हो जाय । यह बात होती है । चाहे असेम्बली का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो । जैसा कि मुख्य मंत्री कह रहे थे कि जाति का प्रभाव पड़ता है और इसलिये गांव में भी जाति के आधार पर चूंकि चुनाव होंगे और जातीयता के आधार पर उसमें लड़ाई और झगड़े होंगे । हम समझते हैं कि यह दृष्टिकोण उत्तम नहीं होगा मा० मुख्य मंत्री १४ तारीख को गोरखपुर गये थे। वहां पर खाना खाया दिन में और कहां रात में खाना खाया एक जाति विशेष के स्थान पर । तो इसका क्या प्रभाव होगा तो हम लोग इसके जिम्मेदार ह । अगर इस प्रकार चुनाव में दुर्भावना आती है तो हम लोग उसके लिये उत्तरदायी हैं । हम लोगों का जिस प्रकार का व्यवहार होता है उसी प्रकार दूसरों का व्यवहार होता है। अगर हम लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है तो दूसरों का व्यवहार भी अच्छा नहीं होगा । हम तो समझते हैं कि अगर हमको ऐसा करने का अधिकार है तो दूसरा आदमी जो गांव सभा के स्तर पर है और गांव सभा में इस प्रकार की बातें करता है तो क्या वह ऊपर का ही आधार और आश्रय नहीं लेगा । जब हमन एक पार्लियामटरी डेमोक्रेसी को स्वीकार किया है तो हमें इस भय से कि चुनाव में जातिवाद आदि की बातें उठेंगे, चुनाव को टालना मेरी दृष्टि से उचित नहीं है । उचित तो यह है कि आप अपने को सुधारें ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त ।

श्री तेजनरायन (जिला खीरी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया । मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । ग्राम सभाओं का चुनाव सन् ६१ में हुये थे । उस समय के चुनाव से यह परिणाम निकला कि गांव में आपस में कटुता आदि बढ़ी । कुछ ऐसी ऐसी घटनायें तक हुई जो नहीं होना चाहिये थी । लगभग १० वर्ष हो गये, अभी तक सभापतियों के चुनाव सम्पन्न नहीं कराये जा सके ।

(इस समय ३ बजकर ८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

जनता में निरन्तर असंतोष बढ़ता जा रहा है कि आखिर किस कारण से सभापतियों का चुनाव नहीं कराया जा रहा है। इसके लिए कि चुनाव में कटुता और मनोमालिन्य न बढ़ें, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । पहला सुझाव तो मैं इसके लिये यह देना चाहता हूं कि सरकारी मशीनरी और जनसेवी लोग चुनाव के वक्त गांव में जाकर लोगों को समझावें कि लोग चुनाव निर्विरोध करें और उसके लिये आप यह भी करें कि जहां जहां चुनाव निर्विरोध होंगे तो वहां अधिक रुपया दिया जायेगा । इस प्रकार अपने गांव के लाभ की दृष्टि से लोग यह चाहेंगे कि चुनाव निर्विरोध हो जाय ।

इसके लिये दूसरा सुझाव यह है कि आप पहले गांव पंचायत के सदस्यों के चुनाव करायें और फिर उनसे सभापतियों का चुनाव करायें न कि सीधे सभापतियों का चुनाव करें । सीधे चुनाव से, चाहे वह गुप्त मतदान द्वारा ही क्यों न हो, कोई लाभ नहीं है । उससे कटुता बढ़ेगी और गांव का कोई हित होने वाला नहीं है । इसके अलावा और कोई सुझाव भी अगर हों तो वह भी देखे जायं ।

मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव भी सन् ४८ में हुये थे । सन् १९५८ में उनकी जगह अन्तरिम जिला परिषदें बना दी गयीं । साथ ही उन पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल था इनके ऊपर वह पंचायती राज को पहली मई, १९५८ से दे दिया गया । उस समय जो कर्मचारी थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में थे बराबर उनके वेतन क्रम के बारे में बात हुई । उनके वेतन की बात जो चली तो सरकार ने अपने प्रस्ताव संख्या २२६१/९-७१८–४८, दिनांक २९–३–४९ के पैरा ९ में यह आश्वासन दिया था कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के कर्मचारियों का वेतन सरकारी कर्मचारियों के समान ही रखेगी । साथ ही आप देखें, जब सन् ५८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की दशा में परिवर्तन हुआ, तो उस समय पंचायतीराज विभाग के उप सचिव, श्री भवानी सिंह ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या १८-४८क/३३-६७, दिनांक १७–४–६७ के द्वारा यह स्पष्ट किया था कि जिला परिषदों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन आदि देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन है कि निरन्तर प्रश्न विचाराधीन है और आज तक कोई विचार पुष्ट नहीं हुआ है और नतीजा यह है कि उनको कोई लाभ नहीं हुआ है। इस कारण से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, उनमें असंतोष है । भले ही वे अपने असंतोष का प्रदर्शन न कर सकें, वे अपना काम करते रहें, लेकिन चूंकि मैं सन् ४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुआ था और मेरा उनसे निरन्तर सम्पर्क रहा है मैं समझता हूं उनकी दशा देखकर और बात चीत सुनकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकार को उनके वेतन में वही वृद्धि करनी चाहिये जिससे उनका वेतन वगैरह भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ता के समान आ जाये। यदि आप ऐसा नहीं करते इन आश्वासन और अर्द्धशासकीय पत्रों के आधार पर भी तो उनका असंतोष बढ़ेगा और उनको कठिनाई का सामना सरकार को करना पड़ेगा ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि नगरपालिकाओं में जो टैक्स सुप्रिंटेंडेंट हैं, जिनका सीमित क्षेत्र है, लेकिन उनका वेतनक्रम रुपया ३००-६०० है। लेकिन जिला परिषदों के जो

टैक्स सुप्रिंटेंडेंट हैं उनका वेतन क्रम २२०-५०० है। आप सोचें कि नगरपालिकाओं के टैक्स सुपरिंटेंडेंट तो नगरपालिका के अन्तर्गत कार्य करते हैं और जिला परिषदों के पूरे जिले में काम करते हैं यानी उनका सीमा क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा है फिर भी उनका वेतन क्रम उनसे कम है। यह अनुचित बात है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर भी ध्यान दे ।

जिला परिषदों के जो कार्याधिकारी हैं, वास्तव में उनके पास कोई पावर नहीं है । न तो वे चेक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और न अन्य कोई महत्व का काम । केवल ए० डी०एम० (पी०) का ही सब ताकत दी गई है। वह एक प्रकार से मैं समझता हूं बेकार अफसर हैं जिसके पास कोई काम नहीं है । एक गजटेड अफसर को, क्लास-टू अफसर को आपने जो कोई ताकत नही दी, यह बात उचित नहीं है। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि उनको भी कुछ ताकत और जिम्मेदारी दे जिससे वे ठीक काम कर सकें ।

तीसरी बात जो मुझे कहनी है, वह सम्पत्ति कर के बारे में है जो जिला परिषदों में लगता है । इसमें भी इसका जिला परिषद अधिनियम के अन्तर्गत कोई विवरण नहीं है और इसका विवरण न होने से निरन्तर मुकदमें चलते हैं और कठिनाई का जिला परिषदों को सामना करना पड़ता है । इसलिये आपके द्वारा मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जिला परिषदों की तभी आमदनी बढ़ सकती है और तभी मुकदमों से छुटकारा पाया जा सकता है जब आप इसकी सीमा निर्धारित कर दें और अधिनियमों के अन्तर्गत उसको डिफाइन करें और इसका एक्सप्लेनेशन आ जाये । यह आवश्यक है, तभी कुछ हो सकता है।

जिला परिषदें जो सरकार ने ले ली हैं । एक प्रकार से अच्छा ही है। हम समझते हैं और यह आशा करते हैं कि अब अच्छा काम भी होना चाहिये तभी सरकार अपने उत्तरदायित्व को निभा सकती है। जिला परिषद के अन्तर्गत जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उस संबंध में मेरा एक सुझाव यह है कि वे गांव जो ४,६ या ८ फरलांग सड़कों से दूर बसे हुये हैं। ऐसे बड़े गांव व उनके पड़ोसी गांवों के लिये उन सड़कों को प्राथमिकता दी जाय जिससे वे उन सड़कों तक अपने को आसानी से पहुंचा सकें यानी इस तरह से ट्रांसपोर्ट की सुविधा उनको मिल जायेगी । आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें उनका पैसा कम खर्च होगा और उन गांवों की आम जनता को राहत मिल जायेगी ।

जहां तक न्याय पंचायतों की बात है, उनको ५०० रुपये तक के सिविल के मुकदमें करने का जो आपने अधिकार दिया है, मैं समझता हूं कि यह नहीं होना चाहिये क्योंकि कोई भी सरपंच ऐसा नहीं है, सबके लिये तो मैं नहीं कहता लेकिन अधिकांश का गांव की एक न एक पार्टी से संबंध रहता है।इसलिये ५०० रुपये तक के मुकदमें में निर्णय देने की जो बात है उसमें निष्पक्षता नहीं रहती और ऐसी सूरत में आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि इस पावर को उनसे ले लिया जाना चाहिये ।

इसी तरह से जो क्षेत्र समितियां हैं वे छूट गयी हैं । जिला परिषदें तो खतम हो गयीं, जिला परिषदों के अध्यक्ष समाप्त हो गये मगर क्षेत्र समितियों के ब्लाक प्रमुख मौजूद है । मेरा कहना यह है कि अगर ब्लाक प्रमुखों की पहले की हैसियत का अन्दाजा लगाया जाय और आज की हैसियत का अन्दाजा लगाया जाय और उसकी जानकारी प्राप्त की जाय तो उनकी सही स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है, अगर सरकार इस बात की जानकारी करे तो स्पष्ट हो जायगा कि अधिकांश जो ब्लाक प्रमुख है उन्होंने किसी न किसी प्रकार से गलत आय की है या रुपये खींचे हैं और उन रुपयों के खींचने के स्रोत ये क्षेत्र समितियां है और टीचरों के ट्रांसफर करने की जो शक्ति उनको दी गयी है, मैं नहीं जानता कि उनके पास वह शक्ति है या नहीं लेकिन अगर वह है तो मेरा सुझाव है कि इस ताकत को भी उनसे ले लेना चाहिये । इस ताकत ने भी उनको बहुत पैसे पैदा कराये हैं । जो ब्लाक्स में समाज कल्याण या विकास के ग्रांट्स दिये गये हैं उनमें भी(व्यवधान)

[श्री तेजनारायन]

मैंने अधिकांश के लिये कहा है, अधिकांश ब्लाक प्रमुख पेसे है जिन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, ब्लाक्स को दी जाने वाली ग्रान्टस का गबन किया है और अपनी हैसियत को बनाया है। आप देखे कि इस बीच में उनकी हैसियत कितनी बढ़ गयी है। माननीय मंत्री जी अगर इसकी जांच करायें तो मेरी इस बात की पुष्टि हो जायेगी।

एक सदस्य—

क्या माननीय सदस्य बतला सकते हैं कि कौन-कौन से ऐसे ब्लाक प्रमुख हैं जिनके दस्तखत इस तरह के रुपये लेने के ऊपर हैं ?

श्री तेजनरायन—

जो ब्लाक प्रमुख सौभाग्य से एम० एल० ए० होकर भी आ गये है, उनके लिये मैं नहीं कहता हूं, मैं उनके लिये कहता हूं कि जिन्होंने गलत काम किया है जिन्होंने समाज कल्याण व विकास सम्बधी ग्रांट का ठीक तरह से उपयोग नहीं किया है। जो स्वच्छ हैं उनके लिये तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने वरिष्ठ योग्य और अमुभवी मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री जंगबहादुर सिंह (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सभाओं और पंचायतों की परम्परा हमारे देश में अनादि काल से रही है। किसी न किसी रूप में ग्राम पंचायतें बराबर हमारे देश में रही हैं। यदि हम महाभारत के शान्ति पर्व को देखे, मनुस्मृति और वाल्मीकि रामायण को देखे, और ईसा के चार सौ वर्ष पूर्व चाणक्य के अर्थशास्त्र को देखे तो उनमें ग्राम सभाओं की विवेचना की गयी है। चीन के यात्री फाहियान और ह्वेनसांग ने भी अपने लेखों में ग्राम सभाओं का वर्णन किया है, पिंडार्स के रूप में। इस तरह से हमारे देश में ग्राम सभाएं अपना कार्य करने के लिये मौजूद थी। उनको सरकार से काफी पैसा मिलता था। उससे देश के अन्दर खुशहाली थी। लेकिन अंग्रेजों के शासन के बाद हमारी ग्राम सभाओं का जीवन अस्तव्यस्त हो गया। ग्राम सभायें और पंचायतें उठ गयीं। हमारे संविधान में दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक को जो शिक्षा पाने का अधिकार है। संविधान लागू होने के दस वर्ष के अन्दर १४ वर्ष तक के बच्चों को फ्री कम्पल्सरी एजूकेशन मिलनी चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति खराब होने के कारण महात्मा गांधी ने भी जोर दिया था कि ग्रामों में ग्राम सभाओं की स्थापना की जानी चाहिये। हमारे किसानों को कचहरी में जाकर बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है और गांव से दूर जाना पड़ता है। उनके लिये न्याय सुलभ और सस्ता नहीं हो पाता। इस उद्देश्य से ग्राम सभाओं की स्थापना हुई। ५ जून, १९४७ को उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने ग्राम सभाओं की स्थापना के लिये प्रस्ताव पारित किया। १५ अगस्त, १९४९ को हमारे प्रदेश के पांच करोड़ मतदाताओं ने मत दे कर ग्राम सभाओं और न्याय पंचायतों की स्थापना की।

हमारे प्रदेश में ३५ हजार ७५२ ग्राम सभाएं और ८,२२५ न्याय पंचायतें स्थापित की गयीं। उनकी स्थापना के बाद हमारे प्रदेश की जनता में एक नयी उमंग, प्रसन्नता की लहर फैल गयी कि अब देश की स्थिति बदलेगी। ग्राम सभाओं की स्थापना के बाद पहली और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्राम पंचायतों के लिये एक पैसे की भी व्यवस्था नहीं की गयी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ३४४.४५ लाख रुपये की योजना बनायी गयी और वास्तव में जो रुपया खर्च किया गया वह था ४४.४२३ लाख। इस तरह से जो धन न्याय पंचायतों और ग्राम सभाओं पर खर्च किया गया वह बहुत कम था जब कि ग्राम सभाओं के ऊपर इतनी कड़ी जिम्मेदारी है। सड़कों की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, और स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिये थी। लेकिन कम धन मिलने के कारण स्थिति में सुधार नहीं हो पाया। अगर हम दूसरे देशों के इतिहास को देखे तो इग्लैन्ड में आधा केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें खर्च करती हैं और आधा स्थानीय संस्थाओं को दे दिया जाता है। फ्रांस में २/५ स्थानीय संस्थाओं को दिया जाता और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

३/५ सरकारें खर्च करती हैं। इस देश में १/१२ भाग स्थानीय संस्थाओं को दिया जाता है। ८७.१५ प्रतिशत लोग ऐसे है जो ग्रामों में रहते हैं और जो या १/१७ भाग है उसका अधिकांश भाग टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटीज और कारपोरेशन को दे दिया जाता है और देहात की जनता अछूती रह जाती है। तो मेरा यह सुझाव है कि जैसा कि अन्य देशों में होता है हमारी केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार अपनी आय का काफी भाग ग्राम-सभाओं और न्याय पंचायतों को दे।

आज हमें आजादी मिले हुये २२ वर्ष हो गये हैं किन्तु आज भी हमारे देश में अस्पतालों की बहुत बड़ी कमी है। आज हमारे पास केवल ८००० डाक्टर इस प्रदेश में है और यदि ऐसा देखा जाय तो १ डाक्टर के पीछे ८००० लोगों की आबादी है। हमारे प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग ग्रामों में निवास करते हैं। जिन्हें उचित रूप से दवा दारू नहीं मिल पाता है। शिक्षा के क्षेत्र में श्रीमन्, आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश में कितने ही गांव ऐसे है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते है। उनके पास कोई वाचनालय नहीं है, वहां पर कोई अखबार वगैरह नहीं जाता है। जो थोड़ा बहुत पढ़ना-लिखना जानते भी है उनके लिये उन्नति का कोई साधन नहीं है। इस प्रकार हमारे प्रदेश में शिक्षा का अभाव है। श्रीमन्, १९६१ में जन गणना कराई गई थी तो हमारी केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार ने सर्वेक्षण कराया था। उसने अपनी रिपोर्ट दी है। उसमें उसने लिखा है कि हमारे प्रदेश के अन्दर १,१२,६२४ ग्रामों में से २७,२८७ ग्रामों में पेय जल बिलकुल उपलब्ध नहीं है। यदि कहीं पेय जल मिलता भी है तो वह पानी पीने के लायक नहीं होता है. तो १,५३,७८,७३० आदमी इन ग्रामों में बसते हैं और इन लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। तो हम वास्तविक आजादी तभी समझेंगे जब कि हमारे देहात में रहने वाले किसानों को, ग्रामों में रहने वाले लोगों को दवा दारू शिक्षा तथा पीने के पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्था हो जायेगी। यदि हम यह नहीं कर सकते है तो हमारी यह आजादी अधूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर बसने वाले अनुसूचित जाति के जो लोग है जिन्हें मुसहर जाति के नाम से पुकारा जाता है आज २२ वर्ष की आजादी के बाद भी शादी विवाह के अवसर पर उनके बच्चे जूठे पड़े पत्तलों को कुत्तों से झूंझते दिखाई देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चे हैं उनकी शिक्षा आदि के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

अब प्रश्न यह है कि ग्राल-सभाओं और न्याय पंचायतों की स्थिति बहुत ही खराब है। इसको किस प्रकार से सुधारा जाय। इन ग्राम सभाओं और न्याय पंचायतों के बारे में दो कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दी है। एक तो संतानम कमेटी और दूसरी बलवन्त राय मेहता कमेटी। इन कमेटियों ने कुछ सुझाव दिये हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि सरकार को चाहिये कि लगान की वसूली ग्राम सभाओं से प्रान्तीय सरकार कराये और सवा छः प्रतिशत कमीशन लगान वसूल करने का ग्राम सभाओं को दे इससे १ करोड़ रुपया ग्राम सभाओं को मिल जायेगा इसके अतिरिक्त गांवों में लगने वाले मेले, कोल्हू, बाजार ऐसी जितनी चीजें है और जिनसे आय होती वह सब ग्राम सभाओं को मिलनी चाहिये। किन्तु वह आमदनी कहीं स्वास्थ्य विभाग वसूल कर लेता है, मिट्टी के तेल का लाइसेंस जिला पूर्ति अधिकारी के पास चला जाता है, परिषदों के पास चला जाता है। तो मेरा निवेदन है कि आय के वितरण में जो असमानता है वह दूर की जानी चाहिये और ग्राम सभाओं को केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार से दिया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो पंचायतों के सेक्रेटरी होते है, वे भी यही काम करते हैं जो कि एक ग्राम सेवक करता है। उनकी भी वही योग्यता है जो कि ग्राम सेवक की योग्यता है किन्तु दोनों के वेतन क्रम में बड़ा अन्तर है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वेतन क्रम में समता ले आनी चाहिये और उनके वेतनक्रम को समता की ओर ले आना चाहिये।

[श्री जंगबहादुर सिंह]

मंत्री जी ने कहा कि हमारी ग्राम सभाओं ने काफी प्रगति की है लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं और अनुभव के आधार पर बता देना चाहता हूं कि जितनी भी हिसाब किताब की कार्यवाही है वह बिलकुल गलत होती है। ९९ फीसदी ग्राम सभाओं की बैठक नहीं होती, एक दो बैठक होती है और कागजात में भर दिया जाता है। आय व्ययक का लेखा जोखा कहीं तैयार नहीं होता। लेखपाल उसको फर्जी तौर पर तैयार करता है और वह पंचायत की बैठक में भी सुनाया नहीं जाता है और न पास होता है। पंचायतों के द्वारा जो टैक्स लगाये जाते है उनकी वसूली नहीं होती और जो योजनायें बनायी जाती हैं वे भी सब फर्जी होती है। कागजात पर ही टैक्स दिखाया जाता है और उसकी वसूली भी दिखा दी जाती है गांव समाज का जो कुटुम्ब रजिस्टर है वह भी नियमानुकूल नहीं बनता है। यह रजिस्टर भी ठीक ढंग से बनाया जाय। सरकार के पास जो रिपोर्ट तिमाही, छमाही और सालाना आती है वह भी फर्जी होती है। पंचायत सेक्रेटरी के लिये यह नियम है कि रात को उसे अपने क्षेत्र में ही रहना चाहिये। लेकिन यह रात का हाल्ट भी फर्जी दिखाया जाता है।

अभी हाल में अलीगढ़ के एक प्रश्न के संबंध में उत्तर दिया गया था जिसमें पंचायत के दफ्तर की आमदनी बतायी गयी थी। जो आमदनी उत्तर में दी गयी थी, वह और हर गांव की आमदनी जोड़ कर जो आयेगी दोनों में बहुत अन्तर है। जिला अलीगढ़ में अतरौली के बारे में इस बात की जांच करा लें। मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है। इसकी जांच अवश्य करायी जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पंचायत राज मन्त्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, पंचायत राज की बुनियाद डाली गयी थी इस मुल्क के विकास के लिये, उन्नति के लिये, गांवों की तरक्की के लिये, गांवों के उद्योग धंधों के विकास के लिए, लेकिन आज पंचायतों और गांव-सभाओं को देखते हुए यह पढ़ रहा है कि वह दृष्टिकोण आज गांव सभाओं के सामने है ही नहीं। वह बुनियाद कुछ है ही नहीं। गांवों की तरक्की के बजाय गांव सभायें गांवों का सत्यानाश करने का काम कर रही हैं। उसको देखकर बड़ा दर्द और अफसोस होता है। गांव सभाओं की स्थापना की गयी थी स्वराज्य की बुनियाद को मजबूत करने के लिये, गांवों की और देश की एकता को बनाये रखने के लिये, लेकिन वे बातें बिलकुल सपना हो गयीं। १९६७ से ७० तक असेम्बली के चुनाव दो बार हो गये। लकिन गांव सभाओं के चुनाव पिछले१० सालों से अब तक नहीं हुए। जब गांव सभाओं की म्याद ३ बरस की तब पंच लोग कुछ कार्य भी करते थे, प्रधान लोग सोचत थे कि उनको चुनाव क लिय फिर जनता के सामने जाना है लेकिन अब तो गांव का प्रधान सोचता है कि उनका चुनाव १९७५ तक होने वाला नहीं है। इसलिये अब जो चाहो सो करो। और जितनी गांवों में खराबियां हैं सब गांव सभाओं की वजह से है। चाहे गांव सभा का प्रधान हो, सरपंच हो या सदस्य हो वह गांवों में लोगों कई टुकड़ों में विभक्त करने में बड़ा योगदान देता है।

मान्यवर, अब जिला परिषद के अध्यक्ष लोग नहीं रहे लेकिन जिला परिषद की इकाइयां हैं, ब्लाक प्रमुख है और ब्लाक प्रमुख के जरिये जूनियर और सीनियर ब्लाक प्रमुख है और उसके पदाधिकारी है, केवल जिला परिषद के अध्यक्ष को छोड़कर, पंचायत राज ऐक्ट में जितनी सुविधायें मिली है वह सब मौजूद हैं। न ब्लाक तोड़े गये, न गांव सभा तोड़ी गयी, न न्याय पंचायत तोड़ी गयी। आज जो हालत गांवों की है उससे यह साबित होता है कि गांव सभा देश के लिये हितकर नहीं है बल्कि अहितकर है। अगर गांव सभा का यही स्वरूप रहा और गांव सभा के काम करने के नियम यही रहे तो देश में प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकता। इसलिये कि इतना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गणित काम हो रहा है गांव और न्याय पंचायतों और ब्लाक के जरिये कि उससे प्रजातंत्र में लोगों की आस्था उठ रही है। एक बात मैं बताऊं कि आज जो सरकारी अनुदान देते है, विकास खंडों के द्वारा अनुदान देते है, गांव सभाओं को पानी पीने के लिये, पुल पुलिया के निर्माण क लिय, स्वास्थ्य केन्द्र के लिये, कम्युनिटी प्रोजेक्ट आदि आदि के लिये जो अनुदान देते है अगर आप विकास क्षेत्रों में चले जाइये तो आप देखेंगे कि जितना अनुदान दिया गया है उसका बीसवां अंश भी काम नहीं हुआ है। कोई ब्लाक प्रमुख बैठे हों तो माफ करेंगे, मैं भी ५-७ साल ब्लाक प्रमुख रह चुका हूं, एक आध भाई हों जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो लेकिन आज इसका उपहास उड़ाया जा रहा है और इससे बड़ा खराब असर जनता पर पड़ रहा है। आज गांवों की जनता समझती है कि पचायतों से कोई लाभ नहीं है। इसलिये मेरा पहला सुझाव आपके माध्यम से पंचायत राज मंत्री जी से यह है कि गांव सभाओं और न्याय पंचायतों का तुरन्त एलेक्शन करा दें और साथ ही जो महन्त लोग १०-१०, १२-१२ साल से गद्दी पर बैठे है उनकी महन्ती खत्म हो। दूसरे जिला परिषद के अध्यक्ष तो खत्म किये गये लेकिन उसकी इकाई ब्लाक प्रमुख अभी तक मौजूद है। उनको भी खत्म होना चाहिये और ब्लाकों का रिआर्गेनाइजेशन करा देना चाहिये। इससे कुछ तब्दीली आ सकती है। जो सपने हम देखते थे और पंचायत राज नियमावली में जो कहा गया था कि सम्पूर्ण स्वराज्य की बुनियाद को मजबूत करने वाली गांव सभायें होंगी, महात्मा गांधी का वह स्वप्न पूरा नहीं हुआ।

मान्यवर, आप भी जानते है हमारे सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की हालत देखे तो प्रधान सिर्फ मुकदमा लड़ाता है, गांव समाज की सम्पत्ति का दुरुपयोग करता है और कोई रोक नहीं है। कोई गांव सभा है जहां संपत्ति का मिसयूटिलाइजेशन, गांव की संपत्ति का, न हुआ हो? आज गरीबों को जमीन नहीं दी गयी और गांव सभाओं में उनके नाम पर उनको दे दी है जिनके पास २०-२५ एकड़ पहले से थी। एक तो महान काम यह किया है कि गांव सभा का अधिकार अलग है, गांव समाज का अलग है। दो अधिकार का उपभोग गांव सभा के प्रधान करते हैं। एक माल विभाग से संबंधित है, एक पंचायतराज से। जो कार्य उनको सौपा गया है, आशा थी कि गरीबों की भलाई होगी, गांव का स्तर ऊंचा होगा, गरीबों को राहत मिलेगी, गांव में रास्तों का और स्कूलों का निर्माण होगा और गांव तरक्की करेगा। वह तो अलग रहा, उसके उल्टे काम किये गये। अगर जल्दी जल्दी चुनाव होता है तो यह खयाल रहता है कि मुझे अगले चुनाव में आना है इसलिये अच्छे काम करने की कोशिश वह करता है। लेकिन वहां तो जैसे महंत बैठा दिये गये हैं। तो चाहे ऐक्ट बना कर या आर्डिनेंस के जरिये ४-६ महीने में चुनाव कराये जायं जो सही हों। आज एक गांव सभा की हालत बताऊं कि नियम यह है कि उप प्रधान का चुनाव हर वर्ष होगा और एक उप प्रधान एक गांव सभा में ६ वर्ष से चला आ रहा है, उसका चुनाव नहीं हुआ है। उससे पूछा कि क्या बात है तो उसने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, उप प्रधान का चुनाव हर साल नहीं होता। तो यह ही पता नहीं है कि नियम क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है तो फिर ऐसी गांव सभा का भगवान ही कल्याण करे। हमारे बुजुर्ग नेता सोचते थे कि गांव सभा सभा की बुनियाद पर देश की नींव खड़ी होगी, देश की वह इकाई होगी, प्रजातंत्र उससे मजबूत होगा और बुनियाद हमेशा ठोस रहेगी और गांधी जी का सच्चा स्वराज्य का सपना पूरा होगा, लेकिन आज प्रजातंत्र की नींव मजबूत होने के बजाय हिल रही है। इसलिये मैं बड़ा नम्र निवेदन करूंगा कि तुरन्त चुनाव करा दें। इन शब्दों के साथ मैं पंचायतराज मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत की कल्पना बहुत पवित्र कल्पना थी और मुख्यत: दो उद्देश्यों से प्रभावित होकर गांव पंचायत के निर्माण की कल्पना की गयी थी। एक उद्देश्य तो था, ग्रामीणों की समृद्धि बढ़े, और दूसरा उद्देश्य था सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो, लेकिन देखा क्या गया? गांव पंचायत की स्थापना के बाद मुझे तो बड़ा खेद होता है कि न तो कुछ समृद्धि ही

[श्री रामदेव---]

बढ़ी और न तो सत्ता के विकेन्द्रीकरण का अनुभव ही हो सका। उलटे हुआ क्या? वैमनस्य बढ़ा, विरोध बढ़ा, दलबन्दी बढ़ी, भ्रष्टाचार पनपा, ईर्ष्या बढ़ी, स्पर्धा बढ़ी, प्रतिद्वन्दता बढ़ी और मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि ग्राम्य जीवन तो गांव पंचायत के फलस्वरूप नरक बन गया। यह क्यों? बड़ा गम्भीर प्रश्न है। सरकारी पक्ष के लोग और विरोधी पक्ष के लोग दोनों यह कहते हैं कि चुनाव नहीं हुए। चुनाव न कराने के क्या कारण थे? चाहे माननीय गुप्ता जी की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान सरकार हो और चाहे १९६७ की संविद की सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने गांव पंचायतों के चुनाव की ओर ध्यान नहीं दिया। क्यों? मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि सरकारों ने, चाहे किसी की सरकार रही हो, उपेक्षा की ग्राम पंचायतों की ओर, परिणाम स्वरूप ग्राम की लक्ष्मी शहरों की ओर जाने लगी और ग्राम उजड़ने लगे और आज तक ग्राम बराबर उजड़ते जा रहे हैं।

ग्राम पंचायत में दो मुख्य भाग होते हैं---एक गांव पंचायत का और एक न्याय पंचायत का। न्याय पंचायतों के सरपंच भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर पहुंच गये हैं। जो भ्रष्टाचार जिले की अदालतों में नहीं है जो भ्रष्टाचार तहसीलों की विभिन्न अदालतों में नहीं है, उससे १०० गुना भ्रष्टाचार न्याय पंचायतों के सरपंचों के माध्यम से किया जा रहा है। फौजदारी के मुकदमे होते हैं, अभियुक्त हाजिर नहीं होते हैं और अर्थदण्ड हो जाता है। अभियक्तों को तब ज्ञान होता है जब उनके यहां कुर्कियां जाती हैं, साल दो साल बाद गांव में दलबन्दी के फलस्वरूप मुकदमे चलाये जाते हैं। सरपंच एक पक्ष की ओर दिलचस्पी लेते हैं तो दूसरे पक्ष के ऊपर लम्बा अर्थदण्ड कर देते हैं और उसकी जानकारी उनको नहीं हो पाती हैं। मैं तो इसका भुक्तभोगी हूं इसलिये इसको अच्छी तरह से जानता हूं। कलेक्टर से जाकर कहते हैं, वहां भी सुनवाई नहीं होती है, वह उनके कागजात को जब्त नहीं करते हैं। ए० डी० ओ० तो इतना नालायक है कि मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। यह स्थिति है न्याय पंचायतों के सरपंचों की, और गांव पंचायतें जो हैं उनकी भी स्थिति दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। भूमिहीन लोगों को जमीन देने की बात कही जाती है, लेकिन भूमिहीनों को जमीन क्यों नहीं मिली? गांव पंचायतों और गांव सभाओं के लोगों ने भूमिहीनों को भूमि देना उचित नहीं समझा। जो प्रभावकारी लोग थे उनके बेटों और लड़कियों के नाम पट्टे हो गये, लेकिन गरीब भूमिहीनों के पट्टे नहीं हुए। आज भी ग्राम प्रधान जो हैं, वह भूमिहीनों को पट्टे देने के पक्ष में नहीं हैं। जिन भूमिहीनों के पट्टे हो भी गये थे, सन् १९६७ में एक आदेश गया नाजायज पट्टे खारिज करने के लिये, उसके परिणामस्वरूप गरीबों के पट्टे खारिज हो रहे हैं और जो प्रभावकारी है उनके पट्टे खारिज नहीं किये जा रहे हैं। सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिये, लेकिन सरकार ध्यान देती नहीं।

सन् १९६०-६१ में चुनाव हुए थे और १० वर्ष व्यतीत हो गये, पर चुनाव अब तक नहीं हुए हैं। आज स्थिति क्या है? १०, ११ महीने और साल साल भर गांव पंचायतों की बैठक होती ही नहीं हैं और पंचायत मंत्री लोग गलत रिपोर्ट कर देते हैं। यह सब सरकार की उपेक्षा के कारण है, जिससे गांव की समृद्धि जो है, गांव की लक्ष्मी जो है, वह दिन प्रति दिन शहर की ओर चली आ रही है और गांवों की दुर्दशा होती जा रही है। तो मैं जोरदार शब्दों में सरकार से मांग करना चाहता हूं कि गांव पंचायतों को तोड़ दिया जाय, क्षेत्र समितियों को समाप्त कर दिया जाय और समाप्त करके तत्काल उनके चुनाव कराये जायें। चुनाव भी इस शर्त के साथ हो कि सरकार उनकी ओर ध्यान दे। अगर उसी प्रकार से ध्यान दिया जाना है जैसा कि अभी तक हुआ तो मैं समझता हूं कि गांव सभाओं की, गांव पंचायतों की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्षेत्र समितियों की भी कोई आवश्यकता नहीं है और साथ ही जिला परिषदों की भीकोई आवश्यकता नहीं है। डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि हिन्दुस्तान में खम्भा राज्य स्थापित होना चाहिये। जो सम्पूर्ण देश की आय हो, उसका एक भाग केन्द्र का, एक भाग राज्य का, एक भाग जिला परिषद् का और एक भाग गांव सभाओं का हो तभी वास्तविक रूप में, अपनी

इस विकेन्द्रीकरण की प्रणाली में सफल होंगे। आज जिस प्रकार से हमारा कार्य किया जा रहा है क्या वास्तव में यह उस राज्य की कल्पना भी कर सकता है। आज वह विफल हो रहा है। जिन महानुभावों ने गांव पंचायतों की स्थापना की थी, बापू जी, पूज्य महात्मा गांधी जी ने, क्या उन्होंने इस आधार पर इसकी कल्पना की थी जो आज है? उनकी कल्पना के विपरीत आज कार्य हो रहा है। मैं सरकारी पक्ष से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि उनको गांव पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों की ओर ध्यान देना है, उसी के अनुरूप १/४ भाग उनको इस में आय का व्यय करना चाहिये अन्यथा उनके चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है।

आज ब्लाक की भी क्या स्थिति है। वहां पर कोई साधारण भ्रष्टाचार नहीं है। छोटे-छोटे कामों में भी वहां पर रिश्वत ली जाती है। खाद और उर्वरक आदि में बेचारे काश्तकार रिश्वत देते-देते परेशान हैं। उनको १०० रु० की खाद दी जाती है और वहां पर उनके नाम से १५० टांक दिये जाते हैं और इस धनराशि को बेचारे किसानों को देना पड़ता है। ए० डी० ओ० तथा बी० डी० ओ० बिल्कुल ही बेकार साबित हुये हैं। इनको समाप्त कर दिया जाना चाहिये। अगर रखना है तो केवल ए० डी० ओ० कृषि तथा पंचायत ही रहें और सभी को समाप्त कर दिया जाय। यहां पर तो बेकारों की एक पल्टन एकत्र कर दी गई है और वे सभी मिल कर देश और प्रदेश को रसातल लिये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में हम कुछ अधिक नहीं बोलना चाहते हैं। हमारे देश का जो राष्ट्रीय चरित्र है वह निरन्तर ही गिरता चला जा रहा है और अब उस चरित्र को बचाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से इस प्रकार के कर्मचारियों को हटा दिया जाना चाहिये। हम तो स्वस्थ दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में ब्लाकों की कोई भी आवश्यकता नहीं। जिला परिषदें टूटीं और उन्हीं के साथ ही साथ आवश्यकता यह थी कि क्षेत्र समितियां भी टूटतीं और उन्हीं के साथ ही साथ गांव पंचायतें भी टूटतीं, पता नहीं उनको नहीं तोड़ने में सरकार की क्या साजिश है और उनको इससे क्या मिल जायगा जो उसने क्षेत्र समितियों तथा गांव पंचायतों को नहीं तोड़ा है। यदि यही अवस्था है तो उनका तोड़ दिया जाना ही श्रेयष्कर है। जिला परिषदें टूटीं टूटने के बाद भी आज तक उनकी स्थिति क्या सुधरी? नहीं सुधरी। प्रतापगढ़ जिला परिषद् के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। जो पुराने अध्यक्ष थे उनके माध्यम से आज भी पुरानी तारीख में नियुक्तियां हो रही हैं। कलेक्टर का राज्य जिला परिषद् के बाबू नहीं मानते और न जिला परिषद् के अधिकारी ही मानते हैं। तो जिला परिषदों के टूटने का क्या परिणाम हुआ? कोई परिणाम नहीं हुआ। अगर जिला परिषद् टूटी तो क्षेत्र समितियां भी टूटनी चाहिये थीं और गांव पंचायतें भी टूट जानी चाहिए थीं। जिला परिषदें टूटीं तो बहुत लोग बड़े प्रसन्न हुए। हम समझे कि अब अच्छा न्याय सुलभ होगा, अब अध्यापक भूखों नहीं मरेंगे, अब अध्यापिकाओं का शीलभंग नहीं होगा, भ्रष्टाचार और गबन नहीं होगा। लेकिन स्थिति वैसी ही आज भी चल रही है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस स्थिति की विशेष तौर से जांच करे और उस पर काबू पाने की कोशिश करे।

एक सुझाव देना चाहता हूं। जिला परिषद् का चुनाव हो और शीघ्र हो। लेकिन कैसे हो? जिला परिषद् का अध्यक्ष प्रमुखों या विधायकों के माध्यम से चुना जाता है, यह नहीं होना चाहिए। उसका चुनाव जनता के माध्यम से होना चाहिए। तब जिला परिषद् में जनतंत्र का राज्य होगा। अगर जनता के माध्यम से चुनाव नहीं होता और वही कुछ सीमित प्रतिनिधि चुनते हैं तो जो बदमाश और भ्रष्टाचारी होते हैं वह पैसे के बल से उन्हें अपनी ओर कर के चुनाव जीत जाते हैं। तो जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव जनता के माध्यम से हो तभी जनतंत्र की रक्षा हो सकती है और तभी वह अध्यक्ष जनता का सच्चा प्रतिनिधि हो सकता है। इ सी तरह से ब्लाक प्रमुखों का चुनाव प्रधानों के माध्यम से न होकर विकास खण्ड जितने भू-भाग पर हों उसके वयस्क मताधिकारियों के माध्यम से होना चाहिये। तब जनतंत्र पनपेगा वरना

[श्री रामदेव]
जनतंत्र नहीं पनपेगा और भ्रष्टाचार जो आज तक बरकरार है वह निरन्तर रहेगा। गांव पंचायतों में भी यह है कि पहले सदस्यों का चुनाव होगा और फिर सदस्य प्रधान को चुनेंगे, यह प्रणाली ठीक नहीं है। सदस्यों का भी और प्रधान का भी चुनाव गांव सभा के जितने वयस्क मताधिकारी हैं उनके माध्यम से होना चाहिए। लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यह सब चुनाव व्यर्थ हैं, यदि सरकार की वही उपेक्षापूर्ण नीति रहती है इन गांव सभाओं के प्रति जैसी कि दस वर्षों तक रही है।

श्रीमन्, दो मिनट और दे दें। राजस्व की वसूली के लिए जैसे बहुत से कारिन्दे तैनात किये जाते हैं। एक बटे चार भाग ही सही, यदि राजस्व को गांव सभाएं वसूल करें तो उनका दायित्व बढ़ेगा और वह अनुभव करेगी कि हमारा अधिकार बढ़ रहा है। उनकी आय विभिन्न श्रोतों से बढ़नी चाहिए। मेरे एक पूर्व वक्ता ने कहा कि बड़ा अनुदान दिया गया। मैं भी पांच वर्ष तक ब्लाक प्रमुख रहा हूं। पहले ४० या ३५ हजार जनस्वास्थ्य और यातायात का अनुदान आता था।

एक ब्लाक में ८० हजार या १ लाख वयस्क मताधिकारी होते हैं। अगर एक-एक वयस्क मताधिकारी को, उसका हिसाब लगाया जाय तो ७-८ आना प्रति वयस्क वह अनुदान का भाग मिलता है। इससे उसका लाभ हो सकता है मेरी समझ में यह बात नहीं आती। अनुदान जो दिया गया वह नगण्य रहा। उस पर यह दम भरना कि अनुदान दिया गया कोई उचित बात नहीं है। दूसरे अनुदान का दुरुपयोग भी हुआ। मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। मैं सरकारी पक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको समाप्त करें नहीं तो यह हिन्दुस्तान जहन्नुम में जायगा और रसातल को चला जायगा और इतनी भयंकर क्रान्ति होगी और ऐसा ज्वालामुखी पहाड़ टूटेगा कि हमारे और आपके संभाले नहीं सम्भलेगा। हमारी और आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनता अपने आप इसको सम्भाल लेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री पन्नालाल (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो पंचायत राज का अनुदान हाउस के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज हमारे सामने पंचायत राज का यह जो अनुदान है उस पर जो यहां पर बातें हुईं उसमें जो शिकायतें सुनने को मिलीं वह कुछ सही भी हैं। उन पर हमारे मंत्री जी की नजर गई है। इसलिए ही हमारी सरकार ने जिला परिषद् के ऐक्ट को खतम किया। इससे सब को राहत मिली है, अध्यापकों को राहत मिली है और दूसरे लोगों को भी राहत मिली है। जो क्षेत्रीय परिषद् रही है और ब्लाक कमेटी रही है उनको भी तोड़ देना चाहिये था, मगर सरकार के सामने जो दिक्कत है वह हम भी देख रहे हैं। आज जिला परिषदों को तोड़ा गया है तो जिलाधीश को पावर दी गई है। मगर मैं देखता हूं कि जिलाधिकारी उस कार्य को सुचारुरूप से नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जिले का ही इतना काम है, इतना इन्तजाम है कि वह उसी काम को नहीं कर पा रहे हैं। जिला परिषदों का इन्तजाम उनको करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। इसलिये सरकार के सामने यह दिक्कत आई कि आज उन्होंने पंचायतों के चुनाव को एक साल के लिये और बढ़ा दिया क्योंकि हम आज पंचायतों के इन्तजाम को लेखपाल या तहसीलदार को देते हैं। आज हम यह नहीं समझते हैं कि वह गांव पंचायत का सभापति १० साल से काम कर रहा है और वह इतना भ्रष्ट हो गया है उसको और भ्रष्ट करना उचित नहीं है। आज लेखपाल और नायब तहसीलदार को जो यह इन्तजाम दिया गया है उनकी हालत को मंत्री जी के सामने मैं निवेदन करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरे जिले में जो मुकदमें ११५-डी के चले उनमें तहसीलदारों ने तीन-तीन, चार-चार हजार रुपया जुर्माना करके और लेखपालों से प्रचार करा के कितने ही गरीब किसानों से स्तीफे ले लिये और सारी फसल को तहसीलदार, गांव सभा के सभापति और लेखपाल मिल कर गायब कर दिय।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय, यह ११५–डी से और पंचायतों से क्या मतलब है ?

श्री पन्नालाल—

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि मैं उदाहरण दे रहा था कि किस तरह से आज वहां क्या-क्या किया जा रहा है और सरकार की क्या नियत है। ११५–डी में नये फसलों क उन लोगों ने गरीब किसानों के स्तीफे लेने के बाद, गांव सभा के सभापति, लेखपाल और तहसीलदार तीनों ने मिल कर सारी फसल पूरी गायब कर दी और सरकारी खजाने में एक पैसा भी नहीं आया, और जिन गरीबों ने जमीन को बोया जोता, बीज खाद डाला, आबपाशी जिनसे वसूल की गई लेकिन फसल को इन तीनों ने बांट लिया। अगर ग्राम सभायें तोड़ दी जातीं और सभापति हटा दिये जाते तो इस से भी ज्यादा बुरी हालत यह तहसीलदार और लेखपाल करते। आज जो सरकार ने एक वर्ष का समय बढ़ाया है और चुनाव कराने का वादा किया है वह निहायत अच्छा है और सुन्दर चीज है जब कि गांव का गरीब किसान बहुत ही ज्यादा परेशान था।

इस के अतिरिक्त माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं कहूंगा कि जिला परिषदें खत्म की गईं उससे जरूर राहत मिली है, जैसे किसी आदमी को जब बुखार आता है और वह अच्छा हो जाता है तो उसको राहत मिलती है लेकिन अगर वह खाना अधिक खाने लगता है तो फिर बीमारी पकड़ लेती है, इसी तरह से जब कलेक्टरों का इन्तजाम होगा और देहात के आदमियों से कर वसूल होगा और उनको दिक्कतें होंगी तो उनको मालूम होगा कि पहले की व्यवस्था अच्छी थी या यह कलेक्टर का इन्तजाम अच्छा है। म्युनिसिपैलिटी की हालत यह है कि जब वह ससपेंड हुई तो ९ मास में सरकारी अफसरों ने ३० हजार रुपये की चुंगी का नुकसान किया और फिर जब सस्पेंशन समाप्त हुआ तो चुंगी की आय बढ़ गई। जिस तरह से यहां असेम्बली तोड़ कर प्रेसीडेंट रूल आया तो वैसे ही होगा जैसे पहले हो चुका है। बाद में चुनावों के बाद हम लोग यहां चुन कर आये हैं और यहां हम सब जन प्रतिनिधि आते हैं और सरकार चलाते हैं लेकिन जब सरकारी अधिकारी बीच में आ जाते हैं तो सब इन्तजाम खराब हो जाता है। मैंने सरकारी अधिकारियों से सुना कि जब कोआपरेटिव सोसाइटियां बनीं तो वह बड़े सुन्दर ढंग से चलती थीं पर जब उनमें यह सुपरवाइजर वगैरा जा घुसे सारा मामला ही समाप्त हो जाता है और सारा रुपया खा जाते हैं। इसी तरह से इन पंचायतों की सक्षमता भी समाप्त हो जाती है और इन का एक भयानक रूप आप की उत्तर प्रदेश में उनका दिखाई दिया। इस तरह से उनमें सरकारी अधिकारियों का निरंकुश राज हो जाता है और वह मनमानी करने लगते हैं। श्रीमन्, आपको मालूम होगा कि यह कैसे हो जाता है। जब क्षेत्र समिति में अनुदान बांटा जाता है, उसमें ये सरकारी अधिकारी किस प्रकार से ५ परसेंट और १० परसेंट का बटवारा करते हैं। मैं यह भी नहीं कहता कि सब अधिकारियों की नियत ऐसी ही है। बहुत से अच्छे लोग भी हैं।

मेरे ही इलाके में एक मनुआ क्षेत्र है। उसमें जो बी० डी० ओ० आया है वह बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है। दिन-रात दौड़ा फिरता है और विकास के कार्य में जितना अच्छा काम उसने किया है वह और कोई अधिकारी नहीं कर सकता है। उन्होंने ६ महीने में ही कम से कम ९० ट्यूबवेल लगवा दिए हैं। सोना कड़ा भी होता है और नर्म भी होता है। यह सुनार के हाथ की बात है। वह चाहे तो उसे नर्म बना दे और अगर चाहे तो उसे सख्त

[श्री पन्नालाल]

भी बना दे। उसमें तांबा मिलाने से उसे नर्म बनाया जा सकता है और अगर उसको स्वच्छ और शुद्ध ही रखना चाहें तो वैसा भी कर सकता है। उसी प्रकार से जिस विभाग या स्थान पर स्वच्छ अधिकारी, ईमानदार अधिकारी पहुंच जाता है, उसके नीचे के अधिकारी भी स्वच्छ रहते हैं और अगर ऊपर का अधिकारी भ्रष्ट है तो नीचे के जो भी अधिकारी होंगे अवश्य भ्रष्ट हो जायेंगे। आज इसी तरह से पंचायत राज का जो विभाग है उसमें भी हमने यही देखा है। जहां तक सेक्रेट्रीज का ताल्लुक है वे यह नहीं समझ पाते हैं कि वे सरकारी नौकर हैं या अर्ध सरकारी हैं। पंचायतों के पास उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें ज्यादातर ५० फीसदी से ज्यादा हमारे वे आदमी बैठे हैं जो राजनीतिक पीड़ित हैं। जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को देश से निकाला जो वहां पर काम करते हैं, उनकी दुर्दशा यह है कि उनका कोई पुरसांहाल नहीं है।

आज हर अधिकारी की तनख्वाह बढ़ गयी। हर म्युनिसिपैलिटी का ओवरसियर, म्युनिसिपैलिटी का एक्जीक्यूटिव अधिकारी, म्युनिसिपैलिटी का इंजीनियर सरकारी कर्मचारी हो गया और उनकी नियुक्ति सरकार के हाथ में हो गयी है। इनके स्थानान्तरण हो रहे हैं और ये सरकार से तनख्वाह पा रहे हैं। मगर पंचायत सेक्रेटरीज को कोई पूछने वाला नहीं है। लेखपाल सरकार से तनख्वाह पायेगा मगर पंचायत सेक्रटरीज की कोई हालत नहीं है। आज हमें सरकार से प्रार्थना करनी है कि सरकार उस तरफ भी ध्यान दे ताकि उनको भी राहत मिले, उनको ठिकाने से तनख्वाह मिले।

"भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला"। जब सेक्रेटरीज भूखे रहेंगे तो वे क्या काम करेंगे ? इस तरह से मैं आपके जरिये से कहना चाहता हूं कि आज तक जितनी चीजें हुई, बहुत अच्छी हुई और होंगी। हम ठीक हैं तो दुनिया ठीक है। अगर हम बेईमान हैं तो दुनिया बेईमान है।

"बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिय कोया।
जो मन खोजा आपना, मुझ सा बुरा न कोय।"

इन शब्दों के साथ मंत्री जी ने जो अनुदान रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं भी अपने सरकारी पक्ष के साथियों के विचार से सहमत हूं कि पंचायतों को अब समाप्त ही कर दिया जाय। यदि पंचायतों का कोई महत्व ही नहीं, इस प्रदेश में, राजनायक इस पंचायत के सिद्धान्तों को मानते ही नहीं तो पंचायतों को जिला रखने से कोई लाभ यदि इस प्रदेश के नहीं है। अभी हमारे माननीय साथी वकालत कर रहे थे कि गांवों में दलबन्दी पैदा हो गई है इसलिये पंचायतों को समाप्त किया जाय। मैं उन साथियों से पूछना चाहता हूं कि आपके विधान सभा और संसद के चुनाव के कारण क्या गांवों में पार्टी बाजी नहीं है ? क्या जिले की और प्रदेश की दलबन्दी गांवों में नहीं फैली है ? यह सत्य है कि दलबन्दी का जो विषाक्त वातावरण गांवों में पैदा हुआ है वह इस प्रदेश के राजनीतिज्ञों के कारण पैदा हुआ है। इस प्रदेश के राजनीतिज्ञों ने गांव-गांव में दलबन्दी पैदा की है। जाति के आधार पर बांट दिये गये हैं। एक गांव में जितनी जाति के लोग हैं उतने पृथक्-पृथक् गुट गांव में पैदा हुये हैं और इसके लिये सोल्ली जिम्मेदार वही लोग हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज हम आदरणीय सदन में पंचायतों की निन्दा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो हमारे साथी यह कहते है कि पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ, पंचायतें समाप्त कर दी जायं। तो पंचायतों का चुनाव क्यों नहीं हुआ, क्या गांव प्रधानों ने कहा कि चुनाव न किया जाय ? क्या उन्होंने प्रस्ताव पारित किया चुनाव न होने का। यह जिम्मेदारी इन्हीं आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों की है ? बार बार चुनाव टाले गये और चुनाव टालने का एक ही कारण है कि पंचायतों को कोई महत्व न दिया जाय।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश को गौरव प्राप्त हुआ। इस उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना पूरे प्रदेश में की गई और आज पंचायत राज की दुर्दशा इसी प्रदेश में हो रही है जहां सब से पहले पंचायत राज कानून लागू हुआ था। मैंने एक बार और कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि जैसे ही पंचायत राज से पंचायतीराज हो गया उसी दिन यह सोने से सुनहरा हो गया। जिस दिन पंचायतीराज हुआ है उसी दिन सर्वनाश हो गया है पंचायतों का। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार निर्णय करे कि आप पंचायत के सिद्धान्तों को मानते हैं या नहीं ? जिस सिद्धान्त का निर्देशन हमारे संविधान में दिया गया है ? जिस पंचायत के सिद्धान्त को उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है उस पर आपके पक्ष का विश्वास है या नहीं। यदि विश्वास है तो ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ उस भावना को मजबूत किया जाय, पंचायतों को मजबूत किया जाय। हमारे प्रदेश में जब पंचायत राज की स्थापना हुई थी तो लोगों ने बड़ी आशायें की थीं लेकिन अब आपने पंचायती राज का एक झुनझुना, एक खिलौना उनके हाथ में दे दिया है। पंचायतें इसकी मांग बहुत दिनों से करती रही है कि पंचायतों को लगान में से कुछ हिस्सा दिया जाय जिससे क्षेत्र समितियां आसानी से अपना काम चला सकें, लेकिन आज तक इस प्रदेश में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। शासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है लेकिन कोई भी कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं की गयी है। पंचायतों की आमदनी के और कोई स्रोत नहीं हैं और कोई साधन नहीं हैं, शासन की तरफ से जो अनुदान दिया जाता है उसी को वे खर्च करती हैं।

पंचायतों ने बहुत बड़े-बड़े काम किये है, हो सकता है कि कुछ पंचायतों में शिकायत हो लेकिन आज भी हमारे प्रदेश में बहुत-सी ऐसी पंचायतें मौजूद हैं जिन्होंने अपनी तरफ से बड़े-बड़े निर्माण के कार्य किये हैं। हमारे जिले में ही पंचायतों ने अपने सामूहिक प्रयास से श्रमदान द्वारा १८–१८ मील सड़कें तैयार की हैं। हमारे जिले की पंचायतों में कई ने ५०–५० और ६०–६० हजार रुपये की इमारतें खड़ी कर दी हैं पंचायत भवन और विद्या भवन के रूप में। फिर कैसे कहा जाता है कि पंचायतें काम नहीं करती हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात कहना सरासर गलत है और पंचायतों के साथ अन्याय है। इसलिये मेरा सुझाव है कि पंचायतीराज को खतम करके पंचायत राज कायम कीजिये। दूसरा सुझाव यह है कि इस सदन में आश्वासन दिया गया था कि सरकार कानून में व्यापक संशोधन करने जा रही है। उसके लिये शीघ्र से शीघ्र समिति का निर्माण करें और उसमें व्यापक परिवर्तन करें जिससे चुनाव प्रणाली में भी परिवर्तन किया जा सके। चकबन्दी में जिस तरह से राजनीतिक हथकंडे अपनाये गये हैं, उसका उदाहरण आपके सामने है। आपने इसमें रखा है उसके अनुसार कोई भी बाहरी आदमी खड़ा होकर क्षेत्र समितियों व जिला परिषदों का अध्यक्ष हो सकता है जब कि होना यह चाहिये कि गांव के लोग क्षेत्र समितियां में चुने जायं और क्षेत्र समितियों से जो लोग जिला परिषदों में जायं वे वहां के अध्यक्ष बनें। इस तरह की गलत चीजों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के चुनाव में राजनीतिक गुटबन्दी न हो इसके लिये आप व्यापक परिवर्तन अपना कर आप अधिनियम में संशोधन करें और इनके चुनाव शीघ्र से शीघ्र करावें।

पंचायतों में आज बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीतिक पीड़ित हैं और जिन्होंने देश की आजादी के लिये आपके साथ कंधा से कंधे लगा कर काम किया है। आप तो यहां मंत्री बन कर, एम० एल० ए० बन कर काम कर रहे हैं लेकिन वे आज भी पंचायत मंत्री का काम कर रहे हैं।

[श्री मैनेजर सिंह]

उनके साथ आप क्या व्यवहार कर रहे हैं ? उन पंचायत मंत्रियों को आज तक आपने सरकारी सेवक भी नहीं माना । ग्राम सेवक तो सरकारी सेवक हैं लेकिन वे सरकारी सेवक नहीं माने गये हैं जब कि वे ग्राम सेवक से अधिक काम करते हैं । पंचायत सेक्रेटरी को ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ०, प्रधान, सरपंच, और ना मालूम किस के मातहत काम करना पड़ता है । यह एक उदाहरण है जो पंचायत मंत्रियों के प्रति आपकी उपेक्षित भावना का द्योतक है । आपने जिला परिषदों को भंग किया, ठीक किया, उसका हम समर्थन करते है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिला परिषदों को भंग करके आपने उस जगह पर कलेक्टर को बिठा दिया, इससे काम नहीं चलने वाला है, नही कलेक्टर कोई काम करने वाले है न और ही कुछ काम करेंगे । उसके लिये आपको चाहिये कि आप एक समिति का गठन करें चाहे वह विधान मंडल के सदस्यों की समिति हो या अन्य किसी की बनायें जो एक-दो साल तक इन जिला परिषदों के कार्य को देखें ।

इसके अलावा जिला परिषदों के हाथ में शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको आप उनसे अलग कर दें और उसे जिला निरीक्षक के जिम्मे दे दें । अगर आप यह सब कार्य कर दें तो मैं यकीन दिलाता हूं कि जिला परिषदों की बहुत सारी बीमारी दूर हो जायेंगी । इसके लिये आपको जिला परिषद और क्षेत्र समिति अधिनियम और पंचायती राज विधेयक में आवश्यसक संशोधन करने पड़ेंगे और उसमें सुधार करना पड़ेगा । अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पंचायती राज को जो आपने अपंगु कर दिया है जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा पिछले ८,१० सालों में घटी है उसे आप सुधारें और पंचायती राज को मजबूत बनायें तभी जनता इस तरफ ध्यान देगी और जनता का कुछ भला भी हो सकेगा ।

*श्री राम वचन यादव (जिला आजमगढ़–रानी की सराय)---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । गांव सभा और न्याय पंचायत दोनों ही ग्रामीण क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण संस्थायें हैं । जो पिछले २२ वर्षों का इनका इतिहास रहा है उससे यह स्पष्ट है कि गांव-गांव में मन मुटाव और द्वेष बढ़ा है लाभ कुछ नहीं हुआ है । यह न्याय पंचायतें जिस मकसद से बनायी गयी थीं, वह पूरा नहीं हुआ । इनके द्वारा एक भी फैसला सही नहीं हुआ, जो हुये भी वह आगे न्यायालय में जाकर कैन्सिल हो गये । अधिकतर फैसले पार्टी बेसिस पर हुये । इस तरह से न्याय पंचायतों की तो जरूरत रह ही नहीं गयी है । रहा गांव सभाओं का प्रश्न, तो इनके चुनाव के कारण भी गांव में मन मुटाव पैदा हुआ है । इसके लिये अगर चुनाव पद्धति को बदल दिया जाय और उसको इस प्रकार बना दिया जाय कि वोटर को पोलिंग बूथ पर जाकर वोट न देना पड़े, बल्कि घर घर जाकर उसका वोट ले लिया जाये तो इस से आपस में मन मुटाव या द्वेष आदि की भावना नहीं फैल पायेगी । पोलिंग बूथ पर जाकर अगर वे वोट देंगे तो अवश्य दो पक्षों में लड़ाई होगी । अगर इसमें परिवर्तन नहीं किया गया तो इससे कोई लाभ नहीं होगा । इस तरह के चुनाव में बड़ी बेईमानी चलती है और पैसे का लेन-देन भी चलता है । रुपये के लेने-देने से हमारा नैतिक पतन भी हुआ है । आज भारतवर्ष में पुरानी नैतिकता नहीं रही हैं । वे पुराने उपकारी भी नहीं रहे हैं और इसलिये सब से महत्वपूर्ण प्रश्न यह है । लोग कहते हैं पैसा जाय प्रधान के पास। लेकिन हुआ क्या २२ वर्षों में ? पैसा गया लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ । मेरा निजी अनुभव है, मैंने पचासों गांव सभाओं का निरीक्षण किया है और पाया कि वहां न कोई आय का हिसाब है न व्यय का । जैसा हमारी सरकार का सौतेला व्यवहार उनके साथ है, वह किसी से छिपा नहीं है । सेक्रेटरी को देखिये, वह ग्राम सेवक के समान काम करता है, लेकिन उसका वेतन उससे कम है । उसका वेतन-क्रम १२०-२२० ही है जबकि उसका वेतन-क्रम क्रम १२०-२६० है । ग्राम सेवक वगैरह को भत्ता भी मिल जाता है, प्रधान को मिल जाता हो, मैं नहीं कह सकता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन उसको मिलता नहीं है। इस तरह से यह सरकार गांव संस्थाओं की तरफ उपेक्षा की दृष्टि से देख रही है। लेकिन चाहती है कि गांव समृद्ध हों, जनता सुखी हो तो इस तरह से करने से होगा नहीं। एक बहुत बड़ा ऐब यह है कि उत्तरदायित्व कोई लेना नहीं चाहता है। क्या कर्त्तव्य है और क्या उत्तरदायित्व, यह स्पष्ट न होने के कारण हर आदमी अपना काम दूसरों पर छोड़ कर निवृत्त हो जाना चाहता है। उत्तरदायित्व स्पष्ट होना चाहिये, तभी नियम विरुद्ध कार्य करने पर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ तुरन्त ऐक्शन लिया जा सकता है।

आज गांव में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति क्या है? जहां देहातों में एक भी पुलिस की व्यवस्था नहीं है, वहां शहरों में लाखों की संख्या में पड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि गांवों में दिन प्रति दिन डकैतियां पड़ रही हैं। उसकी तरफ सरकार की कोई कारगर व्यवस्था नहीं हो रही है। गांव में काम करने के लिये लेखपाल, सेक्रेटरी, ग्राम सेवक व अमीन आदि की एक फौज खड़ी कर दी गई है, लेकिन जिस फौज की वहां जरूरत है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि इन सब पदों को समाप्त करके केवल एक आदमी हो जो जिम्मेदारी के साथ लगान वसूल करे, खेती की पैमाइश भी करे, उनके संगठन की बात करना है तो उसको भी करे। पुलिस की जो व्यवस्था वहां पर की जाय, वह सशस्त्र पुलिस की व्यवस्था की जाय। यदि एसा नहीं किया गया तो आप समझें कि देश में जिस तरह से अव्यवस्था फल रही है, वह फैलती चली जायेगी। गांवों के लोग ऊब कर अपनी सम्पत्ति बेच कर शहरों में एकत्र होंगे और खेती करने वाला कोई नहीं होगा।

श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)––

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शुभ अवसर प्रदान किया, पंचायत विभाग की कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का। हमारे सभी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानों के जरिये गांवों में बहुत भ्रष्टाचार मचा हुआ है, तो मेरा भी यही अनुभव है। महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायतों की नींव इसलिये डाली थी कि उसके माध्यम से गांव में रहने वाले लोगों का भला हो सके, लेकिन राजनैतिक चक्कर में पड़ कर ग्राम पंचायतें इस तरह का गलत काम करने लगीं कि हम लोगों को इस सदन में उसके खिलाफ बोलना पड़ता है। यहां से जाने के बाद हम लोग उस रास्ते पर नहीं रह पाते हैं जिसका आदर्श गांधी जी ने हमारे सामने रखा था। हमारे मुख्य मंत्री जी जब विरोधी पक्ष में थे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, लेकिन सरकार में आने के बाद वह भी सरकार की तरफ से काम करने लगे। ग्राम पंचायत का चुनाव हुए करीब दस साल हो गये। उस बीच में चुनाव न करने का मुख्य कारण यह था कि राजनीतिक आड़ में हम लोग शासन करते रहे क्योंकि ब्लाक प्रमुख, पंचायत के प्रधान और न्याय पंचायत के अन्दर जो सरपंच हैं अधिकांश कांग्रेसी थे। परन्तु जब बी० के० डी० की सरकार आयी तो उस समय जिला परिषदों को भंग कर दिया क्योंकि वहां पर सिंडीकेट और इंडीकेट के अध्यक्ष बने हुए थे। यह अच्छा हुआ परन्तु दुख की बात यह है कि अभी तक ग्राम पंचायत बनी हुई हैं। इनको भंग करके तत्काल चुनाव करवा लेना चाहिये जिससे जनता का कल्याण हो सके।

ग्राम पंचायत मंत्रियों के वेतन की ओर ध्यान दिया जाय जो पचास रुपये महीना पाता है। महात्मा गांधी गांव को उन्नति के शिखर पर देखना चाहते थे। हमारे गांवों की जो तरक्की करने वाला पंचायत मंत्री है उसको पचास रुपये वेतन दिया जाता है जब कि गांव की रक्षा करने वाला जो दरोगा होता है उसके घोड़े को ७५ रुपये महीना भत्ता दिया जाता है। और एक आदमी को, उसके परिवार के खाने के लिये केवल ५० रुपये दिये जाते हैं। जो जनता के ऊपर शासन करे, उसका दमन करे, शोषण करे, उसके घोड़े को ७५ रुपये भत्ता दिया जाता है। मैं पंचायतराज मंत्री से अनुरोध करूंगा कि ग्राम पंचायत मंत्री का वेतन कम से कम सवा सौ या डेढ़ सौ रुपये कर दिया जाय जिससे वह गांव की अच्छे ढंग से उन्नति कर सके। जहां तक चुनाव कराने का सवाल है कि चुनाव किस तरह से कराये जायं, ग्राम प्रधान और जितने भी सदस्य हैं सब का चुनाव गांव की एक-एक जनता से होना चाहिये। हमारे कुछ एम० एल० ए० लोग

[श्री रामपूजन पटेल]

कहते हैं ग्राम पंचायत मंत्री क्या करता है ? अगर वह पद बेकार है, जनता के हित में नहीं है तो तोड़ दिया जाय। लेकिन ५० रुपये दे कर सरकार भ्रष्टाचार और बेईमानी की बुनियाद मजबूत करने के लिये बढ़ावा न दे। ग्रामों में रहने वाले व्यक्तियों की तरक्की के लिये, वहां शिक्षा के लिये हमें धन स्वीकार करना चाहिये। जिस समय जिला परिषदें तोड़ी गयीं हमें बड़ी खुशी हुई कि जो शिक्षा चल रही है प्राइमरी विद्यालयों की उनकी तरक्की होगी। लेकिन जिला इलाहाबाद में जितने विद्यालय जिला परिषद् के चल रहे हैं तीन महीने से वहां के अध्यापकों को वेतन नहीं दिया गया है। सोचने की बात है कि जिला परिषदें खत्म होने के बाद जो छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनको सरकार ने क्या सुविधा प्रदान की है ? इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्यों ने.....

श्री राजित राम पांडेय—

हमें भी समय दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पिछड़ गये। आपको पहले उठना चाहिये था। जब माननीय हरिप्रसाद शाही को कह दिया तो सवाल नहीं उठता।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही—

मैं कह रहा था कि सम्मानित सदस्यों ने न्याय समितियों, विकास खंडों के जो प्रतिनिधि हैं, जिनको सरपंच नाम से पुकारते हैं उनके बारे में यह कहा गया कि वे ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। यही बात सम्भवतः हमारे जिला परिषदों के अध्यक्षों के सम्बन्ध में इस सम्मानित सदन में कही गई है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अन्ततोगत्वा वे जन-प्रतिनिधि हैं और हो सकता है कि उसमें एक-दो गल्तियां हुई हों किन्तु इन गल्तियों को इस सम्मानित सदन में एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप दे देना और यह कहना कि उनमें बेईमानी भरी हुई है, सम्भवतः हम लोगों के लिये चुनौती की बात है। हम लोग भी जन प्रतिनिधि हैं हम लोगों को भी देखना चाहिये और विचार करना चाहिये हम कौन हैं कि हम उनके बारे में कहते है किन्तु जो इस सदन में नहीं हैं वे लोग भी हमारे बारे में कुछ कह सकते हैं। हमारे जो जिला परिषद् के अध्यक्ष थे उनको भी समाप्त किया गया है, जिला परिषद् को भी समाप्त कर दिया गया है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि अच्छा होता यदि हमारे मंत्री महोदय, प्रजातांत्रिक परम्पराओं और उनकी उपलब्धियों में विश्वास रखते। उनको शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कर देना चाहिये। अपने अध्यक्षों की संस्थाओं को तोड़ दिया किन्तु जो गांव समितियां हैं, जिनका कोई अधिकार नहीं होता उनको रखा हुआ है। अध्यक्ष जो कुछ काम कर सकते थे उनकी संस्था को समाप्त कर दिया है। यह एक राजनीतिक चाल थी इसमें कोई दो राय नहीं हैं। किन्तु अब वह बात को गई है और आगे मैं निवेदन करूंगा कि इन समितियों को तोड़ दिया जाय और जैसा कि यहां पर कहा गया है अब यहां पर फिर से चुनाव करा लिये जांयं। इन अध्यक्षों की जो संस्था थी उनको जल्दी से जल्दी पुनर्जीवित किया जाय।

सुना जाता है कि जिला परिषदों के सभी अधिकार कलेक्टरों को दे दिये गये हैं। इससे सारी व्यवस्था इस तीन टायर की सरकार के हाथ में आ जायेगी। सुना जाता है कि समितियां नियुक्त की जा रही हैं और जैसी कि अफवाह है इन समितियों में कुछ इने-गिने इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं, अन्य बाहरी कार्यकर्त्ता हैं उनको रखा जा रहा है। वे बी० के० डी० के हैं। मैं यह अनुरोध करूंगा कि अगर आपको समितियां बनानी हैं तो निष्पक्ष भाव से आप समितियों को बनायें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां पर नियमों की चर्चा की गई है। अधिनियम बनाने की बात है, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको जन प्रतिनिधियों के बीच में विश्वास प्रकट करना पड़ेगा। यह कहना कि वह बेईमान हैं, वें हिसाब-किताब रखना नहीं जानते हैं वे पढ़े-लिखे नहीं हैं तो ऐसा कहना हमारी कमी है। यह कहना कि वे प्रोसीडिंग लिखना नहीं जानते हैं तो हमारी कमी है। उनको सिखलाना होगा, उन्हें हिसाब-किताब रखने के बारे में बताना होगा, उन्हें प्रोसीडिंग कैसे बनेगीयह बताना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने परिषदों को हमेशा के लिये समाप्त कर दिया है। जो अधिनियम आप बनाने की सोच रहे हैं? आप जन प्रतिनिधियों के ऊपर और अपने ऊपर विश्वास रखें। आप भी तो जन प्रतिनिधि हैं। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो आपको अपने प्रमुखों और सरपंचों पर भी विश्वास हो जायगा। अगर आपको विश्वास है और आपको उन में कोई कमी दिखायी देती है तो आप उनको सुधार लेंगे। अगर यही दृष्टिकोण आपका जिला परिषदों की ओर होता तो आज जिला परिषद् समाप्त न होते। अब आप जब अधिनियम बनावें तो उसकी ओर ध्यान रखें। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं और विश्वास रखता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री जगनप्रसाद रावत---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव में बहुत कुछ उपयोगी सुझाव दिये। जब हम पंचायत ऐक्ट को संशोधित करेंगे, हम उन सब सुझावों पर विचार करेंगे।

कुछ बातें भी इस सम्बन्ध में कह दूं। जहां तक पंचायत मंत्रियों का संबंध है मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि पंचायत मंत्रियों का वेतन बहुत कम है और उसमें उनका गुजारा नहीं हो सकता। मैं यह भी मानने को तैयार हूं कि उनको जो महंगाई-भत्ता दिया जाता है, उसका जो यह तरीका है कि कुछ ग्राम सभा दें और कुछ सरकार दें, यह मुनासिब नहीं मालूम देता। वह सारा उन्हें सरकार को ही देना चाहिये और जो हम नहीं दे सकते, उसके लिये हमें इन्कार कर देना चाहिये। इसमें मुझे किसी प्रकार का भी सन्देह नहीं है। हम इस बात का पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे कि पंचायत मंत्रियों के साथ न्याय हो और उनके जो सेवा नियम हैं तथा उनकी जो सुविधायें हैं, उनको देने के सम्बन्ध में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा।

पंचायत मंत्री, ग्राम सेवकों और लेखपालों, ये तीनों ही गांवों में काम करने वाले हैं। इन तीनों में किस प्रकर से समन्वय हो, उनके काम का बंटवारा किस प्रकार से हो, जिससे काम सुचारुरूप से चल सके और काम की प्रगति ठीक प्रकार से हो, इन सब बातों पर विस्तार से विचार करके हम कोई न कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे।

चाहे गांव सभाओं को भंग करने का प्रश्न हो, चाहे क्षेत्र समितियों को भंग करने का प्रश्न हो, माननीय सदस्यों में से बहुत कम सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि गांव सभाओं और क्षेत्र समितियों को समाप्त कर दिया जाय। इसका कारण है कि गांव सभाओं या ग्राम प्रधान के पास गलत काम करने के दो ही तरीके हैं। थोड़ा-बहुत जो निर्माण-कार्य वहां होता है, उसमें वह कुछ गड़बड़ कर सकते हैं अथवा गांवों के पट्टों के संबंध में कुछ गड़बड़ करें। निर्माण-कार्यों के संबंध में जो पैसा उनको दिया जाता है उसमें गड़बड़ करने की गुंजाइश बहुत कम है। जहां तक पट्टों का संबंध है, राजस्व विभाग ने इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये हैं और राजस्व मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कुछ सदन के सामने कहा भी था। ग्राम सभा की एक कमेटी बनायी गयी है, वह पट्टों के संबंध में फैसला करेगी और एस० डी० एम० इसकी मंजूरी देगा। फिर उनको अपील करने का अधिकार होगा। क्षेत्र समिति को भी गड़बड़ करने की गुंजाइश बहुत कम है, इसलिये इन संस्थाओं को भंग नहीं किया गया। जिला परिषद् के अध्यक्षों के लिये

[श्री जगनप्रसाद रावत]

एक साहब को छोड़ कर और किसी ने भी उनको समाप्त करने को बुरा नहीं बताया। मैं उसका कारण जानता हूं और मुझे उनसे सहानुभूति है। इससे उनके दल को कुछ क्षति पहुंची है, उसके लिये मैं उनसे हमदर्दी जाहिर करता हूं।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जरा यह बता दें कि वे पंचायतों और क्षेत्र समितियों के चुनाव कब करा रहे हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैं इसका जिक्र करूंगा। जो अधिनियम के संबंध में कहा है, मैं समझता हूं कि यह प्रश्न विचाराधीन है कि एक ही अधिनियम में गांव सभाओं, क्षेत्र समितियों और जिला परिषद्, तीनों का समावेश हो। इस पर विचार करने की जरूरत है और यदि यह सम्भव हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। माननीय साही जी ने यह भी कहा कि जिला परिषद् का जो अधिनियम बनता है उसमें नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार बड़े अधिकार ले लेती है। लेकिन वह अधिकार इस प्रकार लिये जाते हैं जिससे मूल अधिनियम के प्रसार में कोई अन्तर न पड़े। सब्जेक्ट टु ऐक्ट होता है, सब्जेक्ट टु ऐक्ट के अलावा कोई अधिकार नहीं लिये जाते हैं। उसमें यह बन्दिश होती है कि अधिनियम के अनुकूल ही किसी प्रकार का कोई अधिकार हो तो वह ले सकते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गांव सभाओं के पास साधन कम हैं। उसके लिये कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा। चाहे उनको अनुदान का अंश मिले या टैक्स लगाने का कोई अधिकार मिले लेकिन अगर गांव सभाओं को चलाना है तो उनके कुछ-कुछ साधन बढ़ाना जरूरी है।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ग्राम सभाओं के पास आर्थिक साधनों की कमी है। तो लगान का एक निश्चित प्रतिशत देने में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

आपका सुझाव अच्छा है। वह भी एक तरीका हो सकता है उसकी आमदनी बढ़ाने का। मैं इसको कोई रूल आउट नहीं करता।

गांव सभाओं के निर्विरोध चुनाव कराने के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गयीं। अगर साधारणतः निर्विरोध चुनाव हो सकें तो इससे हर एक को खुशी होगी। लेकिन निर्विरोध चुनाव कराने का अगर कोई ऐसा तरीका बन जाय कि जबर्दस्ती निर्विरोध चुनाव करें या मजबूर करें तो उसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकता है। उसमें कुछ गलत तत्व भी आ सकते हैं। इसलिये अगर शान्त तरीके से निर्विरोध चुनाव हो सकें तो जरूर हों, उनका हम स्वागत करते हैं।

कहा गया है कि जिला परिषद् के कर्मचारियों का वेतन-क्रम वही हो जो राज्यकर्मचारियों का है। जिला परिषद् के कुछ कर्मचारी प्रान्तीयकरण में आ गये हैं।

श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा-फतेहाबाद)—

पंचायतों के चुनाव कब होंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस तरह मैं बैठने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री हुकुमसिंह परिहार से) आप कृपा करके बैठिये। यह कोई तरीका है? मैं इजाजत नहीं देता। (श्री हुकुमसिंह परिहार के बोलते रहने पर) यह लिखा नहीं जायेगा। आपको पहले आज्ञा लेनी चाहिये। अगर यह प्रारम्भिक नियम आप नहीं जानते हैं तो नियम फिर से पढ़िये।

(व्यवधान)

श्री जगनप्रसाद रावत—

जहां तक इस बात की मांग की गयी है कि गांव सभाओं के चुनाव तुरन्त कराये जायं, तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका कि गांव सभाओं के चुनाव कराने के लिये जो प्रारम्भिक कार्यवाही है वह हम बहुत कुछ पूरी कर चुके हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा चुनाव कराने की कोशिश करेंगे।

एक बात का और निवेदन कर दूं जिसकी चर्चा सदन में हुई है और वह यह कि पहले जब जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों का बिल पेश हुआ था उस समय इस बात पर आपत्ति उठाई गयी थी कि जिला मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिये जायं, कोई कमेटियां न बनाई जायं। आज डेढ़, दो महीने के विचार के बाद कुछ ऐसा प्रस्ताव आया है दोनों पक्षों से कि कमेटियां बना दी जायं। तो अब लोगों के इरादों में कुछ तब्दीली हुई है। इसलिये इस प्रश्न पर हम फिर विचार कर लेंगे और सदन की इच्छानुसार कार्य करेंगे। एक बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कमेटियां पक्षपात के साथ नहीं बनेंगी। इस बात का ध्यान रखा जायगा कि जो कमेटी बने वह उचित बने।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा शाही जी से कि कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और अनुदान का समर्थन करें।

डाक्टर हरि प्रसाद शाही—

एक शर्त के साथ वापस लेता हूं कि माननीय चरण सिंह की बात आप कृपा कर नहीं सुनेंगे।

श्री रियासत हुसेन—

अब चूंकि एलेक्शनों में ग्राम पंचायत के कुछ लोग भी रहेंगे तो सबसे बड़ी जो अव्यवस्था हो रही है वह यह कि गांव पंचायतों में एक रजिस्टर होता है जिसमें बर्थ और डेथ का रेकार्ड होता है। वह रजिस्टर ऐसा है कि उसको सिविल कोर्ट में, और मुकदमों में भी पेश करना पड़ता है, लेकिन उसकी लिखत कहीं नहीं हो रही है किसी गांव सभा में। आप इसके ऊपर खास तौर से विशेष ध्यान देकर ऐसा तरीका निकालें जिससे वह रेकार्ड मेनटेन होने का काम शुरू हो जाय फौरन।

श्री जगन प्रसाद रावत—

मैं इस पर जरूर विचार करूंगा। एक बात मैं कहना भूल गया था। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि किसी जिले में कुछ अधिकारी पुरानी तारीखों में नियुक्तियां कर रहे हैं। वह पूरी सूचना दे देंगे तो मैं कार्यवाही करूंगा।

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस हाउस में कोई व्यवस्था उठायी जाती है तो यह उनका अधिकार है व्यवस्था उठाने का। इस तरह से सदस्यों का अपमान नहीं करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पूरे इस विवाद के समय में बिल्कुल नहीं थे। आपने किसी का भाषण नहीं सुना आखिर में आये और आपने एक तरह से मंत्री को टोकना चाहा। मैं इसके लिए किसी को इस प्रकार इजाजत नहीं दे सकता। यहां बैठ कर सुनते हुए अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो वह कह सकता है।

प्रश्न यह है कि गांव सभाओं और पंचायतों के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १२---गांव सभायें और पंचायतें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,६३,२१,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---

आज नियम ५६ के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई है। उनके बारे में जो निर्णय है वह आपके सामने रख दूंगा। एक तो सर्वश्री रामधारी शास्त्री, राजितराम पांडेय, भगेलू सिंह, हरीसिंह बिष्ट, इन्द्रलाल, डूंगरसिंह बिष्ट और मोतीलाल देहलवी की है---मशीन के बिगड़ जाने से सहारनपुर चीनी मिल के बन्द होने के कारण खेतों में गन्ना सूखने के सम्बन्ध में। इसको स्वीकार नहीं किया गया है और यह बहस में नहीं आया है।

(व्यवधान)

सुन लें पहले, उसके बाद जो आपको कहना हो. . .।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मिल मालिकों से पूछें कि क्यों नहीं चीनी मिल चलाई जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष---

दूसरी माननीय भगवतीसिंह विशारद ने जिला उन्नाव के बिहार थाना में ग्राम सवाइन के निवासी श्री हयात अली खां की पुलिस के हिरासत में मृत्यु के सम्बन्ध में दी है। इसको भी माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया है।

नियम ५१ के अन्तर्गत श्री सूबेदार प्रसाद---ग्राम उकाथू, जिला फतेहपुर में विशेष कर हत्यायें तथा प्रदेश में साधारणतया हत्याओं की वृद्धि से अराजकता की स्थिति के बारे में--- इसको भी स्वीकार नहीं किया है माननीय अध्यक्ष ने।

माननीय राजेन्द्रकुमार शर्मा---अमरोहा में मुस्लिम कमेटी द्वारा सिनेमा पर हमला तथा प्रदेश में अराष्ट्रीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा अशान्ति फैलाने के सम्बन्ध में---इसको भी स्वीकार नहीं किया है।

माननीय हरिनाथ तिवारी और माननीय हिम्मत सिंह---रुद्रपुर शिविर में पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों से उत्पन्न परिस्थिति के बारे में---इसको नियम ५१ में स्वीकार किया है।

माननीय गोविन्द सिंह नेगी---उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ समाचार पत्रों को विज्ञापन न देने से समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य के खतरे के संबंध में---निर्णय विचाराधीन है।

इसी तरह से एक और है वह भी विचाराधीन है, लेकिन बाद में बताता हूं।

माननीय शंकरप्रसाद जायसवाल और माननीय वासुदेव सिंह वैद्य---सीतापुर नगर में सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के बारे में---इसको भी स्वीकार नहीं किया गया है।

माननीय त्रिवेणी सहाय, माननीय एस० एल० गुप्ता और मा० श्रीराम सिंह---गोंडा नगर में अपराधों की वृद्धि के संबंध में है। इसको भी स्वीकार नहीं किया गया है।

माननीय जगदीश गांधी---बाल्मीकी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लखनऊ द्वारा ८० हजार रुपये का गबन के बारे में---इसको भी स्वीकार नहीं किया गया।

माननीय सुरेन्द्र विक्रम---देहरादून जिले में जंगली हाथियों द्वारा उत्पात के संबंध में---इसको भी स्वीकार नहीं किया है।

माननीय मुहम्मद नवी खां---ग्राम केकरहा, थाना दुधारा, जिला बस्ती में तीन आदमियों की हत्या से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रश्न है। इसको भी स्वीकार नहीं किया गया है।

माननीय श्याम लाल कनौजिया, माननीय भाभीराम यादव---प्रदेशीय सरकार ने अंग्रेजी व हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों के विज्ञापन न देने की परिस्थिति के संबंध में---यह विचाराधीन है। इस पर निर्णय नहीं दिया है। इस पर विचार करके कल निर्णय देंगे।

माननीय रामलाल राही---सीतापुर के सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे में ---इसको स्वीकार नहीं किया गया।

माननीय डुंगर सिंह बिष्ट---अल्मोड़ा के जंगलों में आग के कारण लीसा और लकड़ी की हानि के सम्बन्ध में---इसको स्वीकार नहीं किया गया।

ओला वृष्टि के बारे में है, उसे भी स्वीकार नहीं किया है।

इसके बाद अगला प्रश्न श्री कल्पनाथ सिंह, श्री कृष्णकान्त अवस्थी और श्री श्याम सुन्दर लाल जी का है---बहराइच जिले में रिकार्ड आपरेशन में गड़बड़ियों के संबंध में। माननीय अध्यक्ष ने इसको भी स्वीकार नहीं किया है। इसके बाद श्री पन्नालाल गुप्ता का प्रश्न है---नहर गंग डिवीजन फतेहपुर व रामगंगा डिवीजन कानपुर के अन्तर्गत ९० फीट चौड़ी पटरी कट जाने के कारण कुछ ग्रामों में पानी भर जाने के फलस्वरूप गल्ला बह जाने के सम्बन्ध में है। इसको भी स्वीकार नहीं किया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, एक आपसे निवेदन है व्यवस्था के प्रश्न के रूप में। श्रीमन्, चीनी मिलों के बारे में रोज ही कुछ न कुछ प्रश्न आते हैं और श्रीमन् वे स्वीकार नहीं होते हैं। श्रीमन, अभी मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी चीनी मिलों के भविष्य के बारे में और उसकी रिपोर्ट कमेटी ने मुख्य मंत्री जी को दे दी है। श्रीमन्, कमेटी की कुछ रिपोर्ट समाचार पत्रों में भी निकली है। इस कमेटी का निर्माण सदन को कान्फिडेन्स में लेकर लिया गया था और राज्यपाल महोदय के भाषण में भी कमेटी का जिक्र आया था। तो, श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह उचित होगा कि कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी जाय। यह मेरा अनुरोध है कि कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाय जिससे मालूम हो सके कि कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है।

श्री उपाध्यक्ष---

वह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी और उसका विवरण आपके सामने आयेगा। इसके लिये अगर आप चाहें स्पष्ट प्रश्न कर सकते हैं। उसका जवाब आपको मिल जायेगा। आपने इसकी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया। अगर आप लिखित देंगे तो जो हमारा कर्तव्य है कि हम क्या करेंगे। आपने यह नहीं कहा कि पूरी रिपोर्ट बाहर चली गई है। सिफारिश का कुछ अंश बाहर गया होगा, लेकिन पूरा विवरण सदन से बाहर नहीं गया है। तो आप सवाल करें, उसका उत्तर आपको मिल जायेगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, जो मैंने अपना काम रोको प्रस्ताव लिख कर दिया है, बहुत संक्षेप है। उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, मैंने २-३ बातें कही हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

बजट चल रहा है। इस पर आप सवाल कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में आप भाषण देने के लिये स्वतंत्र हैं।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, एक निवेदन है। उसको आप सुन लें। मान्यवर, नियम ५८ में कार्य स्थगन-के सम्बन्ध में कुछ बातें भी हुई हैं। पहले नम्बर में दिया हुआ है कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं लिये जायेंगे। दूसरे में लिखा है कि एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी। (३) प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा, (४) प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायगा, (५) प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी, जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो।

श्रीमन्, मैं बहुत आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि यह गन्ने का जो प्रस्ताव है जिसे मैंने दिया है जहां तक मुझे स्मरण है पूरे सत्र में इस पर चर्चा नहीं हुई। एक प्रश्न नियम ४९ के अन्तर्गत बहस के लिए आया था किन्तु वह भी अस्वीकृत किया गया और श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि नैनीताल तराई में...

(व्यवधान)

लगभग पचास साठ हजार क्विंटल गन्ना आज भी खेतों में खड़ा है। और नैनीताल में केवल बाजपुर में एक शुगर फैक्ट्री है बाकी सारा गन्ना रामपुर, बहराइच, मेरठ और मुजफ्फरनगर की चीनी मिलों में जाता है, लेकिन श्रीमन्, जितने गन्ने का ठेका हुआ है उसका आधा भी पेरा नहीं जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुन लें। यह प्रश्न माननीय प्रेमचन्द्र शर्मा ने उठाया था और जिस दिन यह आया था शायद आप लोग सदन त्याग किये थे....

(व्यवधान)

चार तारीख को यह आयेगा....

(व्यवधान)

जो सवाल आपने उठाया है उस पर आप बहस चाहते हैं तो चार तारीख को जो आ रहा है वह उसी तरह का है....

(व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कौन से हालात में स्थगन प्रस्ताव स्वीकार होंगे। चार करोड़ का नुकसान है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

नियमानुकूल एक ही स्वीकार होता है और बहुतों पर वक्तव्य दिला देते हैं और अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी हो जाते हैं....

(व्यवधान)

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

कार्य संचालन नियमावली के नियम ३१४ के अनुसार यह है कि अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायगी। जो यह आपत्ति कर रहे हैं यह गलत है....

श्री उपाध्यक्ष—

यह कैसे आपने मान लिया कि मेरे विनिश्चय पर आपत्ति है। आप लोग जो बहस करके किसी चीज की महत्ता को विरोध पक्ष या दूसरे माननीय सदस्य सिद्ध करते हैं तो वह कोई आक्षेप की बात नहीं है। यह हो सकता है कि मेरा कुछ दृष्टिकोण हो और उस दृष्टिकोण से जो फैसला लिया गया हो वह तो है ही लेकिन मैं उनके दृष्टिकोण को सुन सकता हूं....

(व्यवधान)

श्री डुंगरसिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

अभी ४ तारीख को उस पर बहस होने वाली है। क्या ऐसा होगा? क्या इसको जोड़ दिया जायगा?

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्या चाहते हैं। यह मामला तो है।

श्री डूंगर सिंह गिष्ट—

आपने कहा है कि उसमें जोड़ दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जोड़ने का शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया। आपने इसको सुना नहीं इसलिये आप कृपा कर बैठें।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

इस पर कार्य-स्थगन का प्रस्ताव भी दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कोई बहस सामान्य विषय पर होगी तो वह आ जायगा।

श्री डुंगर सिंह बिष्ट—

किसी तरह से वह आ जाय।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो प्रस्ताव मैंने कार्य स्थगन का दिया है वह समाचार पत्रों में विज्ञापन के बारे में है। हर रोज सदन में प्रश्न उपस्थित होता है। अध्यक्ष महोदय ने उसकी सूचना दी थी कि कुछ अखबारों में सरकार ने विज्ञापन देना बन्द कर दिया है। कल उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि इसको नियम ५१ में स्वीकार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको अस्वीकार नहीं किया है और यह उनके विचाराधीन है।

श्री गोविन्द सिंह—

यह समस्या सारे प्रदेश के लिये बड़ी गम्भीर होती जा रही है और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसी प्रकार के दो तीन प्रस्ताव हैं। हो सकता है कि कल दूसरा और कोई इसी किस्म का आ जाय। आज के लिये नहीं कहा था।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देहरादून में काले हाथियों ने बड़ा उत्पात मचा रखा है और हजारों एकड़ भूमि में लगी फसल नष्ट हो गई है। इसको कल दिया था। अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस पर वक्तव्य दिलवा देंगे। वहां पर काले हाथी उत्पात मचा रहे हैं और यहां पर सफेद हाथी हम लोगों को हर तरह से तबाह कर रहे हैं।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कल एक प्रश्न के उत्तर में यह आश्वासन दिया गया था कि इस विषय पर विचार किया जायगा। मान्यवर, ५ करोड़ रुपये का गन्ना आज भी खेतों में खड़ा है। वह प्रश्न सबसे बाद में रखा गया और उसके ऊपर पूरक प्रश्न नहीं हो सके। जब इस प्रकार का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आपके पास है तो फिर सरकार की ओर से वक्तव्य दिलवा देना चाहिये जो बहुत उपयुक्त होगा।

दूसरी बात समाचार पत्रों के बारे में है। यह मामला रोज ही रोज उठ रहा है और जिसकी प्रमाणिकता भी हो चुकी है कि वह सही है और उसकी नजरन्दाजी के अर्थ होंगे कि प्रजातंत्र का गला घोंटा जाय। यह काम माननीय मुख्य मंत्री के कर कमलों के द्वारा हो रहा है। इस प्रश्न को विचार के लिये रख लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह विचार के लिये रखा गया है और उस पर निर्णय नहीं हुआ है। गन्ने वाली समस्या भी है। दो तीन दिन में उस पर वक्तव्य हो जायेगा शायद परसों तक।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैंने अध्यक्ष महोदय को एक सूचना दिया था नियम ५१ के अन्तर्गत कि बहराइच जिले में नान पारा तहसील में कोई रेकार्ड आपरेशंस हो रहे हैं और उस रेकर्ड आपरेशन में ६८ गांव शामिल हैं और उससे हजारों आदमी प्रभावित हैं। लोगों ने सरकार से शिकायत की लेकिन दिक्कतें दूर करने का प्रयास नहीं किया गया। हमारी जानकारी यह है कि २२-२३ मई को करीब ६० आदमी गिरफ्तार किये गये उस रेकर्ड आपरेशंन के अधिकारी के समक्ष और उन्हीं के कार्यालय पर। उन्होंने लोगों को गिरफ्तार करवाया और यह गिरफ्तारी सिर्फ इस कारण हुई

कि लोगों ने उस रेकर्ड आमरेशन में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के विरोध में आवाज उठाने का प्रयास किया। आज तो यह बात ठीक है कि वह एक ही स्वीकार कर सकते हैं इसलिये एक कर लिया, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि आप इस प्रश्न को फिर से पुनर्विचार के लिये अध्यक्ष महोदय के पास भज दें या आदेश दे तो मैं फिर कल दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा जो आपका विकल्प है उससे मैं सहमत हूं। आप उनको फिर से लिख कर दे दें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं जानता हू कि आप ही को वदौलत कुछ हो सकता है। मुख्य मंत्री जी की सरकार पर कोई भरोसा नहीं है।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कृष्णानन्द राय जी ने एक प्रश्न उठाया। शुगर मिल नेशनेलाइजेशन के बारे में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उस कमेटी के एक महत्वपूर्ण मेम्बर ने अखबारों में दो बयान दिये। एक तो यह कहा कि शुगर मिल मालिक सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। नम्बर दो उन्होंने यह कहा कि जो कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की है उसके अन्दर मेरे खयाल से कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है। तो मान्यवर, जब कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है तो मैं चाहूंगा कि माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी जो उसके अध्यक्ष हैं, वह सदन को आश्वस्त कर दें कि वह रिपोर्ट कब तक यहां आ जायगी क्योंकि ४ तारीख को दो घंटे की चर्चा भी है। अगर वह मालूम हो जाये तो इन चर्चा में भी मदद मिल जायगी। तो वीरेन्द्र वर्मा जी या गेंदा सिंह जी इस पर रोशनी डाल दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न कर दें, उसका जबाव आपको दिला दिया जायगा।

श्री राम करन—(जिला गोरखपुर)

मैंने मंत्री जी से कहा तो उन्होंने कहा कि आप प्रश्न पूछिये। तो वह तो तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न पूछने का तो एक ढंग होता है। आप तो पुराने विधायक हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, तीन चार दिन हुये, श्री प्यारे लाल जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार का एक प्रश्न उठाया था और उसमें माननीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों से यह कहा था कि कोई दिन नियत करेंगे तब उस विषय में सदन में चर्चा होगी। अगर कोई दिन नियत कर दिया हो तो बता दें, हम लोग अनुगृहीत होंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अध्यक्ष ने अवश्य कहा था कि कोई दिन निर्धारित करेंगे। यह तो वह कल बता सकेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

कृष्णानन्द राय जी ने अखबारों में विज्ञापन न दिये जाने के सम्बन्ध में एक कामरोको प्रस्ताव दिया था। कल सदन में उसकी चर्चा भी आयी थी। अध्यक्ष जी ने कहा था कि उस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय को नियम ५१ में स्वीकार कर लिया जायगा। यह उन्होंने स्पष्ट

]श्री अनन्तराम जायसवाल]

घोषणा की थी। उसके बाद जब आज भाभी जी ने और श्याम लाल जी ने नियम ५१ में आपके पास भेजा तो आपने यह कहा कि उस पर अभी विचार चल रहा है। कल स्पष्ट घोषणा हुई थी कि यह स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी उसको स्वीकार नहीं किया है। वह विचाराधीन है क्योंकि अध्यक्ष जी नहीं आ सके हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मैंने भी एक नियम ५१ की सूचना दी है कि गोंडा जिले में इस समय पिछले महीने से लगातार चोरी, राहजनी, हमले, साइकिल की चोरी बराबर हो रही है। वहां रात में दो व्यक्तियों को लाठी मार कर रुपया छीन लिया गया है। रात में लोग घरों में सोने लगे हैं। ऐसी स्थिति में जो वहां पर अपराधों की वृद्धि हो रही है उसकी तरफ पुलिस का ध्यान नहीं जाता है बल्कि पुलिस निष्क्रिय हो गई है। वहां पर जनता का जीवन बहुत खतरे में है। मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्न दे सकते हैं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि करीब एक सप्ताह से पीलीभीत के डी० एस० पी० के विरुद्ध दफा ५१ में सूचना दे रहा हूं मगर वह स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था कि स्वीकार कर लेंगे। मैंने मुख्य मंत्री जी से यह मांग की थी कि वह वक्तव्य दें तो अभी तक उसको स्वीकार नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय ने हमसे कहा था कि उनके कमरे में आकर उनसे बात करूं। लेकिन हम उनके कमरे में जाने में असमर्थ हैं। यहीं पर हम बात करेंगे। हमारा केवल यही मामला नहीं है बल्कि इन्दिरा जी ने हमको डंडों से भी पिटवाया था।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको हक है कि सवाल उठायें लेकिन मेरे सामने आपका कोई भी सवाल नहीं है। जो प्रश्न ७ दिन से चल रहा है वह कैसे अविलम्बनीय लोक महत्व का हो सकता है यह मैं नहीं समझ पाता हूं।

श्री बांके लाल—

आप कहें तो हम कल लिखकर दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जो भी प्रश्न करेंगे अपने कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर करेंगे।

जिला हरदोई के थाना पिहानी के ग्राम बद्दापुर में दिनांक २मई, १९७० को पंडित हरिद्वारी लाल, निवासी ग्राम पतौन द्वारा ग्राम उसमानपुर के निवासी श्री दुलारे की हत्या के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

दिनांक २-५-७० को श्री चम्मन सिंह, निवासी मौजा इन्नाहा, थाना मैगलगंज, जिला खीरी के लड़के श्री राम कुमार सिंह का विवाह ग्राम बद्दापुर, थाना पिहानी, जिला हरदोई निवासी

श्री फतेहसिंह की बहन के साथ होना था। रात में करीब ८ १/२ बजे श्री फतेह सिंह के दरवाजे पर द्वारचार की रस्म अदा की गई। उस समय उनके दरवाजे पर उस गांव के तथा आसपास के गांव के काफी व्यक्ति उपस्थित थे। पंडित हरिद्वारी लाल भी लड़के की ओर से बारात में आये थे। उनके पास उनके भाई कृष्ण मुरारी लाल उर्फ मुरारी लाल की बन्दूक थी जिससे उन्होंने दो फायर दरवाजे पर किये। दूसरा फायर कुछ नीचा था जिससे दुलारे, जो कि कुछ दूर पर जानवरों के खाने की नांद पर बैठा था, घायल हुआ जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।

उक्त घटना की सूचना थाना पिहानी पर गांव के चौकीदार ने दिनांक ३-५-७० को दी। इस सूचना के आधार पर थाना पिहानी पर एक मुकदमा धारा ३०४ अ के अन्तर्गत कायम किया गया और विवेचना शुरू की गई। घटनास्थल का निरीक्षण क्षेत्राधिकारी ने भी किया तथा वहां उपस्थित लोगों तथा मृतक के भाई से पूछ ताछ की गई जिसमें से कुछ लोगों ने संदेह व्यक्त किया कि अभियुक्त ने दूसरा नीचा फायर दुलारे की हत्या करने के लिये किया था। अतः अपराध धारा ३०४-अ से ३०२, भा० द० वि० के अन्तर्गत परिवर्तित कर दिया गया है। अभियुक्त हरिद्वारी लाल ने दिनांक १२-५-७० को न्यायालय में आत्म समर्पण किया, मामले में विवेचना जारी है।

यह सत्य नहीं है कि पुलिस ने अभियुक्त के दबाव से घटना को कमजोर दफा में अंकित किया है क्योंकि चौकीदार की रिपोर्ट के अनुसार जुर्म धारा ३०४-अ का बनता था अतः उसी धारा के अन्तर्गत थाने में मुकदमा अंकित किया गया। मृतक तथा अभियुक्त की पुरानी रंजिश के बारे में जांच से यह पाया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध सन् १९६२ में थाना पिहानी पर भा० दं० वि० की धारा १४८/३०७/३६३/३६६ के अधीन कायम एक मुकदमे में मृतक का भाई गवाह था परन्तु उस मुकदमे में विवेचना के पश्चात अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई थी और उसमें मृतक के भाई की गवाही नहीं हुई थी। ऐसी परिस्थिति में इस कारण रंजिश बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता है।

अभियुक्त हरिद्वारी लाल एवं उनके भाई के विरुद्ध थाने के रिकार्ड में गिरोह बन्द होने का कोई उल्लेख नहीं है। जांच से मृतक के भाई तथा उनके पुत्र को धमकी देने की बात सत्य नहीं पाई गई और न ही यह सही पाया गया कि मृतक के भाई, उसके रिश्तेदारों अथवा उसके बिरादरी के लोगों में कोई आतंक है। साधारण जन जीवन को कोई खतरा नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि यह जो प्रश्न उठाया गया है और नियम ५१ के अन्तर्गत जिस को मंजूर किया गया है और जिस पर यह वक्तव्य हुआ है इसमें कौन लोक महत्व की बात थी? यह तो साधारण पुलिस हस्तक्षेप का मामला था, ऐसे सवालों को तो एडमिट कर लिया जाता है लेकिन जो प्रश्न सचमुच लोकमहत्व के होते हैं, जिनसे जनतंत्र पर कुठाराघात होता है, जिनकी वजह से सारी व्यवस्था बिगड़ने वाली होती है वह सवाल एडमिट नहीं किये जाते, इसका ध्यान यदि चेयर से रखा जाया करे.....

श्री उपाध्यक्ष—

हो सकता है कि जिस दिन इसको स्वीकार किया गया था उस दिन के प्रश्नों में यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा हो, क्योंकि महत्व तो एक दिन के प्रश्नों में ही देखा जाता है.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसमें कौन सी लोक महत्व की बात थी एक बारात में गलती से एक आदमी की बन्दूक चल गई और एक आदमी की मृत्यु हो गई। साधारण मुकदमा चलता और.....

श्री उपाध्यक्ष—

हो सकता है कि आप की दृष्टि से वह आज महत्वपूर्ण न हो और पूछने वाले की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण रहा हो, उसके लिखने का ढंग कुछ ऐसा रहा हो जिससे अध्यक्ष महोदय पर उसका प्रभाव पड़ा हो लेकिन आप को अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुये ही अपनी बात कहने का हक है लेकिन ऐसा निर्णय क्यों हुआ इसकी जबावतलबी आप नहीं कर सकते।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह ठीक है कि महत्वपूर्ण होने के बारे में मेरी निगाह में और सदन के अन्य सदस्यों की निगाह में फर्क हो लेकिन समझा यह जाता है और आशा की जाती है कि आप का निर्णय जो भी होगा वह विवेकपूर्ण होगा.....

श्री उपाध्यक्ष —

ठीक है, कोशिश यही की जाती है लेकिन हो सकता है कि कोई निर्णय या विवेक गलत हो जाय। कोई भी पीठासीन अधिकारी सर्वदा सही निर्णय लेने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन आपके एसा कहने का यहां कोई औचित्य नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मेरा तो इतना ही निवेदन है कि भविष्य में आप ऐसे ही प्रश्न स्वीकार करें जो सचमुच लोक महत्व के हों और जो लोक महत्व के न हों उनमें सदन का समय न लगवायें।

जिला मिर्जापुर में हुई प्रदर्शनी में जिलाधीश द्वारा इकट्ठा किये गये चन्दे तथा अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मिर्जापुर जिले में एक उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। वहां के दो परगनाधीश बम्बई आदि गये। इस सम्बन्ध में जब मेरे बहुत से मित्रों ने प्रश्न किये तो उन्होंने बताया कि ७०–७५ हजार रुपया चन्दा किया। श्री बी० एस० राय, नायब तहसीलदार ने १००० चन्दे की रसीदें काटीं और ५०० रुपये की रसीदें एस० डी० एम० चुनार ने काटीं। बाकायदा रसीदें छापी गयीं। सारा प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा ही किया गया, वे ही आर्टिस्टों को लेने के लिये बम्बई गये, इलाहाबाद गये किन्तु खेद है कि जब १३ मई को मेरे अल्पसूचित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर एवं अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर दिये गये तो सरकार की ओर से भी बताया गया कि प्रदर्शनी मिर्जापुर में आयोजित हुयी, वह सरकारी तौर से नहीं की गयी। वह असरकारी तौर से आयोजित की गयी थी। उस विषय में मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी की सूचना के लिये कुछ तथ्य रखना चाहता हूं कि किस प्रकार से वहां पर भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार से वहां पर चन्दा इक्ट्ठा किया गया। श्री दुर्गा प्रसाद आर्य की गलत सूचना के आधार पर जो माननीय मंत्री जी को गलत बयानी करनी पड़ी उसकी सपोर्ट में कुछ तथ्य वहां की प्रदर्शनी के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं। उसमें रेडियो आर्टिस्ट बुलाये गये, डेजी ईरानी, बुलाई गई कुमारी केसरबानू कव्वाल को अब्दुल अन्सारी व डिप्टी कल्क्टर के घर पर ठहराया गया। वहां पर उन्होंने सभी अधिकारियों को बुला कर बिला शकर की चाय पिलायी। जब अधिकारियों से पूछा कि चाय

कितनी मीठी है तो जिलाधिकारियों ने उत्तर दिया कि इतनी मीठी चाय तो हमने कभी पी ही नहीं। इसी तरह से वहां पर इन्टरटेनमेन्ट टैक्स वसूल किया गया। आखिरी कलाकारों का प्रोग्राम २५-२-७० को समाप्त हुआ लेकिन जो मनोरंजन कर ९०२ रुपया ३५ पैसा जमा हुआ, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि वह मार्च के स्थान पर अप्रैल में जमा किया गया। यह इतने दिन तक कहां रहा, क्यों रहा, इसका कोई उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया।

जब यह प्रश्न हुआ कि मिर्जापुर में जो सरकारी गाड़ियां प्रयोग में लायी गयीं थीं उनकी लांग बुकें फाड़ी गयीं और पेपर्स में टैम्परिंग भी हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी को चाहिये कि जितनी भी लाग बुके हैं, उनको सील करवा दिया जाय। उन लांगबुकों में से फटा हुआ एक पर्चा वहां के कार्यकर्त्ता ने मेरे पास भेजा है। वह मैंने माननीय अध्यक्ष को दे दिया है जिसको उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दिया है। एस० डी० एम०, चुनार ने लिखा है कि "टु टेक आर्टिस्ट फार गवर्नमेंट इन्टैरेस्ट एंड एक्जीबीशन टु लकना विलेज, तहसील चुनार"। इस तरह से वहां पर इस प्रदर्शनी में जो कलाकार आये उनमें डेजी ईरानी और कुमारी केसरबानूं कव्वाल वगैरह भी थीं।

१५ फरवरी से २५-२-७० तक मनोरंजन कार्य चला और रोज रात के ९ बजे आरम्भ होता था तथा सुबह २ बजे समाप्त हो जाता था। उन दिनों में वहां के जिलाधीश कुलडा वन विभाग के डाक बंगले पर रहते थे और रोजाना आकर तमाशा देखते थे। यदि वे वहां पर सरकारी जीप से आते थे तो क्या उन्होंने वहां पर रहने का टी० ए० और डी० ए० चार्ज किया और सरकारी जीप से आये तो उसका क्यों दुरुपयोग किया।

मुझे निश्चित रूप से जानकारी है कि ७० हजार रुपया चन्दा किया गया और ५०० रुपये की रसीदें एस० डी० एम०, चुनार ने काटीं। उस उद्योग एवं विकास प्रदर्शनी की जो कमेटी बनी उसके मंत्री सिटी मैजिस्ट्रेट साहब थे न कि श्री कामेश्वर वर्मा। श्रीमन, मुझे बड़े दुःख की बात है कि कामेश्वर नाम के कोई नहीं हैं, उसके तथ्य मेरे पास मौजूद हैं। श्रीमन्, इसमें चन्दा हुआ। बहुत सा लोग खा गये, कुछ हिसाब तो डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक में रखा गया और नगराधीश, श्री जे० एन० मिश्र उसको आपरेट करते थे। यह बहाना कि अधिकारियों का इस चन्दे से कोई सम्बन्ध नहीं है गलत है। और श्रीमन्, इसी तरीके से मैं आपकी जानकारी केलिये बताना चाहता हूं कि जो पोस्टर्स छापे गये वे भी अधिकारियों के नाम से छापे गये। जो ग्रामवासी अखबार निकलता है उसकी कई प्रतियां मेरे पास हैं। मंत्री जी की जांच के लिये सारे तथ्य एक लैटर लगा कर भेज दूंगा। उसमें अधिकारियों के नाम भी हैं जो इन्वीटेशन के कार्ड छापे गये हैं। उसमें लिखा है—

उद्योग एवं विकास प्रदर्शनी, मिर्जापुर, १९७०

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रदर्शनी के शुभ अवसर पर आयोजित पृष्ठांकित कार्यक्रमों पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

कृपया पधार कर अनुग्रहीत करें।

उत्तरापेक्षी—

जगदीशनारायण मिश्र,
नगर मैजिस्ट्रेट,
सचिव,

यह इनकी सच्चाई है।

भवदीय,
दुर्गाप्रसाद आर्य,
जिलाधीश, अध्यक्ष।

[श्रीं सुरेन्द्र विक्रम]

इसी तरीके से मंत्री जी ने उत्तर में यह कहा था कि यह सब गांधी शताब्दी समारोह के तत्वावधान में हुआ है कहना नितांत गलत है । सत्य से परे है। वह गांधी शताब्दी समारोह समिति और थी । उससे इस समिति का कोई मतलब नहीं । यह उद्योग प्रदर्शनी समिति जो थी उसके सिटी मैजिस्ट्रेट सचिव थे और अध्यक्ष थे श्री दुर्गाप्रसाद आर्य । उन्होंने चन्दा वसूल करने के निमित्त एक आवश्यक मीटिंग की । उसका नोटिस मेरे पास मौजूद है । इस तरीके से दुर्गाप्रसाद आर्य ने चन्दा कराया और सिटी मैजिस्ट्रेट जो वहां के हैं, जब सी० आई० डी० द्वारा मंत्री जी इंक्वायरी करायेंगे तो देखेंगे कि जितने जमानत के मुकदमे हुए उनको टिकट बेचा जाता था और जब टिकट खरीद लेत थे सौ-सौ डेढ-डेढ़ सौ रुपये के तब उनकी जमानत मंजूर होती थी । इसी तरीके से एक कलाकार को पांच-पांच हजार रुपये दिये गये । लेकिन क्या जो पांच हजार रुपये दिये गये उसकी रसीद ली गई। प्रोफेशन कर लिया गया। यदि नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया । एक जीप का नम्बर है एम०आर०बी० ३८३ मिर्जापुर से इलाहाबाद, टु ब्रिंग दि एक्ट्रेस--एस०डी०एम० ।

यह भी लाग-बुक में लिखा हुआ है। इसको भी टैम्पर कर दिया गया है । यह अनियमितता हुई है । और ये दुर्गा प्रसाद आर्य वही हैं जो इटावा में थे तो इनका इन्टेग्रिटी सर्टिफिकेट रोक दिया गया था । इनकी इंटेग्रिटी सर्टिफाई नहीं की थी । आजमगढ़ में थे तो इनके जमाने में दंगे हुए । चूंकि ये अपने आपको शासन के एक मंत्री श्री आर्य के रिश्तेदार बतलाते हैं तो कहते हैं कि मेरा क्या होगा । और श्रीमन्, जब जांच होगी तो स्वच्छ प्रशासन, सत्यता, इमानदारी के जो हमारे मुख्य मंत्री हामी हैं और ये पर्यायवाची शब्द हो गये हैं उनके । वे कहते हैं कि कोई बेईमान न बचने पाये । वे इंक्वायरी कराने में तेज हैं । यह तो इतना अष्टाचार है कि इसमें वे कोई रियायत नहीं छोड़ेंगे । इसकी इन्क्वायरी सी०आई०डी० से करायेंगे । जब सदन के सामने इंक्वायरी आ जायेगी तो···

श्री उपाध्यक्ष---

यह चर्चा केवल आध घंटे की है । आप ही सारा समय ले लेंगे तो जवाब क्या होगा । आप नियम की स्थिति देख लें । सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं होगा ।

श्री सुरेंद्र विक्रम---

तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वे इसकी इन्क्वायरी कमिश्नर, वाराणसी से न करायें । इसकी इन्क्वायरी सी० आई० डी० से करायें । अष्ट अधिकारी सदन को गुमराह कर देते हैं और आपकी पोजीशन फाल्स होती है ।

(श्री गेंदा सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

यह विषय तो सामान्य प्रशासन का है । हम इसे मुख्य मंत्री के मुखारविन्द से सुनना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

सूचना मंत्री से इसका संबंध है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

वे तो सामान्य प्रशासन में लगे हुए लोग हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके लिये आपने पहले कहा होता ।

*सूचना मंत्री (श्री गेंदा सिंह)—

श्रीमन्, जो प्रश्न उठाया गया है उसके बारे में यह निवेदन करना है कि जनवरी में गांधी शताब्दी समारोह समिति ने यह निर्णय लिया था कि एक उद्योग प्रदर्शनी करायी जाय । श्रीमन्, उस समिति के ३६ सदस्य थे जिसमें ७ सरकारी अधिकारी थे और २९ गैर-सरकारी थे । इस समिति ने उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया । इस प्रदर्शनी में अनेकों प्रकार के आयोजन जैसे कवि सम्मेलन, नाटक, मुशायरा, शिशु प्रदर्शनी, संगीत सम्मेलन, योगिक प्रदर्शनी, सहकारिता सम्मेलन आदि थे, किये गये । एक भूतपूर्व सैनिकों का भी सम्मेलन था। इसमें चीफ आर्मी स्टाफ श्री मानकशाह भी उपस्थित थे। इसके लिये मान्यवर, धन एकत्र किया गया था । जो धन एकत्र किया गया वह ४०,४५८ रुपये ५० पैसे था । इसमें से ३९,४४४ रुपये ६५ पैसे खर्च हुए और १,०१३ रु० ८५ पैसे बचे। मुख्य शिकायत जो है वह यह है कि कुछ ऐसे लोग बुलाये गये जो बहुत दूर-दूर से आये और उनके आने पर बहुत ज्यादा खर्च हुआ। श्रीमन्, इस प्रदर्शनी में समिति ने बहुत सोच-समझ कर कुछ फिल्मी कलाकारों को बुलाने का फैसला लिया था । यह सही है कि उसके लिये दो अधिकारी बम्बई गये थे । वे निमंत्रण देने के लिये गये थे, लिवाने के लिये नहीं । वे इसलिये गये थे कि जो कलाकार सबसे कम पैसे में आने के लिये तैयार हों उनको ही निमंत्रण दिया जाय । तो सिर्फ एक कलाकर डेजी ईरानी ही आयी थीं । जो लोग धन देने वाले थे उनका यह आग्रह जरूर था कि इस प्रदर्शनी में कुछ इस तरह के आयोजन किये जायं। (व्यवधान) इसके लिये गांधी शताब्दी समारोह समिति ने अपनी एक उप समिति बना दी थी जिसके निर्णय से यह सब हुआ था। सारे खर्च के हिसाब-किताब को देख लिया गया है और जिस गड़बड़ घुटाले की बात कही जा रही है वह गलत है । जो भी रुपया वसूल हुआ उसकी रसीदें दी गयी हैं। और यह भी सोचा गया है कि उसका आडिट करवा दिया जाये ।

श्रीमन्, जहां तक मनोरंजन कर आदि चीजों का संबंध है, १,४६५ रुपया ६० पैसा इस मद में जमा हो गया है। अब मैं नहीं समझता हूं कि इस संबंध में सरकारी अधिकारियों की कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिसके लिए उनको कसूरमन्द शामिल किया जाये । ३६ आदमियों की कमेटी में ७ सरकारी अफसर थे। जो फैसला वहां हुआ वह सर्वसम्मति से हुआ और उसके अनुसार सभी कलाकारों को बुलाने का निर्णय लिया गया । ज्यादा लोगों को बुलाने का निर्णय लिया था लेकिन कम ही को बुलाया गया । बाकी जो लोग आये थे, वे उत्तर प्रदेश के थे, कुछ और पड़ोसी प्रदेशों के थे और उनके ऊपर कोई विशेष खर्च नहीं हुआ है। श्रीमन्, मैं अपने भाई सुरेन्द्र विक्रम से निवेदन कर दूं कि इस आयोजन पर कलाकारों पर कुल व्यय केवल ९ हजार ६ रुपया ९० पैसा हुआ है । इसलिए बहुत बड़ी-बड़ी रकम किसी को देने का प्रश्न नहीं उठता। अन्य जिन चीजों पर चर्चा सुरेंद्र विक्रम जी ने उठाई है, मैं समझता हूं कि वे बहुत जनरल हैं। किसी सरकारी अधिकारी को टी०ए, डी०ए० देने की सूचना नहीं है। जो बुलाने गये थे, वह सरकारी अधिकारी जरूर थे और उनको तीसरे दर्जे का किराया दिया गया था किन्तु यह खर्चा प्रदर्शनी के खर्चे में से दिया गया था, कोई सरकारी खर्च इसमें नहीं हुआ । श्रीमन्, मैं समझता हूं इतने स्पष्टीकरण के बाद मेरे मित्र सन्तुष्ट हो जायेंगे और इस सवाल को उठाना बन्द कर देंगे ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, इस संबंध में मैं बहुत चर्चा तो नहीं करना चाहता था, केवल दो बातों की तरफ मंत्री जी और उनकी सरकार विचार कर ले । एक तो यह कि गांधी शताब्दी समारोह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[लक्ष्मीरमण आचार्य]

से संबंधित एक जल्से में इस प्रकार के सारे मनोरंजन का कार्यक्रम रखा जाये और उस प्रकार का मनोरंजन हो जिस प्रकार का अभी-अभी गेंदा सिंह जी ने कहा, वह कहां तक उचित है और क्या इसके लिये वे अधिकारी कहीं किसी प्रकार से दोषी हैं या नहीं ? वे वास्तविक रूप से दोषी हैं या नहीं हैं, लेकिन उसमें उनसे कितनी नैतिकता का हमें तकाजा है, यह प्रश्न भी विचारणीय है । इतनी महान आत्मा से संबंधित व्यक्ति के समारोह में इस प्रकार का कार्यक्रम रखा जाये, यह कहां तक उचित होगा ?

मैं बहुत सच्चाई के साथ कहना चाहूंगा कि जब इस सब की चर्चा हुई तो मुझे स्वर्गीय प्रेमचन्द्र जी की एक कहानी याद आ गई । कहानी का शीर्षक है "रामलीला" । उसके कथानक में भी ऐसी बात हुई है, रानी को बुलाने की बात हुई, उसको भी उसमें बुलाया गया और उसे बहुत सा धन दिया गया । अन्त में जिन बच्चों ने राम, लक्ष्मण व सीता का अभिनय किया था, जिन्हें इसके लिये बुलाया गया था, वे खड़े खड़े कोने में रोते रहे, उन्हें एक पैसा तक भी नहीं मिला । इतना ही नहीं उनको घर जाने के लिए भी पैसा नही मिला । इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं हुई । इस प्रकार की चर्चा देखते हुए गेंदा सिंह जी विचार करें तो वैसी ही यह बात हुई है ।

सुरेंद्र विक्रम जी की चर्चा तो दूसरी है । इस प्रकार का खर्च हुआ या नहीं, कोई सज्जन बम्बई गये या नहीं, कोई सज्जन डेजी ईरानी को बुलाने गये या नहीं, वह आई या नहीं, ये सारी बातें उन्होंने नहीं उठाई हैं । यह तो स्वीकारोक्ति ही है । इसमें हमारे देश की मान्यताओं का प्रश्न निहित है । मान्यताओं को अधिकारीगण किधर उठाकर फेंकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये । दूसरी चीज-मेरे मित्र का कहना यह है कि इसमें जो रुपया गबन किया गया है, ४० हजार रुपये से कहीं ज्यादा इकट्ठा किया गया उसमें गबन किया गया और जो इतनी अनियमितताये हुईं, इसके अतिरिक्त जो धन बतलाया गया है कि इतना धन खर्च हुआ उससे कहीं अधिक खर्च हुआ, तो मैं आग्रह पूर्वक माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कृपा करके वे इन सब को अपने हाथ में ले लें, इसकी तहकीकात व जांच कराया जाना जरूरी है । इसके अतिरिक्त सरकारी साधनों का उपयोग किया गया और इस प्रकार की बहुत सी अनुचित बातें की गयीं । गांधी शताब्दी समारोह में डेजी ईरानी को बुलाया गया जिस डेजी ईरानी के संबंध में मुझे कहने में भी संकोच होता है, मैं क्षमा किया जाऊं कि ये वे डेजी ईरानी हैं जो नग्न नृत्य करने में बड़ी प्रवीण हैं । मैं इस बात को किसी गलतफहमी से नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं क्योंकि उनके संबंध में चर्चा है कि वे इस देश में नग्न नृत्य करने में प्रवीण हैं और अशोका होटल जैसे होटलों में मुख्य रूप से उनको कैबरे नृत्य करने के लिए बुलाया जाता है । क्या ये सब चीजें गांधी शताब्दी जैसे समारोह में करायी जानी चाहिये थीं ? मैं तो यह स्वीकार करता हूं कि इन सब के लिये हमें लज्जित होना पड़ेगा और मैं अपने मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसकी जांच अवश्य करावें । हिसाब किताब की तो जांच होगी ही, इस प्रकार का जो अनैतिक व्यवहार हुआ है उसकी भी जांच करावें । वहां के अधिकारी भी इसमें शामिल थे, यह तो आपत्ति की बात है ही जिससे हमारा माथा लज्जा से नीचे झुक जाता है। मैं एक बार फिर चाहता हूं कि इस पर समुचित कार्यवाही की जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं आपका ध्यान नियमों की तरफ खींचना चाहता हूं । आपने सिर्फ दो सदस्यों को बोलने का मौका दिया जिनके प्रश्न थे और माननीय मंत्री जी का कोई भाषण नहीं हुआ, सिर्फ सवाल ही हुए । तो मैं भी माननीय मंत्री जी से केवल ४ सवाल पूछना चाहता हूं ।

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गांधी शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में नाच-गाने का भी आयोजन किया गया था सरकार की तरफ से ?

श्री गेंदासिह—

श्रीमन्, अब गांधी शताब्दी समारोह की पूरी कार्यवाही का तो पता नहीं है और न सूचना ही है कि नाच गाने का कोई कार्यक्रम था, लेकिन संगीत का आयोजन करने की बात तो थी ही, अब मैं नहीं जानता कि नाच गाना और संगीत की परिभाषा क्या है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगें कि इन कलाकारों को लाने के लिये डिप्टी कलेक्टर की हैसियत के दो आदमी बम्बई, बनारस और इलाहाबाद गये थे और क्या बम्बई की कलाकार कैसरबानो को एक डिप्टी कलेक्टर अब्दुल हई के आवास पर ठहराया गया था ?

श्री गेंदासिह—

कैसरबानो का तो कोई पता भी नहीं है कि वे आयीं या नहीं आयीं, लेकिन डेजी ईरानी आयीं थीं । दूसरी बात जो डिप्टी कलेक्टर के बम्बई जाने की कही गई, तो वे उस प्रदर्शनी कमेटी के मेम्बर की हैसियत से गये थे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सूचना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो आयोजन रहा इसमें जीपों का नाजायज इस्तेमाल किया गया, जो सार्वजनिक चन्दा इकट्ठा किया गया उसका सारा हिसाब-किताब तथा जीपों के लाग बुक्स अपने कब्जे में करके उन पर सील मुहर लगा कर सारी चीजों की जांच करायेंगे ?

श्री गेंदासिह—

जो कुछ हिसाब-किताब आया हुआ है उससे संदेह होता नहीं है कि कोई बेईमानी की गई है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सूचना मंत्री बतायेंगे कि जो डी०एम० मिर्जापुर हैं, इसके पहले इटावा में डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से तैनात थे तब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे और इनका इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट रुक गया था और मऊ में भी जब थे तो उस समय दंगा और फायरिंग हुई थी ?

श्री गेंदा सिंह—

इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है ।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पूछना चाहता हूं कि मनोरंजन कार्य १५-२-७० से २६-२-७० तक चला और रोजाना मिर्जापुर के जिलाधीश ने दो-दो, तीन-तीन बजे रात तक इसको देखा, और इन्हीं तारीखों में उन्होंने अपना विश्राम कुल्ठा के डाक बंगले पर दिखाया । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि क्या वह डाक बंगले पर रहे या नहीं और उन्होंने वहां जाने के लिए भत्ता चार्ज किया या नहीं और वहां से सरकारी जीप पर आये या अपनी पर ?

श्रीमती सरस्वती देवी (जिला अल्मोड़ा)—

उपाध्यक्ष जी, सौभाग्य से यह जो प्रदर्शनी मिर्जापुर में हो रही थी, दो दिन मैंने भी यह प्रदर्शनी देखी थी । बड़े उच्च कोटि के अधिकारी हैं, उसके जो संचालक थे वहां क डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रट वह हमारे जिले में चार वर्ष एस०डी०एम० रह चुके हैं । वह हमारे यहां समर फेस्टिवल का संचालन करते थे । उनकी कार्यप्रणाली संतोषजनक रही है । संचालन का कार्य सराहनीय करते हैं, जहांतक मुझे ज्ञात है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिलाधीश मिर्जापुर १५-२-७० से २६-२-७० तक कहां रहे ? वन विभाग के डाक बंगला, कुंठा, पर ठहरे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) आप कृपा करके बैठें । माननीय मुख्य मंत्री बोलेंगे । इस तरह से थोड़े ही काम चलता है ।

*मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय मित्र श्री सुरेन्द्र विक्रम ने बताया यह प्रदर्शनी अक्तूबर, १९६९ से शरू हुई और शायद २६ फरवरी, १९७० तक चली । बहुत दिनों तक चली । बहुत दिन पहले यह प्रदर्शनी शुरू हो गयी थी । इस प्रकार की प्रदर्शनी जिसमें गांधी शताब्दी के नाम पर डांसर और गाने वाली बुलायी जायं....

श्री अनन्तराम जायसवाल---

एक निवेदन है मान्यवर, हम सुनने को तैयार नहीं कि कब घटना हुई । सब कह चुके हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी अब क्या करना चाहते हैं ?

श्री चरण सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय मुझे ताज्जुब है, वह सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, यह घटना कब हुई, क्या हुआ (व्यवधान) सारा हाउस नहीं जानता है । मुझे कहने का हक हासिल है । आप बैठिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं इस प्रकार की जो प्रदर्शनियां हैं जिसमें कि गवर्नमेन्ट के अधिकारी होते हैं और जिसके लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है और डान्सर या किसी आर्टिस्ट को बुलाने के लिए बम्बई या किसी दूसरे शहर में जाकर और उसमें दिलचस्पी ली जाय तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता हूं । इसी तरह से एक प्रदर्शनी का मुझे इल्म हुआ है । अक्टूबर-नवम्बर या नवम्बर-दिसम्बर में फर्रुखाबाद में सन् १९६८ में एक प्रदर्शनी हुई । उसके सिलसिले में अफसरों ने पैसा इकट्ठा करके दिलचस्पी ली । उसके लिए लाइसेन्स भी दिये गये। उसका जिक्र मैंने १९६९ में किया था । उसकी तहकीकात हुई । नतीजा यह निकला कि उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस०डी०एम० ने सक्रिय भाग लिया था उस प्रदर्शनी को कामयाब बनाने के लिये । प्रदर्शनी में इस प्रकार के नाच-गान का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए । प्रदर्शनी में तो इंडस्ट्रियल इक्जिबिशन की चीजें होनी चाहिए । प्रदर्शनी तो कृषि या विकास से सम्बन्धित होनी चाहिए । प्रदर्शनी वह होती है जिसमें कि होड़ लगे और जिससे कि हमारी जनता का फायदा हो । मैं नहीं कहता कि उसमें मुशायरा और कवि सम्मेलन भी आयेगा । उसमें मुशायरा और कवि सम्मेलन नहीं आता है किन्तु यदि खींच तान कर उसे भी रख दिया जाय तो कम से कम फिल्म स्टार से और नाच-गान से उसका सम्बन्ध न हो । मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी चीज प्रदर्शनी की परिभाषा से बाहर हो जाती है । अफसोस तो इस बात का है कि इस प्रकार के आयोजनों को स्वीकृति मिलती है या समर्थन प्राप्त होता है । हमारे गैर सरकारी लोगों या अफसरों ने किया है तो मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं किया है । जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है कि उसमें २९ आदमियों की कमेटी थी वह सर्वसम्मति से हुआ है तो यह बड़े अफसोस की बात है । यह हमारे आचरण का एक पैमाना है कि हम गांधी शताब्दी समारोह को डेजी ईरानी इत्यादि को बुला कर मनायें.....

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

इसके लिए काफी रुपया एकत्रित करें तो यह निहायत अनुचित बात है। मैं इसकी तहकीकात करूंगा। मुझे अभी-अभी राजस्व मंत्री जी ने बतलाया है कि उन्होंने डिपार्टमेन्ट क कमिश्नर को यह आर्डर भी दिये हैं। इसकी तहकीकात के लिये लिख दिया गया है अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। यदि उस रिपोर्ट को गवर्नमेन्ट ने संतोषजनक नहीं पाया तो उसकी तफसील और विस्तृत तहकीकात करायी जायेगी और उस पर विचार करने के बाद उस सिलसिले में एक आम आदेश भी सभी अफसरों के बारे में निकाला जायेगा कि वे किस प्रकार की प्रदर्शनियां में हिस्सा ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२ जून, १९७०।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीठे पृष्ठ ६५५ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	सड़क का नाम	सड़क कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि
१	२	३
१	कछवा कटका रोड	३१–३–७२
२	कछवा जमुआं सड़क	३१–३–७१
३	कम्पनी घाट नेवढ़िया घाट सड़क	३१–३–७२
४	विसुन्दरपुर मेउली सड़क	३१–३–७२
५	रेस ग्राउन्ड-खुटहा सड़क	३१–३–७२
६	सखौरा बीरशाहपुर रोड	३१–३–७२
७	कशरवा काइनारा धौरूपुर सड़क	पूर्ण
८	जसवर सतवर बर्जी सड़क	३१–३–७१
९	इटवा अमौई-बोकना रोड	३१–१२–७१
१०	लोहदी महाबीर सड़क	पूर्ण
११	गांधीघाट छोतपुर रोड	३१–३–७२
१२	जिगना मिश्रपुर घाट सड़क	३१–३–७१
१३	गैपुरा रामपुर घाट सड़क	३१–१२–७१
१४	बकोढ़ी रामपुर घाट सड़क	३१–३–७२
१५	काली खों सड़क	३१–३–७१
१६	सोताकुण्ड सड़क	३१–३–७१
१७	विसहड़ा रामपुर घाट	३१–३–७१
१८	ड्रामडगंज गड़बरा रोड	३१–३–७२
१९	गड़बरा हलिया सड़क	३१–३–७२
२०	लालगंज कलवारी सड़क	३१–३–७२
२१	लालगंज हलिया रोड	३१–३–७१
२२	हलिया पिपरा रोड	३१–३–७२
२३	चील्ह कमासोन रोड	३१–३–७२
२४	चेतगंज खमरिया रोड	३१–८–७१
२५	तित्ठी मुजैहरा रोड	३१–३–७१
२६	मिर्जापुर गोपीगंज सड़क	पूर्ण
२७	नरायनपुर ढारानगर	पूर्ण
२८	कैलहट अदलहाट सड़क	३१–३–७२
२९	कैलहट पचवरा सड़क	३१–३–७२
३०	चुनार रेलवे स्टेशन सड़क	पूर्ण
३१	लालगंज कलवारी सड़क	३१–३–७२
३२	मड़िहाल बाजार देवरों कलां	पूर्ण
३३	शाहगंज राजपुर रोड	३१–३–७१
३४	मुड़िलाडीह ककौली सड़क	३१–३–७२

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५८ पर)

श्री कृष्ण स्वरूप के अतारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर से सम्बन्धित सूची

(क) बदायूं जिले में उपभोक्ता सहकारी भंडार खोलने की तिथि	..	१६ मार्च, १९६४
(ख) उक्त भंडार में सरकार द्वारा लगाया गया रुपया अंशपूंजी	..	रु० १,००,०००
ऋण	..	२,००,०००
प्रबन्धकीय अनुदान		२३,०१०
योग	..	३,२३,०१०
(ग) भागीदारों (शेयर होल्डर्स) द्वारा लगाया गया रुपया	..	२५,५२०
(घ) ३१ मार्च, १९७० तक हुई हानि या लाभ	..	३१ मार्च, १९७० तक के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। ३० जून, १९६९ तक भंडार को ३३,७२२ रु० की हानि हुई है।

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५८ पर)

नाम क्षेत्र विकास अधिकारी	तैनाती का स्थान
१—सर्वश्री एस० ए० खान	खैर (अलीगढ़)
२—कृपाल सिंह ..	अतरौली (अलीगढ़)
३—राम प्रकाश ..	सासनी (अलीगढ़)
४—लक्ष्मण सिंह ..	राया (मथुरा)
५—बहोरी लाल शर्मा ..	बलदेव (मथुरा)
६—एच० एस० निम ..	छाता (मथुरा)
७—वी० जी० रेले	करौली—अहीर (आगरा) (स्थानांतरण के आदेश हो चुके हैं।)
८—एम० जी० महरोत्रा ..	टुंडला (आगरा)
९—आर० एस० सरोज ..	खैरागढ़ (आगरा)
१०—राजेश्वर लवानिया ..	फतेहाबाद (आगरा)
११—जी० एस० चौधरी ..	बेबर (मैनपुरी)
१२—आर० डी० वर्मा ..	मदनपुर (मैनपुरी)
१३—एन० सी० जैन ..	एक्का (मैनपुरी)
१४—आर० के० गुप्ता ..	शिकोहाबाद (मैनपुरी)
१५—जे० एन० मलहोत्रा ..	सहावर (एटा)
१६—एम० एस० ठाकुर ..	सोरों (एटा)
१७—एस० बी० सिंह ..	सकीट (एटा)
१८—एच० एस० शर्मा ..	गंजडुंडवारा (एटा)

नत्थी "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५९ पर)

परिशिष्ट अ

वर्ष १९७० में आजमगढ़ जिले के प्रमुखों, एवं उप प्रमुखों को भुगतान किये गये यात्रा भत्ता का विवरण :

क्रमांक	विकास खंड एवं प्रमुख का नाम	रुपया
	प्रमुख	
१	सर्वश्री घनश्याम सिंह, अतरौलिया	१,२२७.८०
२	दुर्गविजय सिंह, अहुरौला	१,०८६.२०
३	पारसनाथ पांडेय, फूलपुर	१,२४९.२०
४	राजनाथ सिंह, लालगंज	२,२५७.७०
५	शम्भू प्रसाद सिंह, मेंहनगर	१,३२१.४०
६	तेज बहादुर सिंह, तरवा	४२०.७०
७	नामवर सिंह, जहानागंज	२,०९९.३०
८	मु० मसूद, भूतपूर्व प्रमुख विघटित विकास खंड, सठियांव ..	१५०.०० (प्रीआडिट बिल)
९	नर्वदेश्वर सिंह, रानीपुर	२,१००.००
१०	भोलानाथ शास्त्री, परदहा	१,६२०.८०
११	ठाकुर दयाल मिश्र, घोसी	१,६४८.००
१२	केदारनाथ सिंह, कोपागंज	२,२१०.६०
१३	जमुना राय, दोहरीघाट	१,८८४.२०
१४	तेजपाल सिंह, बड़रांव	१,२७३.००
१५	काशीनाथ सिंह, आजमलगढ़	१,५३२.६०
१६	राजदेव सिंह, बिलरियागंज	१,३६५.००
१७	रामदेव सिंह, हरैया	१,१७०.००
१८	हरिहर राय, तहवरपुर	२,५५४.६०
१९	राममूरत राय, मोहम्मदपुर	८९३.००
२०	रामसमुझ पांडेय, मिर्जापुर	२,३७७.८०
२१	गोरखनाथ सिंह, रानी की सराय	१,८८८.२०
२२	केदारनाथ सिंह, मार्टीनगंज	१,६७९.००
	उप प्रमुख	
२३	श्री सूरज नाथ सिंह, ज्येष्ठ उप प्रमुख तरवा	८४६.४०
२४	श्री इन्द्रदेव सिंह, कनिष्ठ उप प्रमुख, तरवा	२३५.९०
	योग ..	३५,०९२.१०

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ७५ एल० ए०—१९७१—८४५ (मैग०)।